



# योजना

मार्च 2016

विकास को समर्पित मासिक

₹ 20

## केन्द्रीय बजट 2016-17



फोकस

**केन्द्रीय बजट: कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी**  
सी एस सी शेखर

**सतर्क वृद्धि अनुमान के मायने**  
डी एच पाई पण्डिकर

**दूरदर्शी और विकासोन्मुखी रेल बजट**  
अरविन्द कुमार सिंह

विशेष आलेख

**क्या बैंकिंग क्षेत्र में जान फूँकेगा बजट?**  
एन आर भानुमूर्ति  
मनीष प्रसाद




## केंद्रीय बजट 2016-17: मुख्य तथ्य

- अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2015-16 में 7.6 प्रतिशत हो गई।
- कृषि एवं कृषक कल्याण हेतु 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।
- एआईबीपी के अंतर्गत लंबे समय से अटकी 89 सिंचाई परियोजनाओं को तीव्र गति से क्रियान्वित किया जाएगा।
- नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष तैयार किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटन: 87,765 करोड़ रुपये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 38,500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
- 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत गांवों में बिजली।
- अगले तीन वर्ष में ग्रामीण भारत के 6 करोड़ अतिवृत्त परिवारों को दायरे में लेने हेतु डिजिटल साक्षरता मिशन।
- 655 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नई योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का प्रस्ताव।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा समेत सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन : 1,51,581 करोड़ रुपये।
- बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु आरंभिक व्यय हेतु 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत 2016-17 में 3,000 दुकानें खोली जाएंगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पीपीपी आधार पर 'राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम' आरंभ किया जाएगा।
- 'स्टैंड अप इंडिया योजना' के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम दो परियोजनाओं की सहायता की जाएगी। इससे कम से कम 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे।
- उद्योग संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- शिक्षा: 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। दस सरकारी एवं दस निजी संस्थानों को विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के रूप में विकसित होने के लिए नियामकीय ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1,000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी की स्थापना होगी।
- विद्यालय प्रमाणपत्र, कॉलेज की डिग्री, शैक्षिक पुरस्कार एवं अंक पत्रों के लिए डिजिटल भंडार की स्थापना होगी।
- कौशल विकास हेतु आवंटन: 1,804 करोड़ रुपये।
- 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना होगी।
- उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- मैसिव ऑनलाइन कोर्स के जरिए उद्यमिता शिक्षण-प्रशिक्षण।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन समेत सड़क क्षेत्र में कुल 97,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी जाएगी।
- सड़कों के लिए 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन। बाँड के माध्यम से जुटाएगा अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये।
- बुनियादी ढांचा हेतु कुल व्यय: 2,21,246 करोड़ रुपये।
- सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूँजीकरण हेतु 25,000 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बांटी जाने वाली राशि का लक्ष्य बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपये किया।
- स्टार्ट-अप को अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन।
- दालों के मूल्यों को स्थिर रखने में सहयोग हेतु 900 करोड़ रुपये की राशि के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि।

ग्राफिक: पत्र सूचना कार्यालय से साभार

### केंद्रीय बजट 2016-17

#### रुपया आता है



#### रुपया जाता है



- भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्रों में आदान प्रदान के माध्यम से लोगों को जोड़ने वाले वार्षिक कार्यक्रम से राज्यों और जनपदों को जोड़ने हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत, कार्यक्रम।
- अप्रैल, 2016 से मार्च, 2019 के बीच आरंभ होने वाले स्टार्ट अप को पांच में से तीन वर्ष के लिए लाभ पर 100 प्रतिशत छूट।



# योजना

वर्ष: 60 • अंक 3 • मार्च 2016 • फाल्गुन-चैत्र, शक संवत 1938 • कुल पृष्ठ: 84

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

**प्रधान संपादक:** दीपिका कच्छल

**संपादक:** ऋतेश पाठक

**उपसंपादक:** भुवनेश

**संपादकीय कार्यालय**

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,

लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

ईमेल: yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट: www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

http://www.facebook.com/yojanahindi

**संयुक्त निदेशक (उत्पादन):** वी.के. मीणा

**सहायक निदेशक (प्रसार):** पद्म सिंह

(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjuicir@gmail.com

**आवरण:** संजीव कुमार, जी. पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

**सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)**

**प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53**

**भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर**

**लोधी रोड, नई दिल्ली-110003**

**दूरभाष: 011-24367453**

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है।

## प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	2330650
हैदराबाद	ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली	500001	24605383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	26588669
गुवाहाटी	के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी	781003	2665090

## इस अंक में

- **संपादकीय** ..... 7
- गांव और किसान का बजट  
अश्विनी महाजन ..... 9
- **फोकस**
- केंद्रीय बजट: कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी  
सी एस सी शेखर ..... 13
- किसान, गांव और गरीब के सम्मान का ख्याल  
आलोक कुमार ..... 17
- आमजन, निगम व राज्यों के लिए कर गणित  
जयंत राय चौधरी ..... 21
- **क्या आप जानते हैं?** ..... 23
- **विशेष आलेख**
- क्या बैंकिंग क्षेत्र में जान फूंकेंगे बजट  
एन आर भानुमूर्ति, मनीष प्रसाद ..... 25
- सतर्क वृद्धि अनुमान के मायने  
डी. एच. पाई पर्णाडिकर ..... 29
- ग्रामीण अवसररचना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण  
हिरण्मय राय, अनिल कुमार,  
प्रसून द्विवेदी ..... 32
- दूरदर्शी और विकासोन्मुखी रेल बजट  
अरविंद कुमार सिंह ..... 35
- नवाचार की ओर बजट के कदम  
रहीस सिंह ..... 39
- गुणात्मक सुधार का नया दृष्टिकोण  
ज्ञानेंद्र बरतरिया ..... 43
- बजट 2016: गांवों के रास्ते पर  
बाजार को भी भरोसा  
राजीव रंजन झा ..... 46
- कर प्रोत्साहन माने अप्रत्यक्ष सब्सिडी  
शिशिर सिन्हा ..... 49
- रोजगार-सृजन व उद्यमिता की सुगम राह  
उत्सव कुमार सिंह, मनीष ..... 53
- शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान  
प्रतिभा कुंडु ..... 59
- महिला सशक्तीकरण की ओर  
बजटीय पहल  
ऋतु सारस्वत ..... 63
- देश के स्वास्थ्य की ओर बढ़ते कदम  
आदित्य अवरस्थी, पूजा मेहरोत्रा ..... 67
- किसान केंद्रित बजट में डिजिटल  
साक्षरता का महत्व  
अमित कुमार सिंह ..... 71
- पर्यावरण चिंताओं को साधता बजट  
प्रभांशु ओझा ..... 75
- वित्तीय समावेशन: कदमताल में  
तेजी की जरूरत  
ऋषभ कृष्ण सक्सेना ..... 78

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610



# आपकी राय

## सबकी जिम्मेदारी है शिक्षा

योजना की कई वर्षों से पाठक रही हूँ। योजना जनवरी 2016 का अंक शिक्षा-सफलता का मंत्र पढ़ा। विभिन्न आलेखों के द्वारा कई जानकारियाँ प्राप्त हुईं, तथा शिक्षा के विभिन्न आयामों से परिचय हुआ। जब से मानव समाज का निर्माण हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकास होता चला आ रहा है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा का प्रचार-प्रसार काफी तेजी से हुआ। शिक्षा का अधिकार नियम इस क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को भी शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा योजनाएं सफल भी हो रही हैं। वास्तव में शिक्षित बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु देश के हर व्यक्ति को समझना होगा कि, स्वयं को शिक्षित करना उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है। हमें आने वाले दिनों में अपनी शिक्षा पद्धति को और भी बेहतर बनाना होगा, ताकि हमारा देश शिक्षा का वैश्विक केंद्र बने।

तापसी मुखर्जी

जमाल रोड़, पटना ( बिहार )

## खुद कदम बढ़ाना होगा

योजना का दिसंबर अंक इस समय विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विषय 'जलवायु परिवर्तन और संपोषणीयता' पर केंद्रित था। जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश को देखते हुए पेरिस समझौता सम्मन्न हुआ जिसमें इस शताब्दी

के अंत तक तापमान में वृद्धि 2°C से कम करने का प्रयास शामिल है।

जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। बढ़ते वन विनाश के कारण वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड के बढ़ने से तापमान वृद्धि हो रही है। कहीं बाढ़ कहीं सूखा, हर तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश। उत्तराखंड की केदारनाथ दुर्घटना, नेपाल के भूकंप, चेन्नई की बाढ़ जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम हैं। मानव ने बढ़ते औद्योगीकरण के कारण वनों का अत्यधिक विनाश किया और आज उन्हीं वनों की कमी के कारण प्रकृति मानव जाति से अपना बदला ले रही है। अपने लालच के कारण मनुष्य जाति यह भूल गई थी कि जितना हमारा हक इस भूमि पर है उतना ही पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों का भी है। जब हम सब इस भूमि का उपभोग कर रहे हैं तो हम सभी को इसे बचाने के लिए आगे आकर पर्यावरणीय न्याय करना चाहिए।

तनु सिंह

गौसगंज, हरदोई ( यू.पी. )

## शिक्षा पर शानदार अंक

शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को दर्शाता योजना का जनवरी 2016 का शिक्षा संदर्भित अंक पढ़ा। हमेशा की तरह इस बार भी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। किशोरावस्था और विद्यार्थी मन शिक्षण में मातृभाषा की भूमिका और महत्व व महिला व बाल शिक्षा भारतीय परिदृश्य रचनाएं भी सार-गर्भित रहीं। बेहतर अंक की प्रस्तुति के लिए संपादक परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

छैल बिहारी शर्मा इन्द्र

छाता, उ.प्र.

## विश्व एक हम सबका

योजना दिसंबर 2015 में जलवायु परिवर्तन और संपोषणीयता पर केंद्रित जानकारियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण लगी। आपकी राय में पाठकों की जागरूकता पढ़ने को मिलती है। संपादकीय धरती मां की रक्षा के लिए हार्दिक धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन कम करना आज हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। के. जी. सक्सेना की बात सत्य ही है वहीं एमएस स्वामीनाथन का कथन भविष्य अनाज वाले देशों का है। बंदूक वाले देशों का नहीं, सबको सोचने पर विवश कर रहा है। टी. जयरामन का विशेष आलेख समानता और एक वैश्विक जलवायु समझौता ज्ञानवर्धक एवं मार्गदर्शक है। अन्य सभी लेख इत्यादि भी पाठकों सहित सभी के लिए उपयोगी है। योजना में प्रकाशित होने वाले लेख, आलेख सभी मुझे पसंद आते हैं। हमारे देश भारत के विकास में पत्रिका का योगदान सराहनीय है।

सुरेश दीवान

अकोली ( मांडर ), रायपुर ( छ.ग. )

## जलवायु परिवर्तन : विश्व के समक्ष एक चुनौती

हिंदी मासिक योजना का दिसंबर 2015 अंक पढ़ने को मिला। बहुत अच्छा लगा। यह अंक जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। आज जलवायु परिवर्तन विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती लेकर खड़ा है। निरंतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां मानव को अनेक प्रकार की सुख और सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ के

कारण जलवायु परिवर्तन ने अब अस्तित्व के लिए भी घातक संकेत देना आरंभ कर दिया है। जिस स्थिति में जलवायु परिवर्तन का चक्र चल रहा है और इसी गति से अगर चलता रहा तो मानव जाति के विनाश का समय निकट है। विकसित राष्ट्रों ने प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन किया उसी के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाई-ऑक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का निरंतर बढ़ना खतरे की एक बड़ी चेतावनी है। ईंधनों, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला के जलने से सीओटू गैस की बड़ी मात्रा वातावरण को प्रदूषित कर रही है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाई-ऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को उत्तरदायी माना जाता है।

अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति को रोका जाए। आज विश्व परमाणु बम पर चर्चा कर रहा है पर जलवायु परिवर्तन पर सबकी राय एक साथ नहीं मिल रही है। जितना विकसित राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन किया है उतना किसी ने नहीं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इसे रोकने के प्रयास पर चिंतन, मंथन किया जाना चाहिए।

डॉ. सत्य प्रकाश  
वरवां, मीरगंज, गोपालगंज ( बिहार )

## मैं जगने का आखिरी मौका

मैंने दिसंबर 2015 की 'योजना' पत्रिका पढ़ी। 'जलवायु परिवर्तन और संपोषणीयता' विशेषांक काफी अच्छा लगा। जिस प्रकार से दुनिया में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भविष्य में पृथ्वी पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जहां देखो वही प्रदूषण ही प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, आगे चलकर पूरी पृथ्वी को विनाश की ओर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंसान ने अपने फायदे के लिए प्रकृति को भरपूर नुकसान पहुंचाया है। पेड़ों का अंधाधुंध कटाव, पुराने जल स्रोतों का दोहन, पहाड़ों का अनियमित कटाव, नदियों की धाराओं को बांध द्वारा रोका जाना, कारखानों का कैमिकलयुक्त भरपूर गंदा पानी नदियों में छोड़ना, बेतहाश गाड़ी-मोटर्स का इस्तेमाल हमारी पूरी प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

बढ़ते औद्योगीकरण ने आज पूरी दुनिया में काफी समस्या पैदा कर दी है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सभी देशों को इसके विषय में सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। अगर पहले से ही कंट्रोल किया जाता तो आज यह भयानक स्थिति पैदा नहीं होती। अगर हम अब भी नहीं चेते तो फिर पूरी पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा।

महेन्द्र प्रताप सिंह  
मेहरागांव, अल्मोड़ा ( उत्तराखंड )

## शिक्षा ही आधारशिला

अगर परिवर्तन लाना है, तो समाज को शिक्षित करना होगा और भावी पीढ़ी को मजबूत बनाना होगा जिसके लिए बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से देने की आवश्यकता है। किंतु इससे पूर्व शिक्षकों को नैतिक शिक्षा का अध्याय पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन विद्यालय में कोई-न-कोई ऐसी घटना घट जाती है, जिससे बच्चों के माता-पिता को बच्चों को विद्यालय भेजने में संशय रहता है।

एक समय माता-पिता बिना संकोच और पूर्ण विश्वास के साथ बच्चे को गुरु के सुपुर्द कर जाते थे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास होता था कि बच्चा वहां से अच्छा इंसान बनकर निकलेगा और परिवार तथा देश के लिए अच्छा करेगा। वर्तमान में लड़कियों की दशा तो बदतर ही है। छोटे-छोटे बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है।

इससे अभिभावकों का विश्वास ऐसे टूटता है कि वे ही अंदर से टूट जाते हैं। आवश्यकता है, ऐसी शिक्षा की जो ना केवल बच्चों में अपितु शिक्षकों विचारों में भी परिवर्तन लाए और उनके कर्तव्यों को भी याद दिलाएं। राष्ट्र का विकास भावी पीढ़ी के हाथ ही है इसलिए इन हाथों को मजबूत बनाना होगा।

दिव्या गौतम

ईमेल: divsgautam08@gmail.com

## अब ऑनलाइन सब्सक्राइब करें



लॉग ऑन करें योजना

<http://publicationsdivision.nic.in/>

सहयोग: [bharatkosh.gov.in](http://bharatkosh.gov.in)



Most trusted & renowned  
institute among IAS aspirants

## हिंदी माध्यम के IAS/PCS टॉपर्स क्या कहते हैं 'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका के बारे में...



### निशांत जैन (IAS - राजस्थान कैडर)

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' स्वयं में एक अनूठी और बहुआयामी पत्रिका है। इसका सभी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध होना प्रतियोगिता जगत की एक बड़ी जरूरत पूरी करता है। मैंने खुद इस पत्रिका का लाभ उठाया है।

सिविल सेवा परीक्षा पर ही पूरी तरह केंद्रित यह पत्रिका कई मायनों में विशिष्ट है। इंटरव्यू खंड, निबंध खंड, एथिक्स आदि पर विशेष ध्यान देना इस पत्रिका को बाकी पत्रिकाओं से अलग बनाता है। समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवा परीक्षा के नजरिये से विश्लेषण और फिर उनकी विन्दुवार प्रस्तुति बेहद उपयोगी और प्रासंगिक है।

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' आपकी सफलता में सार्थक भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

### राजेन्द्र पेंसिया (IAS - उत्तर प्रदेश कैडर)



हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्रिका कौन सी पढ़ी जाए? इसके लिये सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, प्रामाणिक और सारगर्भित स्रोत 'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' के माध्यम से मिलता है। इंटीग्रेटेड एप्रोच से तैयारी के लिये हिंदी माध्यम में ऐसी किसी पत्रिका का अभाव था जो प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की जरूरतों को पूरा कर सके। विकास सर के मार्गदर्शन में यह पत्रिका निश्चित ही इन सभी मानकों पर खरी उतरती है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी गूगल ट्रांसलेट ड मैटीरियल पढ़ने की बजाय यह पत्रिका पढ़ें जो पूर्णतः मौलिक व अनुभवी टीम की मेहनत का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका उनके लिये निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। शुभकामनाएं।



### मनीष कुमार (IPS)

यह पत्रिका (दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे) हिन्दी माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश है। इसके सभी खंडों का व्यवस्थित अध्ययन तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। पत्रिका के 'समसामयिक मुद्दों पर सभावित प्रश्नोत्तर' खंड से मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी में विशेष मदद मिली थी।



### अकित तिवारी (IRS IT)

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' एक सारगर्भित एवं विविध आयामी पत्रिका है जो सिविल सेवा परीक्षा के तीनों चरणों- प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये आवश्यक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराती है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिये सबसे बड़ी चुनौती समसामयिक मुद्दों पर प्रामाणिक कंटेंट की उपलब्धता की थी परंतु 'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है, जो सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिये वरदान साबित हो रही है। समसामयिक मुद्दों पर 'प्रश्नोत्तर खण्ड' तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। विकास सर का सम्पादकीय लेख अभ्यर्थियों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है।



### विवेक यादव (UPPCS, I-Rank)

राज्य व संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की दृष्टि से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। यह पत्रिका समसामयिक घटनाचक्र के विषयों में आपकी समझ बढ़ाने के साथ ही साथ उस विषय पर बहुआयामी दृष्टिकोण का सृजन करती है। इस पत्रिका का निबंध व मॉक इंटरव्यू खण्ड तमाम डाउट्स को क्लियर करने में सहायक है।

आई.ए.एस., पी.सी.एस., तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित पत्रिका



## करंट अफेयर्स टुडे

### महत्त्वपूर्ण लेख

- समय के साथ बदलते भारत-रूस संबंध
- स्टार्ट-अप क्रांति: संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- लाई-फाई: प्रकाश के रास्ते ज्ञान की दुनिया
- राज्य सभा की भूमिका एवं प्रासंगिकता
- बढ़ता वायु प्रदूषण: कितना खतरनाक?
- अपरिहार्य है पुलिस सुधारों का मुद्दा
- गिरता निर्यात: भारत के लिये पुनर्विचार का समय

### रणनीतिक आलेख

- इंटरव्यू की उन्मील कर रहे विद्यार्थी अभी क्या तैयारी करें?
- पी.सी.एस. परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें? (दूसरी कड़ी)

### प्रिलिम्स विशेष

- पी.टी.एस. प्रेस: प्रारंभिक परीक्षा के लिये संभावित प्रश्नोत्तरों का संकलन
- सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस पेपर

### केस स्टडीज़ एवं वाद-विवाद

- केस स्टडीज़ व समाधान
- क्या जनप्रतिनिधियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिये?

### राजस्थान पी.सी.एस. (मुख्य परीक्षा) पर विशेष सामग्री

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला-संस्कृति एवं भूगोल पर सारगर्भित सामग्री



और भी बहुत कुछ....



### प्रदीप कुमार (IRS)

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' एक मानक पत्रिका है। पिछले दो अंकों में तो इसने 'गागर में सागर' भर दिया है। वस्तुतः बाजार में उपलब्ध स्तरहीन सामग्री ने अभ्यर्थियों को दिशा-भ्रमित ही किया है। ऐसे में 'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' ने विद्यार्थियों की राह आसान कर दी है।



### जय प्रकाश (IRTS)

विद्यार्थियों के समक्ष उच्च स्तर की पाठ्य सामग्री का सदैव अभाव रहा है जिसके कारण हिंदी भाषी छात्र हीन भावना का शिकार रहते हैं। यह पत्रिका (दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे) इस मानक पर खरी उतरती है। इसमें परीक्षा के अनुरूप बहुआयामी समसामयिक खंडों को विश्लेषित करने तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है। खास तौर पर निबंध, एथिक्स और इंटरव्यू के लिये किया गया प्रयास इसे अन्य पत्रिकाओं से बेहतर बनाता है जो अवश्य ही विद्यार्थियों की सफलता में निर्णायक सिद्ध होगा। मैं दृष्टि परिवार की अनुकरणीय पहल का आभार व्यक्त करता हूँ।



### आदित्य प्रजापति (UPPCS, II-Rank)

मुख्य व प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। पत्रिका के लेख, निबंध व एथिक्स खण्ड परीक्षार्थियों के लिये निश्चित रूप से बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।



641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9

E-mail: info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com

Contact : 87501 87501, 011-47532596

\* Website: www.drishtiias.com

## भारत निर्माण

**ब**जट 2016-17 को मोटे तौर पर किसान समर्थक, गरीब समर्थक और वृद्धि समर्थक कहा गया है। और क्यों न हो? सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 17 प्रतिशत योगदान करने वाली और देश की 50 प्रतिशत श्रमशक्ति को काम देने वाली कृषि की समूची अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की सरकार की इच्छा कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है किंतु कृषि एवं कृषक कल्याण हेतु पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग दोगुने, 45,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बजट का लक्ष्य निश्चित रूप से किसानों को आय संबंधी सुरक्षा का भान कराना है।

लगातार दो वर्ष कमजोर वर्षों के बाद किसानों ने जो कष्ट सहे हैं, उनको देखते हुए ऐसे उपायों की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की घोषणा अतिरिक्त 28.5 हेक्टेयर भूमि को सिंचित क्षेत्र में शामिल करते हुए सिंचाई की समस्या को सुलझाने का प्रयास है। नाबार्ड के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये का समर्पित सिंचाई कोष स्थापित करना भी इस दिशा में बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5,500 करोड़ रुपये के आवंटन से प्रतिकूल मौसम में फसल खराब होने की समस्या का समाधान होगा।

लोकालुभावन होने के बजाय बजट में अर्थशास्त्र के मूल तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें विशुद्ध आर्थिक कारणों से आवंटन किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र को वही दिया गया है, जिसकी उसे आवश्यकता है। बजट में 87,765 करोड़ रुपये के अधिक आवंटन के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों के लिए है, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 2.87 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जो पिछले पांच वर्ष की अवधि में मिली राशि के मुकाबले 228 प्रतिशत अधिक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन 80 लाख रुपये से अधिक और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को औसतन 21 करोड़ रुपये से अधिक। गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्र को भी मनरेगा के अंतर्गत 38,500 करोड़ रुपये के आवंटन का लाभ मिला है, जिससे गांवों तथा छोटे नगरों के कायाकल्प में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए धनराशि के आवंटन, बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिक खर्च से निश्चित रूप से किसानों के कल्याण पर सकारात्मक असर होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समेत सामाजिक क्षेत्र को तेजी से बढ़ाने की मंशा के साथ सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में महिलाओं पर बजटीय व्यय में 55 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत दोगुने आवंटन, निर्भया योजना के तहत बढ़े हुए आवंटन, ग्रामीण परिवारों में महिला सदस्यों के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु 2,000 करोड़ रुपये के अलग आवंटन तथा स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला उद्यमियों के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन का लक्ष्य देश की महिलाओं का सामाजिक एवं वित्तीय सशक्तीकरण करना है।

भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का अपना संकल्प दोहराते हुए बजट में देश भर में 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा की गई है, जिनके लिए 1,700 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। यह पहल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिये उद्यमिता को युवाओं के दरवाजे पर लाकर रोजगार के अवसर सृजित करने के सरकार के प्रयास पर प्रकाश डालती है।

कंपनियों के मोर्चे पर ये अपेक्षाएं थीं कि पिछले बजट में घोषणाओं के होने के उपरांत आधार कर दर को 30 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से चरणबद्ध तरीके से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा। किंतु राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने के इरादे से कर की दर में कोई कटौती नहीं की गई। मगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए तथा और रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट अप को तीन वर्ष के लिए कर से छूट का प्रस्ताव किया गया है। स्व रोजगार प्राप्त निम्न आय वर्ग के निजी आयकरदाताओं को आवास किराये भत्ते में छूट बढ़ाकर आंशिक राहत दी गई है किंतु 1 प्रतिशत शीर्ष निजी आयकरदाताओं अर्थात् अत्यधिक धनी व्यक्तियों पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगाया गया है। पिछली तिथि से कराधान के संशोधनों को छोड़कर तथा कर अधिकारी के विवेकाधिकार का प्रावधान हटाते हुए कर की प्रक्रिया को सरल बनाकर सरकार ने निवेशकों का विश्वास पुनः बहाल करने हेतु कर संबंधी निश्चितताएं लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है।

यह देखते हुए कि मजबूत बुनियादी ढांचा निवेश आकर्षित करने के लिए पहली शर्त है, बजट ने 2.21 लाख करोड़ रुपये अर्थात् आवंटन का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित किया है। सड़कों, रेल, बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के बेहतर जाल पर अधिक ध्यान देने से वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा। डेवलपर्स तथा व्यक्तियों को कर छूट देते हुए किफायती आवास पर ध्यान देने से भी इस क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।

स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, कारोबार करने में सुगमता तथा कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ सरकार द्वारा अपनाए गए नौ स्तंभों के दृष्टिकोण ने वास्तविक भारत की वास्तविक चिंताओं के समाधान का प्रयास किया है और इसकी दीर्घकालिक वृद्धि हेतु खाका तैयार कर दिया है।

सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

IAS/PCS



ISO 9001 : 2008 Certified

Managing Director  
Niraj Singh

Committed to Excellence

Co-ordinator  
Divyasen Singh

Delhi Centre

सामान्य अध्ययन  
निःशुल्क परिचर्चा **10** मार्च  
6:30 pm

Allahabad Centre

सामान्य अध्ययन  
**11** मार्च  
8:00 am

Lucknow Centre

सामान्य अध्ययन  
**14** मार्च  
8:30 am  
& 5:30 pm

All India Pre. Test Series

General Studies & CSAT

Bilingual Test Papers

For IAS-2016

Total Test-16

Registration Open...

**6**

Starts From

**Mar. 11.30 AM**



WhatsApp No. 9654349902



<http://www.gsworldias.com>



<http://www.facebook.com/gsworld1>

DELHI CENTRE

705, 2nd Floor, Main Road,  
Mukherjee Nagar, Delhi - 9

PH. 011-27658013, 7042772062/63

ALLAHABAD CENTRE

GS World House, Stainly Road,  
Near Traffic Choraha, Allahabad

PH. 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE

A-7, Sector-J, Near Puraniya  
Chauraha, Aliganj, Lucknow

PH. 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE

1-A, Dayal Nagar, Near Narayan  
Niwas, Gopalpura Bypass, Jaipur.

7240717861, 7240727861, 9654349902



## गांव और किसान का बजट

अश्विनी महाजन



**आमतौर पर बजट से नागरिकों व अन्य सभी अंशधारकों की अपेक्षाएं असीम रहती हैं। एक ही साथ सबको साधना आसान काम नहीं। फिर भी, सरकार ने संतुलन साधने की भरपूर कोशिश की है। असें बाद केंद्रीय बजट का रुख गांवों की ओर मोड़ देना एक साहसिक कदम है। लेकिन बजटीय प्रावधानों के अलावा सरकार को नीतिगत स्तर पर भी कई तरह के साहस दिखाने होंगे। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ ही बाज़ार की विवशता को साधने की कोशिश करनी होगी। तभी इस साहस के पीछे की सोच अपनी मंजिल हासिल कर सकेगी**

**आ**ज जब दुनिया भर में मंदी का माहौल है, दुनिया का ग्रोथ इंजन कहलाने वाला देश चीन भी भारी संकट से गुजर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार लगातार दूसरे साल 7.5 प्रतिशत के आस-पास की जीडीपी ग्रोथ की दर आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूलता का आभास दे रही है। वित्त राज्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि दुनिया भर की आर्थिक उथल पुथल के सामने भारत स्थायित्व का स्वर्ग बनकर उभरा है। यही नहीं काफी समय से लगातार घटती तेल की कीमतों ने भी विदेशी भुगतान शेष के घाटे में तो भारी राहत दी ही हुई है, भारत सरकार ने घटती तेल कीमतों का लाभ उठाते हुए, पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर अपने पेट्रोलियम राजस्व को दुगना कर दिया और साथ ही पेट्रोलियम पर वास्तविक सब्सिडी भी खासी कम हो गई है। घटती तेल कीमतों के चलते हमारा भुगतान शेष घाटा जो 2012-13 में जीडीपी के लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच चुका था, वह 2015-16 में जीडीपी के लगभग 1.4 प्रतिशत तक तो पहुंचा ही, साथ ही साथ 2014-15 की तुलना में 341.6 अरब डालर की अपेक्षा जनवरी 2016 तक हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 349.6 अरब डालर तक पहुंच गया। उधर मंहगाई के मोर्चे पर भी अनुकूलता है, क्योंकि थोक मंहगाई में वृद्धि दर तो लगातार शून्य से नीचे चल रही है और उपभोक्ता मंहगाई की दर भी 5 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि दो साल पहले तक यह दो अंकों में पहुंच गई थी।

कुछ खास बातें जो आर्थिक स्थिति में खुशनुमा माहौल बना रही है, वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि और ग्रामीण विकास पर बढ़ता हुआ खर्च। पिछले वर्षों में जो यह खर्च स्थिर सा हो गया था, उसमें इन मदों पर क्रमशः 4.7 प्रतिशत, 9.0 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत खर्च बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने के कारण उसमें उल्लेखनीय प्रगति से किसानों की आमदनी बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। बागवानी उत्पादन 282.5 मिलियन टन पहुंच रहा है, जो खाद्यान्न उत्पादन से भी ज्यादा है। सेवा क्षेत्र में भी 9 प्रतिशत से ज्यादा संवृद्धि दर भी अर्थव्यवस्था में स्पंदन का आभास दे रही है।

ऐसी परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था का हर वर्ग बजट से ज्यादा हिस्सा चाहता था। मध्यम वर्ग आयकर की स्लैब को बढ़ाने की अपेक्षा कर रहा था, तो उद्योग सोच रहा था कि मेक इन इंडिया के लिए किस प्रकार की छूटें दी जाएंगी, गरीब की अपेक्षा थी कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च बढ़ाएगी। शेर बाजार के लोग जो जबरदस्त घाटे से गुजर रहे थे, सोच रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करे ताकि शेर बाजार दोबारा बढ़ जाए।

### खेती-किसानी का बजट

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी की नीति को विराम लगाते हुए, एक लंबे समय के बाद कोई सरकार बजट में प्रावधान लेकर आई है। 2016-17 में कृषि और किसान कल्याण के लिए 35984 करोड़ रुपये का प्रावधान

लेखक पीजीडीएवी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पुस्तकें-इकनॉमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकनॉमेट्रिक्स, एन्वायरमेंटल इकनॉमेट्रिक्स, एनसाक्लोपीडीया ऑफ वर्ल्ड इकनॉमेट्रिक्स क्रिसीस (दो भागों में) इत्यादि। सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में आर्थिक विषयों पर लेखन के साथ ही वह जर्नल ऑफ कंटेम्प러리 इंडियन पॉलिटि एंड इकनॉमी के मुख्य संपादक भी हैं। ईमेल: ashwanimahajan@rediffmail.com

बजट में है, जो पिछले साल से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा 2.23 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान केंद्र से किया जाएगा। सिंचाई के लिए 'नाबार्ड' के अंतर्गत सिंचाई फंड जिसकी

**बजट में किए गए प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए एक बेहतर कदम हैं। गांवों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना, जिसे रू-अरबन स्कीम कहा जा रहा है, एक अच्छी पहल है लेकिन गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इन सब बातों के अलावा रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराने की खास जरूरत है।**

20 हजार करोड़ की निधि में से 12,517 करोड़ रुपये बजट में से दिए गए हैं। इसके अलावा 6000 करोड़ रुपये की लागत वाली भू-जल संरक्षण हेतु सिंचाई परियोजनाएं, 5 लाख तालाब और कुएं और जैविक खाद के लिए 10 लाख गद्दे बनाना और इसे मनरेगा से जोड़ना, ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी पहल मानी जा सकती है।

फसल बीमा योजना की एक बड़ी पहल जिसकी घोषणा बजट से पहले ही हो गई, के लिए 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान, 9 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋणों की योजना जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम बजट में उठाए गए हैं। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत, पंचायतों और नगरपालिका के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसका मतलब है 80 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत और 21 करोड़ रुपये प्रति ग्रामपालिका। अगले हजार दिनों में सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने निधारित किया है।

अगले 5 वर्षों में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात 2016-17 के बजट में कही गई है पिछले 25 वर्षों की भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नई आर्थिक नीति के चलते खेती और किसानों की शायद नीति-निर्माताओं की प्राथमिकताओं से गायब हो चुके थे। एक वक्त था जब खेती-किसानी के लिए बजट के एक चौथाई हिस्से से ज्यादा खर्च किया

जाता था। यदि मनरेगा समेत ग्रामीण विकास के लिए किए जाने वाले खर्च को शामिल न करें तो वर्ष 2014-15 तक आते-आते वह घटकर सवा फीसदी तक पहुंच गया। ऐसे में खेती का पिछड़ना स्वभाविक ही था। सरकार गेहूं, चावल और कुछ अन्य जिनसे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती थी। यह सही है कि पिछले साल भी खाद के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी खेती पर किए जाने वाले खर्च से भी लगभग तीन गुणी रही लेकिन सरकार का अपना ही आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 यह बतला रहा था कि खाद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का लगभग एक तिहाई हिस्सा ही किसानों तक पहुंचता है और दो तिहाई कहीं बीच में ही गायब हो जाता है। खाद के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी (जो पिछले साल 72400 करोड़ से भी ज्यादा थी। किसानों को नहीं, खाद कंपनियों को पहुंचती रही है, जिसका फायदा किसानों तक बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है।

### गांवों में रोजगार सृजन की भी जरूरत

खेती-किसानी की अनदेखी के चलते ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी रूका था और रसायनिक खादों, बीजों और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों और अन्य लागतों के कारण, एक ओर कृषि लागत बढ़ी और दूसरी ओर कृषि उपज का सही मूल्य न मिलने के कारण खेती घाटे का सौदा बन गया। कृषि क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र की तुलना में आमदनियां घटी, जो इस बात से स्पष्ट है कि कुल जीडीपी में कृषि का योगदान अब घटकर मात्र 15 प्रतिशत से भी कम रह गया। किसानों की संतानें अब खेती करना नहीं चाहती। बड़ी संख्या में किसान कर्ज में डूब आत्महत्याएं कर रहे हैं। खेती में रोजगार के अवसर बढ़ने के बजाय घट ही रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास रोजगार गारंटी देकर उन्हें सालभर में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। रोजगार गारंटी की मनरेगा योजना भी ऐसी, जिससे कोई नई रचनाएं नहीं खड़ी होती, विकास योजनाओं से उसका कोई संबंध भी नहीं। हां, यह जरूर हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोगों के लिए कुछ आमदनी का सहारा बना लेकिन गांवों में लाभकारी रोजगार बढ़ाने में हम असफल रहे।

बजट में किए गए प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए एक बेहतर कदम है। गांवों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना, जिसे रू-अरबन स्कीम कहा जा रहा है, एक अच्छी पहल है लेकिन गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इन सब बातों के अलावा रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराने की खास जरूरत है। खेती-किसानी केवल खाद्यान्न दालें, तिलहन और नकद फसलें उगाने का ही नाम नहीं है। भारत में पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यन, आटा-चक्की, कोल्हू इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में रोजगार प्रदान करने वाले उद्योग रहे हैं। यह सही है कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में डेयरी उद्योग खासा पनपा है। देश में कुल दूध और उसके उत्पादों का बाजार 4 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है लेकिन इसका भी विस्तार पूरे देशभर में एक जैसा नहीं है। पशुपालन से भारी मात्रा में लाभकारी रोजगार का सृजन हो सकता है। कृषि उपज एवं सह-उत्पादों/कृषि अपशिष्ट पर आधारित कई रोजगार जैसे, मुर्गीपालन, खुम्भ उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खाद उत्पादन, मत्स्यन जैसे लाभकारी रोजगारों की असीम संभावनाएं हैं। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की सुविधा न होने के कारण आज देश में

**पिछली एनडीए सरकार में एक लक्ष्य सोचा गया था कि एक करोड़ लोगों को हर साल अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उस समय के योजना आयोग के सदस्य एसपी गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के रोजगार सृजन हेतु इंगित किया था। आवश्यकता इस बात की है कि पुराने योजना आयोग की अलमारियों में से उस रिपोर्ट को निकाला जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक रोड मैप तैयार हो।**

भारी मात्रा में कृषि वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की भारी जरूरत है, जिसे बढ़ावा देकर रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है और आमदनी भी।

दुर्भाग्य का विषय है कि इन सभी अवसरों को पिछले 25 सालों की नई आर्थिक नीति के चलते हमने गंवा दिया था। आज जब सरकार ग्रामीण विकास की सुध ले रही है, जरूरत इस बात की भी है कि इन अवसरों का सही उपयोग हो। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पिछली एनडीए सरकार में एक लक्ष्य सोचा गया था कि एक करोड़ लोगों को हर साल अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उस समय के योजना आयोग के सदस्य एसपी गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के रोजगार सृजन हेतु इंगित किया था। आवश्यकता इस बात की है कि पुराने योजना आयोग की अलमारियों में से उस रिपोर्ट को निकाला जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक रोड मैप

**राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों समेत सभी सड़कों पर 55 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान, रेलवे पर 1.21 लाख करोड़ रुपये समेत कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2.21 लाख करोड़ रुपये का कुल खर्च अभी तक का रिकार्ड माना जा सकता है।**

तैयार हो। ऐसा करने पर वास्तव में किसानों की आमदनी अगले पांच सालों में दुगुनी तो क्या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल सकती है।

‘मेक इन इंडिया’ स्कीम के तहत यह कहा जा रहा है कि मैनुफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान वर्तमान में 15 प्रतिशत से बढ़ाकर अगले कुछ वर्षों में 25 प्रतिशत तक किया जा सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कृषि और सहायक उद्योगों का जीडीपी में योगदान वर्तमान में 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। सरकार डेयरी को भी कृषि का दर्जा दे, खुम्भ उत्पादन, मधुमक्खी पालन और तमाम कृषि आधारित कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए कौशल विकास की योजना बने और खेती-किसानी दुबारा से लाभ का सौदा बने, तभी हमारे गांवों में खुशहाली आ सकती है, गांवों से शहरों की ओर पलायन रूक सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं भी विकसित हो सकती है। यह भी जरूरी

है कि सरकार द्वारा किसान को भेजे जाने वाले पैसे में रिसाव न हो, इसके लिए जैम यानि जन-धन योजना के अंतर्गत खुले बैंक एकाउंट, आधार और मोबाइल बैंकिंग के आधार पर किसानों को सीधे सब्सिडी पहुंचे और उसे न तो कंपनियां हड़प कर सकें और न ही बिचौलिए, ऐसी भी व्यवस्था तकनीक के माध्यम से करनी होगी।

### कारपोरेट छूटों में कमी

बजट आने के बाद मध्यम वर्ग कुछ निराश है, क्योंकि आयकर की स्लैब नहीं बढ़ी और 5 लाख तक आमदनी पाने वालों को मात्र 3000 रुपये की कर की छूट मिली। बड़े कारपोरेट भी खुश नहीं हैं, क्योंकि पिछले बजट की घोषणा के अनुरूप कारपोरेट टैक्स नहीं घटाया गया है और साथ ही कारपोरेट को दी जा रही रियायतों को भी घटा दिया गया है। यह सही है कि मध्यम वर्ग की आयकर स्लैब बढ़ाने की अपेक्षा इसलिए भी सही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने से पहले इस प्रकार का वायदा जनता से किया था। जहां तक कारपोरेट टैक्सों का सवाल है हम देखते हैं कि बड़े-बड़े कारपोरेट तरह-तरह की छूटें प्राप्त कर अपने लाभों को बढ़ा रहे थे और उनकी संपत्तियां बढ़ती जा रही थी। मंदी का बहाना बनाकर बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी नकदी का उपयोग पूंजी निर्माण में नहीं कर रही हैं। इन हालातों में वित्तमंत्री ने कारपोरेट को दी जाने वाली कई छूटों को वापिस लिया है। कंपनियों को यह कहा गया है कि यदि वे घटी हुई दर पर टैक्स देना चाहती हैं तो घिसावट और निवेश भत्ते के रूप में जो छूटें लेती थी, वो बंद करें लेकिन 5 करोड़ से कम की टर्न-ओवर वाली कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 29 प्रतिशत कर दिया गया है।

### इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर भी है ध्यान

वित्तमंत्री ने बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है। न केवल पिछली लंबित परियोजनाएं पूरी हुई हैं, बल्कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों समेत सभी सड़कों पर 55 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान, रेलवे पर 1.21 लाख करोड़ रुपये समेत कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2.21 लाख करोड़ रुपये का कुल खर्च अभी तक का रिकार्ड माना जा सकता है। जलपोतों और हवाई

अड्डों का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कुछ सराहनीय कदम माने जा सकते हैं। यात्री परिवहन के क्षेत्र में परमिट राज की समाप्ति की ओर भी यह बजट कदम बढ़ा रहा है, जिससे सड़क यातायात में विकास संभव है।

### स्टार्ट-अप के लिए शुभ बजट

व्यवसाय करने की आसानी यानि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया के 130वें पायदान पर खड़ा है। एक साल पहले यह 142वें स्थान पर था। इसका मतलब यह कि भारत में व्यवसाय करना बहुत कठिन है। व्यवसाय शुरू करने से पहले उधार लेना, जमीन खरीदना, फैक्ट्री/ऑफिस बनाना, बिजली का कनेक्शन लेना, व्यवसाय का लाइसेंस लेने जैसे प्रारंभिक कार्यों की सुविधा के संदर्भ में भारत दुनिया के अन्य मुल्कों की तुलना में कहीं पीछे है, तो फिर व्यवसाय शुरू होने के बाद उद्यमी को

**व्यवसाय करने की आसानी यानि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया के 130वें पायदान पर खड़ा है। एक साल पहले यह 142वें स्थान पर था।**

तरह-तरह के वैधानिक बाधाओं से गुजरना पड़ता है, इंस्पेक्टरों से निपटना पड़ता है और यही नहीं अत्यंत अनावश्यक श्रम एवं पर्यावरण कानूनों से भी निपटना पड़ता है। ऐसे में स्टार्ट-अप की यह मुहिम उद्यमियों को उस जंजाल से मुक्ति दिलाने का प्रयास है।

योजना के मुताबिक किसी भी नए उद्यम को शुरू करने के लिए प्रोत्साहनों की बात कही गई है। तीन साल तक कोई टैक्स नहीं, पूंजीगत लाभों पर कर में राहत, श्रम और पर्यावरण कानूनों के पालन में स्वयं प्रमाण पत्र देने का प्रावधान, तीन साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं, सरकारी ठेकों में भागीदारी के लिए कोई टर्न ओवर या अनुभव की अनिवार्यता नहीं, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, 90 दिन के नोटिस पर बिजनेस बंद करने की छूट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस में 80 प्रतिशत छूट समेत कई प्रावधान इस स्कीम में शामिल हैं। नए उद्यमियों यानि ‘स्टार्ट-अप’ के लिए 10,000 करोड़ रुपये की निधि और क्रेडिट गारंटी योजना भी बनाई जाएगी।

## गरीबों के लिए खास प्रावधान

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले डेढ़ करोड़ लोगों के लिए एलपीजी कनेक्शन हेतु 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान, गरीबों के लिए एक लाख रुपये की राशि और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 130000 रुपये की राशि तक स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम, आम जन के लिए 3000 जन औषधी केंद्र खोलने की योजना, 4950 डायलसिस केंद्रों की स्थापना, अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष योजना आदि कुछ अच्छी योजनाएं रखी गई हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में घरेलू बचत, पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। देश में जीडीपी का लगभग 35 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा पूंजी निर्माण होता है, जिसमें से 32-33 प्रतिशत या कभी-कभी उससे भी ज्यादा घरेलू बचत की हिस्सेदारी होती है।

कर्मचारियों और श्रमिकों पर कर का बोझ डालने के बजाए, सरकार का यह दायित्व बनना है कि ऐसे लोगों से कर वसूला जाए जो उसे देने की क्षमता रखते हैं। देखा जाए तो सरकार पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के नाम पर कंपनियों को विविध प्रकार की छूटें प्रदान करती है। इसके अलावा इन कंपनियों को आयात कर और एक्सआईज ड्यूटी से भी कई छूटें दी जाती हैं। कारपोरेट को लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की विविध प्रकार की छूटें दी जाती हैं। इसलिए समान वितरण के सिद्धांत के अनुसार भी कारपोरेट की छूटों को कम करते हुए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की दरकार है।

## खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग में एफडीआई

देश गवाह है कि पिछली यूपीए सरकार जब खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की नीति को अनुमति का बिल लेकर आई तो उसका विरोध भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने किया। हालांकि राजनीतिक बहुमत उस बिल के साथ नहीं था, उस समय राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थों के कारण उस बिल से अनुपस्थित रहकर या अपने विचारों के विरुद्ध भी समर्थन देकर जब पारित करवाया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में जीतने पर इस नीति को बदलने की बात कही थी। चुनाव जीतने के बाद हालांकि सरकार

ने नीति नहीं बदली लेकिन संबंधित मंत्रियों ने यह बारंबार कहा कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन इस बजट में अचानक भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा ने देश को स्तब्ध कर दिया है। घोषित नीति के अनुसार अब विदेशी कंपनियां खाद्य पदार्थों की बिक्री कर सकेंगी यानि सीधे तौर पर यह खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने वाली नीति है। इस नीति के कारण देश में करोड़ों छोटे दुकानदारों के रोजगार पर तो प्रभाव पड़ेगा ही साथ ही किसान भी विदेशी कंपनियों के रहमों-करम पर आ जाएंगे।

## प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन ( ₹ करोड़ )

योजनाएं/विभाग	राशि
कृषि व सिंचाई आवंटन	47912
स्थानीय निकायों को सहायता	287000
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1771
डिजिटल इंडिया (केन्द्रीय व्यय)	2059
मनरेगा	38500
शिक्षा व स्वास्थ्य आवंटन	151581
नमामि गंगे परियोजना	2250
अवसंरचना विकास	221246
बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	25000
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	27000

[www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in) पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संकलित

## क्या हो आर्थिक सुधारों की दिशा?

गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यूरिया सब्सिडी का 65 प्रतिशत हिस्सा बीच में ही गायब हो जाता है। ऐसे में सरकार यदि किसान को सीधे सब्सिडी दे तो यह लीकेज खत्म हो सकती है। सरकार को ध्यान देना होगा कि भूमंडलीकरण के बाद असमानताएं बढ़ी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि जहां 1998 में ऊपर के 1 प्रतिशत लोगों की आमदनी कुल आमदनी का 9 प्रतिशत होती थी, 2012 में वह 12.9 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि करों में रियायतों का लाभ अत्यंत धनाढ्य लोगों को ही मिलता है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्थिक सुधारों की दिशा ऐसी हो जिसमें गरीबी घटे, असमानताएं घटे और अमीरों द्वारा खजाने की लूट भी रुके।

सब्सिडी नीति में बदलाव हो और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचे। चीन के आर्थिक संकट का लाभ उठाने के लिए देश में

निवेश के वातावरण को बेहतर बनाने की जरूरत है, यह सब जानते हैं लेकिन यह वातावरण विदेशियों के लिए नहीं, भारत के युवा उद्यमियों के लिए होना चाहिए। अरविंद सुब्रमण्यम ने सही कहा है कि ब्याज दरों को घटाने की जरूरत है ताकि देश में निवेश को बढ़ावा मिले। कृषि को वर्षा पर निर्भरता से भी मुक्त करने की जरूरत है और इसके लिए सिंचाई की सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ाना होगा। आज देश का आम आदमी स्वास्थ्य सुविधाओं की महंगाई से ग्रस्त है और कई बार तो अपने प्रियजनों को बचाने के लिए वह अपनी संपत्ति तक बेच देता है। देश में अभावों की बढ़ोतरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ा कारण है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने होंगे। कंपनियां दवाईयों की कीमतें ना बढ़ा पाएं यह तो करना ही होगा, साथ ही स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाकर सरकारी अस्पतालों का जीर्णोद्धार भी करना होगा। □

### फार्म-4

#### योजना ( हिंदी ) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण

1. प्रकाशन का स्थान : नयी दिल्ली
2. प्रकाशन की अवधि : मासिक
3. मुद्रक का नाम : डॉ. साधना राउत  
नागरिकता : भारतीय  
पता : 665 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
4. प्रकाशक का नाम : डॉ. साधना राउत  
नागरिकता : भारतीय  
पता : 668 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5. प्रकाशक का नाम : ऋतेश पाठक  
नागरिकता : भारतीय  
पता : 648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
6. उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली- 110001

मैं, डॉ. साधना राउत, एतत् द्वारा घोषणा करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।



( डॉ. साधना राउत )  
प्रकाशक

# केंद्रीय बजट: कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी

सी एस सी शेखर



केंद्रीय बजट 2016-17 कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में अत्यधिक उत्साहवर्धक दृष्टिगत होता है। इसमें कृषि विकास के दीर्घकालीन मुद्दे को संबोधित करने के लिए कई नई पहल की गई हैं, खासकर सिंचाई के क्षेत्र में। लगातार सूखे के कारण कृषि क्षेत्र में आई सुस्ती के मद्देनजर इस बजट को देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग न करने के कारण किसानों को सरकारी योजनाओं के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती। इसका कारण विस्तार सेवाओं का न होना भी है। यह आवश्यक है कि कृषि के विकास के लिए विस्तार सेवाओं में सुधार किया जाए

**11** वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्साहजनक प्रदर्शन के बाद कृषि विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा। वर्ष 2012-13 में कृषि विकास दर 1.5% थी और इसके अगले दो साल क्रमशः 4.2% और -0.2% पर पहुंच गई थी। सीएसओ के ताजा अनुमानों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2015-16 में 1.1% के साथ इसमें केवल मामूली सुधार होगा। इस मंदी के लिए पिछले दो सालों का सूखा जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त सिंचाई से लेकर मार्केटिंग जैसी संरचनात्मक समस्याएं भी इसका कारण हैं। वर्तमान बजट में इन दीर्घकालीन मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है। व्यापक स्तर पर सकारात्मक पहल की गई है जोकि सिंचाई, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग से संबंधित हैं।

बजटीय आवंटन का सकारात्मक प्रभाव तब स्पष्ट होता है जब उसे समग्र कृषि विकास, खाद्य उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखा जाए। 90 के दशक के मध्य में देश ने कृषि विकास दर में स्थिरता और खाद्य उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना किया। वित्त वर्ष 1997-1998 से 2004-05 के दौरान कृषि जीडीपी की विकास दर प्रतिवर्ष औसतन 2.2% थी। यह हरित क्रांति के पूर्व कायम विकास दर के बराबर थी। खाद्य उत्पादन में भी तेजी से गिरावट हुई थी। इस प्रतिकूल स्थिति का कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश लगातार कम हो रहा था। साथ ही कृषि मुनाफे में गिरावट के कारण आगत भी कम था। वर्ष 2005-06 में परिवर्तन का पहला संकेत मिला, जब राज्यों के सहयोग से आगत में सुधार हुआ। इसके बाद वर्ष 2007-08 में

प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों से इस विकास को गति मिली। राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रमों (आरकेवीवाई) और खाद्य उत्पादन (एनएफएसएम) में लक्षित वृद्धि से इस क्षेत्र में बढ़त हुई। पिछले कुछ वर्षों में इन कार्यक्रमों ने कृषि विकास में सहायता की। हालांकि उत्पादन और मार्केटिंग संबंधी अड़चनें अब भी इस क्षेत्र को परेशान कर रही हैं। मौजूदा बजट में इन क्षेत्रों में पहल की गई है।

## सिंचाई

भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं में से एक यह है कि यह मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। देश में केवल 45% कृषि भूमि सिंचित है जिसके कारण उत्पादन में व्यापक स्तर पर अनिश्चितता कायम है। इस बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से इस समस्या को हल करने की कोशिश की गई है। 17,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस प्रमुख सिंचाई योजना का लक्ष्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाना है। इसके अतिरिक्त त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 89 पुरानी सिंचाई योजनाओं को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव भी है जिससे 81 लाख हेक्टेयर भूमि के लाभान्वित होने की संभावना है। 6,000 करोड़ रुपये की लागत से भूजल संसाधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत कृषि तालाबों को सुधारने, गाद निकालने और कुएं खोदने जैसे पूरक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 25,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित दीर्घकालीन सिंचाई फंड

लेखक आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनुप्रयोगिक अर्थशास्त्र उनकी पसंद के शोध विषय हैं। वह फुलब्राइट-नेहरू फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं। वह पांचवे और नौवें ग्लोबल डवलपमेंट नेटवर्क में अपने उत्कृष्ट शोध के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं। ईमेल: csekhar@iegindia.org

के साथ इन सभी प्रयासों से कृषि विकास को बल मिलेगा।

## ऋण और बीमा

क्रेडिट संबंधी चिंता भी कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अड़चन है। हालांकि कृषि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि ऋण का अनुपात 1999-2000 में 10% से बढ़कर 2012-13 में 38% हो गया लेकिन हाल के वर्षों में दीर्घकालीन ऋण की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट हुई। यह 2006-07 में 55% से गिरकर 2011-12 में 39% हो गया। दीर्घकाल में क्षेत्र के हित के लिए इसे रोके जाने की जरूरत है। संभवतः इसीलिए मौजूदा बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य पिछले वर्ष के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों को राहत देने के लिए ब्याज छूट के रूप में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हालांकि, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि असली पैदावार करने वालों की पहुंच कृषि ऋण तक हो, जोकि जमीन के कानूनी अधिकार या औपचारिक काश्तकारी पर निर्भर करता है।

मौसम की मनमानी के कारण फसल को नुकसान होता है और किसानों की हालत खराब होती है। इसके लिए हाल ही में एक नई बीमा योजना (पीएमएफबीवाई या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) की घोषणा की गई है। इस नई फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत फसल नष्ट होने पर खाद्यान्न और तिलहन के लिए 2% और बागवानी फसलों और कपास के लिए 5% के अल्प प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है। योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसके प्रीमियम पर कोई कैप नहीं है और इसलिए, बीमाकित राशि की कोई कटौती नहीं की जाती।

उर्वरक सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एक पायलट परियोजना भी प्रस्तावित की गई है जिसमें उर्वरक सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित कर दी जाती है। सरकार द्वारा अनेक सकारात्मक कदम उठाने के बावजूद वास्तविक कार्यान्वयन भूमि के औपचारिक अधिकार या काश्तकारी की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम इस विषय पर अधिक विस्तार से आगे चर्चा करेंगे।

## खरीद, वितरण और मार्केटिंग

एक दिलचस्प प्रस्ताव राज्यों को ऑनलाइन खरीद और पारदर्शी तंत्र के माध्यम से विकेंद्रीकृत खरीद के लिए प्रोत्साहित करना है। खरीद के जरिये दालों का बफर स्टॉक बनाना भी प्रस्तावित है। उचित दर की 3 लाख दुकानों को स्वचालित करने की योजना भी है (देश में उचित दर की कुल 5.35 लाख दुकानें हैं)। जुलाई 2015 में 200 करोड़ रुपये के बजट के साथ कैबिनेट ने एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईटीएफ) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) की स्थापना को मंजूरी दी थी। मौजूदा बजट में इस योजना के तहत 585 विनियमित बाजारों को कनेक्ट करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसमें कई तरह के अवरोध हैं। इसे सभी राज्यों में लागू करने के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (एपीएमसी) को संशोधित करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त



ग्राफिक: [www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in)

इसके लिए राज्य में वैध एकल लाइसेंस प्रणाली को विकसित करना होगा। साथ ही बाजार शुल्क के सिंगल प्वाइंट लेवी और कीमत पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली का प्रावधान करना होगा। वर्तमान में केवल 12 राज्यों ने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन किया है और इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी होगी।

एक बड़ी समस्या यह है कि भारत में बागवानी क्षेत्र को फसल कटाई के बाद की बर्बादी भी झेलनी पड़ती है। अनुमान है कि देश में फलों के कुल उत्पाद का 20-22% से भी अधिक हिस्सा फसल कटाई के बाद के चरणों में होने वाली बर्बादी के कारण खराब हो जाता है (एपीडा, 2007)। यहां तक कि नवीनतम अनुमान बताते हैं कि फल और सब्जियों में अपव्यय लगभग 15% है (आर्थिक

सर्वेक्षण 2015-16, खंड 2, पृ. 115)। यह अपव्यय बहुत अधिक है जिसे कम किया जाना चाहिए। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग में 100% एफडीआई की अनुमति के निर्णय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा कुछ हद तक अपव्यय को कम करने में मदद मिलेगी।

## ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास के लिए कुल आवंटन 87,765 करोड़ तक बढ़ाया गया है जिसमें से 38,500 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा आवंटन पंचायतों और नगर पालिकाओं को दिया जाने वाला अनुदान है जोकि 2.87 लाख करोड़ रुपये के करीब है। यह प्रति ग्राम पंचायत लगभग 80 लाख होता है जोकि काफी अधिक है। पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। साथ ही, हाल के वर्षों में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र और ग्रामीण निर्माण, विशेष रूप से परिवहन और सेवा क्षेत्र, गांवों में गैर-कृषि रोजगार का मुख्य स्रोत रहे हैं। आवंटन में वृद्धि से ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में व्यय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेगा।

## कमजोर कड़ियां

यह बजट निम्नलिखित पहलुओं पर कमजोर दिखता है:

सबसे पहला मुद्दा कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता से जुड़ा हुआ है। बेशक, कृषि राज्य का विषय है और इस क्षेत्र में विकास हासिल करने के लिए राज्यों को निवेश बढ़ाने की जरूरत है। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में निवेश में गिरावट आई है। कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (कृषि में सकल मूल्य संवर्धन का प्रतिशत) वर्ष 2011-12 में 18.3% से गिरकर वर्ष 2014-15 में 15.8% पहुंच गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निवेश में तेज गिरावट वर्ष 2004-05 में तेज वृद्धि के एकदम विपरीत है। पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि में कमी को निवेश में मंदी से जोड़ा जा सकता है। बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के प्रस्तावों/प्रोत्साहनों की कमी है।

दूसरा मुद्दा टॉप डाउन अप्रोच से संबंधित है। भारत में विभिन्न राज्यों में कृषि-जलवायु परिस्थितियों में बहुत अंतर है। मौजूदा बजट में प्रस्तावित व्यापक सिंचाई कार्यक्रम, फसल बीमा कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रमों के सफल होने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जाए। इन प्रमुख कार्यक्रमों में अंतर्निहित रवैया इस क्षेत्र के विकास के अनुकूल नहीं हो सकता। इसके लिए आरकेवीवाई के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गई जिला कृषि योजनाओं (डीएपी) में शामिल क्षेत्र विशिष्ट जानकारी का उपयोग किया जा सकता है (सेन, 2016)।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्रेडिट, डीबीटी या बीमा की प्रस्तावित पहल की सफलता काश्तकारी संबंधी सुधारों और जमीन के रिकॉर्डों के आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है। इसके लिए लाभार्थियों की सही पहचान की जानी चाहिए। इन प्रस्तावों की कामयाबी के लिए जमीन के रिकॉर्डों का आधुनिकीकरण, सुरक्षित संपत्ति के अधिकारों की स्थापना और काश्तकारी संबंधी सुधार अनिवार्य हैं। काश्तकारी कानूनों में सुधार के लिए काश्तकारी समझौतों को औपचारिक बनाने की जरूरत है। इससे असली किसान के लिए ऋण लेना आसान होगा। इसी तरह, फसल बीमा जैसे कार्यक्रम के लाभार्थियों की आसान पहचान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण काश्तकारी सुधारों के अन्य लाभ हैं। वर्तमान में कानून सम्मत मालिकों को लाभ मिलते हैं, असली किसान को नहीं। एक अन्य

**क्रेडिट, डीबीटी या बीमा की प्रस्तावित पहल की सफलता काश्तकारी संबंधी सुधारों और जमीन के रिकॉर्डों के आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है। इसके लिए लाभार्थियों की सही पहचान की जानी चाहिए। इन प्रस्तावों की कामयाबी के लिए जमीन के रिकॉर्डों का आधुनिकीकरण, सुरक्षित संपत्ति के अधिकारों की स्थापना और काश्तकारी संबंधी सुधार अनिवार्य हैं।**

सुधार भूमि अधिकारों की उचित स्थापना के लिए जमीन के रिकॉर्डों का आधुनिकीकरण है। राज्यों द्वारा भू-राजस्व के डिजिटलीकरण और समतुल्यीकरण, भूमि पंजीकरण और जमीन संबंधी विवादों के रिकॉर्ड की तत्काल जरूरत है (नीति आयोग, 2015)।

अंतिम मुद्दा विस्तार सेवाओं के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस पर न तो पहले के बजटों में ध्यान दिया गया और न ही मौजूदा बजट में। यह कृषि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग न करने के कारण किसानों को सरकारी योजनाओं के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती। इसका कारण विस्तार सेवाओं का न होना भी है। यह आवश्यक है कि कृषि के विकास के लिए विस्तार सेवाओं में सुधार किया जाए।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना (आरकेवीवाई) राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के मुद्दे पर केंद्रित है (जब से कृषि राज्य का विषय है)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) ने पांच वर्षों की अल्पावधि में खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। □

#### संदर्भ

- एपीडा (2007), टेकिंग इंडियन फ्रोजेन प्रोडक्ट्स एक्सेस द ग्लोब, फ्रोजेन फल और सब्जियों पर रिपोर्ट, टेक्नोपेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जनवरी, 2007
- नीति आयोग (2015), रेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फार्मिंग रेमुनेरेटिव फॉर फार्मर्स, ओकेजनल पेपर, नीति आयोग 16 दिसंबर 2015
- सेन, अभिजीत (2016), सम रिफ्लेक्शंस ऑन एग्रीरियन प्रॉस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 20 फरवरी, अंक 51 सं. 8

# CHRONICLE IAS ACADEMY

A Civil Services Chronicle Initiative

## Prelims'16

Cracker Course

Exclusive Programme for  
General Studies & CSAT

Starts **12** March

## Personality Development Interview Guidance Programme for CSE-2015

**COMMENCEMENT DATE**  
(Submission of DAF)

**15**  
FEBRUARY

**Interview Counseling**  
with Bio-Data Analysis

**16**  
FEBRUARY

PROGRAMME CONVENER VIKASH RANJAN (IAS Mentor & Author)

**Admission Open**

**Ethics, Integrity & Aptitude**  
Preparatory Test Series

Test Starts on

**Complete - Updated Study Material**  
(Prepared by Chronicle Lexicon Editorial Team)

**22**  
FEBRUARY

**HOSTEL/P.G. FACILITY WILL BE ASSISTED**

Old Rajinder Nagar • North Campus

For Registration Call:

**Call: 8800495544**

**E-mail: info@chronicleacademy.com**

**Visit : www.chronicleias.com**

YH-326/2015



# CHANAKYA IAS ACADEMY®

SuccessGuru AK Mishra

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

under the direction of **Success Guru AK Mishra**

**OUR RESULT  
IN CIVIL SERVICES  
EXAMINATION 2014**

**5 in top 10**

**Rank 5, 6, 7, 9 & 10**

**Total selections 353**

**WEEKEND**

**BATCHES ALSO**

**AVAILABLE**

# IAS 2017

## UPGRADED FOUNDATION COURSE™

*A Complete Solution for Prelims, Mains & Interview*

**Batches: 28th March, 10th May  
10th June, 10th July & 10th August 2016**

## CIVIL SERVICES MOCK INTERVIEW

Interview board consists of members having real experience of Civil Services Interview including top retired IAS, IFS IPS, IRS Officers, Senior Psychoanalyst and **Success Guru AK Mishra**.

**Starts one week after mains result**

For Registration. Call: 09650299662/4

For Details. **Call: 011-65428647, 09971989980/81, 09811671844/45**

Log on: [www.chanakyaiasacademy.com](http://www.chanakyaiasacademy.com) | E-mail: [enquiry@chanakyaiasacademy.com](mailto:enquiry@chanakyaiasacademy.com)

**HO/South Delhi Branch:** 124, Satya Niketan, Opp. Venkateshwara College  
Near Dhaura Kuan, New Delhi-110021, Ph.: 011-64504615

**North Delhi Branch:** 1596, Outram Line, Kingsway Camp  
Delhi-110009, Ph.: 011-27607721



CHANAKYA  
IAS ACADEMY

*Nurturing Leaders of Tomorrow*

SINCE - 1993

Over **23** Years of excellence more than **3000** selections in IAS, IFS, IPS... so far

### Branches

**Ahmedabad:** 27437067, 7574824916-18 | **Chandigarh:** 4640005, 8288005466  
**Gurgaon:** 4111571, 8527509992 | **Guwahati:** 8811092481, 09650299662  
**Hazaribagh:** 263793, 9771869233, 9934540147 | **Jaipur:** 2709960, 9680423137  
**Jammu:** 09650299664 | **Patna:** 9905190260, 8800394501  
**Pune:** 26050271, 9011063577 | **Ranchi:** 6572979, 9204950999, 9771463546



## किसान, गांव और गरीब के सम्मान का ख्याल

आलोक कुमार



पच्चीस वर्ष पहले 1991 में नई अर्थनीति लागू होने के बाद से बाजारोन्मुखी बजट से किसान परेशान थे। गांव उपेक्षित महसूस कर रहे थे। रेल और आम बजट की तर्ज पर संसद के पटल पर अलग से गांव और किसान की सुधा के लिए अलग कृषि बजट पेश करने की मांग होने लगी थी। वर्षों बाद सरकार ने मौजूदा वित्तीय बजट में कृषि विकास को प्रधानता देकर शिकायत दूर करने का जतन किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में 35 हजार 984 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह धनराशि बीते पांच वर्षों में कृषि पर किए गए आवंटन की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है

**दे** श के आम बजट की दिशा किसानों और गांव की ओर मोड़ दी गई कृषि और किसान कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में 35 हजार 984 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह धनराशि बीते पांच वर्षों में कृषि पर किए गए आवंटन की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है। गांवों को रोजगारोन्मुख बनाने की योजनाओं को खास तरजीह दी गई है। इतना ही नहीं अन्नदाता यानी किसान और कृषि का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देशवासियों पर आयद कर दी गई है। पहली जून 2016 से करयुक्त सेवाओं पर अब अलग से आधा प्रतिशत किसान कल्याण अधिभार लगेगा। साथ ही काले धन को सफेद करने वालों पर कुल रकम का सात प्रतिशत किसान कल्याण अधिभार लगाया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुसार यह अगले पांच वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया है। बीते कई वर्षों से उपेक्षित कृषि क्षेत्र को सुधार के रास्ते पर लाने के लिए भागीरथ प्रयास की जरूरत थी।

वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धा के दौर में सबसे तेज विकास गति से चल रहे देश के बजट को अभूतपूर्व तरीके से किसान, गांव और गरीब उन्मुख कर दिया गया। यह राष्ट्र विकास की आधारभूत संरचना को ठीक करने की पहल है। गांवों में भारत की साठ फीसदी आबादी रहती है। वित्त मंत्री के बजटीय भाषण के पहले से लेकर आखिरी पृष्ठ तक किसान, सिंचाई, फसल और वंचितों तक सुविधा पहुंचाने का जिक्र होता रहा। किसानों की आय में प्रति इकाई उपज बढ़ाना, किसानों को

उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना, पशुधन-डेरी एवं मात्स्यकी के अलावा कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को जाहिर किया जाता रहा।

### क्यों अहम है कृषि पर आवंटन

कृषि पर ध्यान देने की जरूरत वर्षों से महसूस की जा रही थी। दस साल पहले कृषि वैज्ञानिक डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग की आखिरी रिपोर्ट आई थी। उसमें किसानों को बचाने के तरीके का गहन अध्ययन था। कृषि को बचाने के लिए शिद्दत से जरूरी कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में उस सच से रूबरू कराया गया है कि किसानों का पेशा नहीं रहा। अनिश्चितता की वजह से आकर्षण कम हो रहा है। पारंपरिक किसानों की नई पीढ़ी किसानों के बजाए नौकरी करना पसंद कर रही है।

मध्यम व छोटे किसान जमीन गिरवी रख या बेचकर आजीविका के लिए पलायन कर रहे हैं। रिकशा चलाकर अथवा मजदूरी करके पेट पालना उनको ज्यादा निश्चित लग रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कृषकों की दशा सुधारने का आदेश दे रखा था। दो साल पहले सरकार में आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था। इसमें कृषकों की दशा और खेती की दिशा बदलने का वादा किया था।

कृषि विकास के लिए अनुसंधान एवं शोध को महत्व देना जरूरी है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डेयरी को चालू वर्ष में 6309.89 करोड़ का वित्तीय संसाधन

उपलब्ध कराया गया है। यह 2015-16 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। देश में 643 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इनमें अंतर प्रतियोगिता के आयोजन पर 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का एलान किया गया है।

**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू करने की बात की गई है। सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन का संकल्प लिया गया है। इसके लिए बजट 2016-17 में 5717 करोड़ का आवंटन किया गया है। सिंचाई के लिए उत्तरदायी अंगों को सक्रिय करने का जतन है।**

### सिंचाई: कृषि का मूल


कृषि विकास के लिए पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से यह काम राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया था। सम्यक प्रयास के अभाव से अपेक्षित सुधार कार्यक्रम से कृषि वंचित रह गया। फिलहाल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अंतिम चरण में है। अब हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 89 सिंचाई योजनाओं की पहचान की गई है। उन सबको पूरा करने में अस्सी लाख करोड़ रुपये खर्च करना होगा। चालू बजट में 23 लंबित सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू करने की बात की गई। सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन का संकल्प लिया गया। इसके लिए बजट 2016-17 में 5717 करोड़ का आवंटन किया गया। सिंचाई के लिए उत्तरदायी अंगों को सक्रिय करने का जतन है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को इस मद में 2015-16 के बजट में 1550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उस आवंटन में 51 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उसे 2016-17 के बजट में 2340 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से 20 हजार करोड़ रुपये का सिंचाई कोष सृजित किया गया है। इससे वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना की वर्षों से लंबित 89 सिंचाई परियोजनाओं पर त्वरित क्रियान्वयन किया जाएगा। इससे 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य

की दिशा में बढ़ते हुए अगले पांच साल में 86 हजार 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। जिसमें से 23 सिंचाई योजनाएं पूरी करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को वर्ष 2016-17 के बजट में 12 हजार 517 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही मनरेगा की तरह वर्षा पोषित क्षेत्रों में पांच लाख फार्म तालाबों और कुओं को खोदने की व्यवस्था की गई है।

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का उद्देश्य कृषि को उन्नत बनाना है। कृषि उन्नति योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट में निम्न सात प्रयास किए गए हैं:

अ) **मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन:** इस पर काम की रफ्तार को तेज करने के लिए बीते वर्ष के बजटीय आवंटन की तुलना में 155 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2015-16 के बजट में इसके



ग्राफिक: [www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in)

लिए 142 करोड़ रुपये आवंटित थे जो वर्ष 2016-17 के बजट में बढ़ाकर 362 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार मार्च 2017 तक देश के चौदह करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने के लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ हो जाएगी। साथ ही उर्वरक कंपनियों के दो हजार मॉडल खुदरा केंद्रों को अगले तीन साल में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। देश के सभी 643 कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों में मृदा परीक्षण के लिए मिनी लैब की स्थापना की जा रही है। सभी पैक्स एवं किसान समूहों के मार्फत 200 मिनी लैब की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत राजसहायता देने का निर्णय लिया गया है।

आ) **उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जैविक मूल्य शृंखला** को तीन वर्ष में विकसित करने के लिए वर्ष 2015-16 के बजट में 400 करोड़ रुपये आवंटित था। इसमें से 125 करोड़ रुपये का आवंटन 2015-16 के बजट में किया गया था। शेष 275 करोड़ रुपये जारी किए जाने से परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी। इससे जैविक कृषि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसमें मनरेगा के तहत दस लाख कम्पोस्ट गड्डों के निर्माण के फैसले से मदद मिलेगी।

इ) **जैविक खेती के विकास के लिए पारंपरिक कृषि विकास योजना** महत्वपूर्ण है। इसके बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पिछले बजट में इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था जो वर्ष 2016-17 में बढ़ाकर 297 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में जैविक कृषि कार्यक्रम को आशातीत सफलता मिली है। इससे परियोजना की सफलता को लेकर उत्साह बढ़ा है।

ई) **समेकित कृषि विपणन परियोजना:** फसल उत्पादन के बाद भंडारण सबसे बड़ी समस्या रही है। इस परियोजना के तहत ग्रामीण भंडारण को बढ़ावा देने के लिए चालू बजट के आवंटन में पांच प्रतिशत का बढ़ावा किया गया है। इस मद में वर्ष 2015-16 में 750 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान था। अतिरिक्त संसाधन सुलभ कराने के लिए इस पर चालू वित्तीय वर्ष में 788 करोड़ रुपये खर्चने का लक्ष्य है।

**केंद्र सरकार मार्च 2017 तक देश के चौदह करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने के लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ हो जाएगी। साथ ही उर्वरक कंपनियों के दो हजार मॉडल खुदरा केंद्रों को अगले तीन साल में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।**

उ) **राष्ट्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमईटी):** यह राज्य सरकारों को उनकी कृषि विस्तार मशीनरी की मजबूती में सहायता देकर प्रौद्योगिकी के अंतरण को महत्व देने का मिशन है। चालू वित्त वर्ष में इस पर छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसमें 635 करोड़

रुपये का आवंटन है। वर्ष 2015-16 के बजट में इसके लिए 598 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त कृषि सूचना प्रणाली की मजबूती के लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

**कृषि में ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में नौ लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बीते वित्तीय वर्ष में 8.5 लाख करोड़ रुपये था। किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उर्वरक की सब्सिडी उत्पादक कंपनियों के पास जाने के बजाए अब सीधे किसानों के खाते में जाएगी।**

**ऊ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम):** नागरिकों की खाद्य सुरक्षा से जुड़े इस मिशन को ठीक से लागू करने के लिए चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में बजटीय प्रावधान में पचास प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। वर्ष 2015-16 में इस पर 1137 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था इसमें आवंटन बढ़ाकर 1700 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

**ऋ) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए):** कृषि के सतत विकास को अबाधित रखने के लिए चालू बजट में 45 प्रतिशत अधिक धन का आवंटन किया गया है। पिछले साल 730 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 1062 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

### ई-मंडी कानून में संशोधन

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनके उत्पाद को नजदीक में बाजार मिले। देश की कृषि मंडियों को डिजिटल इंडिया से लाभान्वित करने पर काम हो रहा है। तदनुसार राज्य सरकारों से राष्ट्रीय कृषि मंडी कानून में संशोधन करने का आग्रह किया गया है। इस पर पंजाब को छोड़कर ज्यादातर राज्य सरकार सहमत हैं। केंद्र सरकार की अनुशंसा में चौदह राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना के लिए अपने कानूनों में संशोधन कर लिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125 वीं जयंती के मौके पर केंद्र

सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना धूमधाम से लागू करने जा रही है। इसके तहत मार्च 2017 तक देश की 400 मंडियों को ई-ट्रेडिंग के उन्नत बाजार का रूप देने के लिए प्राद्यौगिकी के संजाल से जोड़ दिया जाएगा। वर्ष 2018 तक देश की 585 कृषि मंडियों को कवर कर लेने की योजना है। इसके अतिरिक्त उद्योग संघों के साथ भागीदारी से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। इससे ग्रामीण उद्यमिता को बल दिया जा सकेगा।

### ऋण व सब्सिडी विनिमय

कृषि में ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में नौ लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बीते वित्तीय वर्ष में 8.5 लाख करोड़ रुपये था। किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उर्वरक की सब्सिडी उत्पादक कंपनियों के पास जाने के बजाए अब सीधे किसानों के खाते में जाएगी। उर्वरक की पहुंच सीधे किसान तक पहुंचाने के लिए नीम कोटेड यूरिया का बाजार तैयार किया गया है। इससे पहले सब्सिडी पर तैयार खाद सीधे रसायनिक कारखानों तक पहुंच जाया करता था। इसके अलावा बीज संवर्धन के नई तकनीक पर तेजी से काम हो रहा है। 93 नई प्रजाति के विकसित बीज किसानों को दिए जा रहे हैं। 154 नई किस्म के बीजों का परीक्षण अंतिम चरण में है।

### बीमा व अन्य सहायता

कृषि को आकर्षक बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मद में 73 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। पहले खड़ी फसल की बर्बादी पर ही बीमा रकम मिला करती थी। अब प्रतिकूल आपदा की वजह से आई मुसीबत को भी बीमा के दायरे में लाया गया है। इसके लिए किसानों को मामूली प्रीमियम देना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मद में 38 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए चालू बजट में 5400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रहे

वानिकी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत पहली बार बजट में 75 करोड़ रुपये केंद्रांश का प्रावधान किया गया है। इसमें खेतों के मेड़ पर पेड़ लगाकर खेती को सुरक्षित करने की व्यवस्था है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन के लिए 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बीते साल 1491 करोड़ का था।

कृषि को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने अलग से पशुधन संजीविनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई-पशुधन हाट और राष्ट्रीय जेशी नस्ल जेनोमिक केंद्र स्थापित करने की चार नई परियोजनाओं को 850 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया है।

### कृषि को महत्व: समय की मांग

कृषि प्रधान भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसलिए किसान कल्याण और कृषि विकास का काम गांवों की सुधा के बिना अधूरा है। इसे मानते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट का रूख गांव की ओर मोड़ते हुए 655 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक परियोजना शुरू की गई है। एक मई 2018 तक सौ प्रतिशत गांव में बिजली पहुंचा देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन को लगभग दोगुना करते हुए 19 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2019 तक शेष 65 हजार पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मद में 73 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। पहले खड़ी फसल की बर्बादी पर ही बीमा रकम मिला करती थी। अब प्रतिकूल आपदा की वजह से आई मुसीबत को भी बीमा के दायरे में लाया गया है। इसके लिए किसानों को मामूली प्रीमियम देना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।**

बजट में एलान किया गया है कि सूखा और आपदा से ग्रस्त प्रत्येक ब्लॉक को दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत विशिष्ट ब्लॉक के तौर पर लिया जाएगा। इस योजना में सघन रूप से स्वयं सहायता समूह का गठन होगा और उनको विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मनरेगा के

तहत कलस्टर सुविधा टीमों का गठन होगा, जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे। सूखे और आपदा पीड़ित जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें 300 ग्रामीण शहरी कलस्टरों का विकास किया जाएगा। यहां किसानों के लिए आधारभूत संरचना जैसे कृषि प्रसंस्करण, कृषि बाजार को सुलभ कराना, गोदाम एवं वेयरहाउस का निर्माण कराने का काम होगा। इसके अलावा इन गांवों में स्वच्छता अभियान, पाइप से जलापूर्ति, ठोस और तरल जल प्रबंधन, गली-नालियों का पक्कीकरण, स्ट्रीट लाइट, शैक्षणिक संस्थानों का सुदृढीकरण एवं अन्य गांवों से अंतर्ग्रामीण संपर्क विकास और सड़क सुविधा को ठोस किया जाएगा।

मोबाईल हेल्थ यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच गांवों तक बनाई जाएगी। ग्रामीणों को खर्चीले अस्पताल व्यय से बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम लागू किया गया है। नई स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम में प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान

करेगी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीस हजार रुपये तक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज का प्रावधान है। छोटे कामगारों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्यमिता को युवाओं के दरवाजे पर लाने के लिए चालू बजट में 17 हजार करोड़ रुपये की

**बजटीय प्रावधानों को अंततः जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संवैधानिक तौर पर कृषि से जुड़े क्रियान्वयन का मसला राज्य के अधीन है। संघीय संरचना में केंद्र सरकार का दायित्व योजना मद में धन के आवंटन तक सीमित है। केंद्र निगरानी भर कर सकता है।**

राशि अलग से रखी जा रही है। इससे देश भर में पंद्रह हजार बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की योजना है। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये का रिकार्ड आवंटन किया गया है। आधार कार्ड को लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रभावी उपक्रम बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में जेनरिक

दवाओं की आपूर्ति के लिए तीन हजार स्टोर खोलने की योजना है, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा कौशल विकास के लिए 'उस्ताद' स्कीम के कारगर कार्यान्वयन का लक्ष्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस प्रयोजन में पांच सौ करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, तो शिक्षा के लिए 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने हैं।

बजटीय प्रावधानों को अंततः जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संवैधानिक तौर पर कृषि से जुड़े क्रियान्वयन का मसला राज्य के अधीन है। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि संघीय संरचना में केंद्र सरकार का दायित्व योजना मद में धन के आवंटन तक सीमित है। हालांकि आवंटन करने वाली संस्थाओं के पास निगरानी का अधिकार होता है। प्रक्रियात्मक सुधार के लिए आवंटन प्रदर्शन के आकलन के आधार पर ही क्रमिक चरण में किया जाता है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार सलीका विकसित कर बजटीय प्रावधानों को ठीक ढंग से जमीन पर उतरवाने का दायित्व निभाएगी। □



**प्रकाशन विभाग**  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
भारत सरकार  
वेबसाइट: publicationsdivision.nic.in

**प्रतिष्ठित**  
**भारत 2016**  
संदर्भ ग्रंथ  
अब  
**ऑनलाइन**  
उपलब्ध





खरीदें   
www.flipkart.com

ई-बुक्स खरीदें   
www.kobo.com

# आमजन, निगम व राज्यों के लिए कर गणित

जयंत राय चौधरी



एक तरफ आम आदमी की जेब की चिंता, दूसरी तरफ व्यापार में सहजता के लिए छूट की आस लगाए कारोबारी जगत, तीसरी तरफ राजकोष में भी मुद्रा प्रवाह की जरूरत। इन सभी में संतुलन बनाना आसान काम नहीं। फिर भी इस संतुलन को साधने की जो कोशिश की गई है, उसने भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। छोटे करदाताओं को फिलहाल मायूसी हाथ लगी होगी लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह व्यवस्था उनके हित में ही है

**व**र्ष 2016-2017 के आम बजट में कराधान उपायों को दमदार कहा जा सकता है क्योंकि इसमें करों को तर्कसंगत संतुलन की बहुप्रतीक्षित व्यवस्था व भविष्य में और भी सुधार की उम्मीद दिखाई देती है। कच्चे तेल की अब तक की सबसे कम कीमत का लाभ उठाकर कुछ कड़े उपाय भी किए जा सकते थे। इसके कारण सब्सिडी का दबाव लगातार कम हुआ है। कड़े कराधान उपाय करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता और विश्वव्यापी मंदी के दौर में देश के विकास को बल भी मिलता।

पिछले कुछ वर्षों में देश ने तेजी से बढ़ती महंगाई देखी है। इसे देखते हुए कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत करों में कमी करने और करों को आकर्षित करने के लिए इनकम स्लैब में वृद्धि करने से न केवल बाजार के बाजीगरों और विश्लेषकों से वाहवाही मिलती बल्कि दरों में कमी के बावजूद प्रत्यक्ष कर राजस्व पर लैफर कर्व प्रभाव का भी लाभ होता।

फिर भी वर्ष 2016-2017 के बजट को एक ऐसे अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है जिसके अपने लाभ भी हैं क्योंकि यह कर संरचना को सरल बनाने के बहुप्रतीक्षित कदम का अग्रदूत बन सकता है और भविष्य में कराधान को अधिक तर्कसंगत बनाने का काम कर सकता है। इसका परिणाम हो सकता है कि आने वाले वर्षों में टैक्स कम हो जाएं और टैक्स पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाए।

## व्यक्तिगत करदाताओं के लिए राहत

बजट में छोटे करदाताओं को कुछ राहत दी गई है। किराए के घरों में रहने वाले जिन

नागरिकों की सालाना आय 5 लाख रुपये है और जिन्हें हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नहीं मिलता, उनके लिए कर छूट की राशि 2000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है जिसे कर कटौती भी कहा जा सकता है।

बजट में एक और पेशकश है। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आवास ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक कटौती की गई है। रियल्टी बाजार में आई मंदी को देखते हुए इससे नए खरीदारों को तो लाभ होगा ही, रियल एस्टेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हां, इसमें यह शर्त जरूर है कि मकान की लागत 50 लाख रुपये से अधिक न हो और खरीद के लिए लिया गया ऋण 35 लाख रुपये से अधिक न हो।


बंधक ब्याज पर कटौती का लाभ उठाने के लिए मकान के निर्माण के पूरे होने या स्वयं के कब्जे वाले मकान के अधिग्रहण की अवधि को मौजूदा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

## सुपर रिच टैक्स

कर उपायों में समानता लाने के लिए इस वर्ष के बजट में 1 करोड़ से अधिक कमाई वालों पर अधिभार बढ़ा दिया गया है। उन पर लगने वाले 12% के अधिभार को 15% कर दिया गया है। सुपर रिच टैक्स कहलाने वाला यह टैक्स विश्वव्यापी उपायों के समानांतर है। विभिन्न देशों में अमीर लोगों को यह सोचकर लक्षित किया जाता है कि वे अक्सर कर छूट का लाभ उठाते हैं और टैक्स देने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग नुकसान में रहता है

लेखक दैनिक पत्र द टेलीग्राफ में वरिष्ठ संपादक (वाणिज्य) हैं। वह लगभग 25 वर्षों से पत्रकारिता में हैं तथा राजनीतिक आर्थिक विषयों पर लिखते हैं। वह ब्रिटेन स्थित ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र के लिए शिवनिंग फेलो भी रहे हैं। ईमेल: jrchowdhury@yahoo.com

## कर प्राप्तियां



होता है। पिछले वर्ष विदेशों में अघोषित आय के लिए भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा गया था।

### कॉर्पोरेट टैक्स का गणित

विश्वव्यापी मानदंडों के अनुसार निगमों के लिए कर दरों में नरमी के अपने वादे के मद्देनजर, इस साल के बजट में छोटी कंपनियों के लिए हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स दरों को कम करने के साथ एक शुरुआत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान 5 करोड़ रुपये से कम का सकल कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए 29% हेडलाइन टैक्स दर प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त नए स्टार्ट अप के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु नई कंपनियों के लिए 25% की कर दर प्रस्तावित की गई है।

### ईपीएफ फंड

वित्त मंत्रालय ने यह प्रस्ताव भी रखा था कि जो निवेशक एक अप्रैल 2016 के बाद नियोजित

स्टार्ट अप करने वाली कंपनियों के लिए तीन वर्षों- अप्रैल 2016 से 2019- के लिए कर छूट की घोषणा की गई है, बशर्ते वे निवेश और संरक्षण पर किसी प्रकार की कर कटौती का दावा न करें।

व्यक्तियों और हिंदू संयुक्त परिवारों को स्टार्ट-अप कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बजट में आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को छूट दी गई है, बशर्ते उस पूंजीगत लाभ को स्टार्ट अप कंपनी की हिस्सेदारी में निवेश किया जाता है और उस कंपनी के 50% से अधिक शेयर किसी व्यक्ति या हिंदू संयुक्त परिवार के नाम हैं और नई कंपनी निवेश किए गए धन का उपयोग नई परिसंपत्तियों की खरीद के लिए करती है।

### कर छूट की समाप्ति

जैसा कि सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि करों को युक्तिसंगत बनाने का काम और कर छूट की चरणबद्ध समाप्ति की प्रक्रिया साथ-साथ चलेगी। इसी कारण आम लोगों के लिए आयकर अधिनियम दुस्वप्न बना हुआ है और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की पौ बारह हो गई है जोकि अपने ग्राहकों के लिए कर राहत के रास्ते तलाशते रहते हैं। इस संबंध में एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।

वर्तमान में केंद्र सरकार विद्युत उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और दूरसंचार से लेकर पूर्वोत्तर तथा कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों, जैसे जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थापित विनिर्माण इकाइयों के लिए क्षेत्र

और सरकार आर्थिक मंदी के दौर में कराधान के नए रास्ते खोजने के लिए परेशान होती है।

एक और कदम है जो अमीर विरोधी माना जा सकता है, हालांकि इसे गरीब समर्थक भी नहीं कहा जा सकता। अब 10 लाख रुपये का सालाना लाभांश कमाने वाले व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों को अपने कुल लाभांश पर 10% कर देना होगा।

इसी प्रकार, लग्जरी कारों के प्रति भारतीयों की सनक को भी बजट में धुनाने की कोशिश की गई है। अब अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली लग्जरी कार खरीदता है या 2 लाख नकद देकर कोई सेवा या वस्तु खरीदता है तो उसे 1% का टैक्स देना होगा। हालांकि कई वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि 10-15 लाख रुपये की कार खरीदने को लग्जरी नहीं कहा जा सकता लेकिन जिस देश में बहुत से लोग इतना भी नहीं कमाते कि दो वक्त की रोटी जुटा सकें, उस देश में 10 लाख रुपये में कार खरीदना या 2 लाख रुपये का सामान खरीदना कोई कम बड़ी बात नहीं है। बेशक, इस तरफ सभी का ध्यान जाएगा।

### काले धन पर शिकंजा

अर्थव्यवस्था में काले धन को वापस लाने की राजनैतिक प्रतिबद्धता के साथ, सरकार ने घरेलू काले धन के लिए आय घोषणा योजना 2016 प्रस्तावित की है। इसके तहत करदाताओं को अपनी अघोषित आय को घोषित करने का मौका (वन टाइम ऑपरचुनिटी) दिया जा रहा है। वे अपनी अघोषित आय पर 30% कर, 7.5% अधिभार और 7.5% जुर्माना चुका सकते हैं जोकि अघोषित आय का कुल 45% हिस्सा

भविष्य निधि में से एक हिस्सा निकालेगा, उसे उस राशि पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि आगे चलकर शीघ्र ही सरकार ने यह प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा कर दी। लगभग 8 दिन बाद वित्त मंत्री ने निचले सदन में इस घोषणा के साथ कहा कि इस प्रस्ताव के जरिए सरकार का मकसद सरकारी खजाने में धन लाना नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन व्यवस्था की ओर आकर्षित करना था।

बजट में यह घोषणा की गई थी कि कर्मचारी भविष्य निधि में बचत का 60% हिस्सा निकालने पर टैक्स देना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि देश का सबसे बड़ा बचत कोष है जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये का है। यहां यह शर्त थी कि अगर इस राशि का एक वार्षिकी योजना में पुनर्निवेश नहीं किया जाता जोकि उस व्यक्ति को पेंशन का भुगतान करती है तो टैक्स छूट मिल सकती है। हां, 1 अप्रैल 2016 से पहले ईपीएफ के लिए उपार्जित योगदानों और ब्याज पर निश्चित रूप से कोई कर नहीं लगेगा।

फिर भी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के लिए ईपीएफ योजना बनाई गई थी, उनमें से अधिकतर प्रति माह 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा से भी कम या उसके बराबर कमाते हैं और वे बिना टैक्स चुकाए अपनी ईपीएफ बचत निकाल पाएंगे। वर्तमान में ईपीएफओ के कुल 3.7 करोड़ सदस्यों में से 3 करोड़ इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के लोगों के लिए नई व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

और निवेश आधारित कर-छूट प्रदान करती है।

इसके पीछे मुकदमेबाजी को कम करना और कराधन पद्धति को युक्तिसंगत बनाना है। वर्तमान में विभिन्न छूटों के परिणामस्वरूप प्रभावी कर दर 23% है जबकि वैधानिक कर दर, इससे अधिक ऊंची यानी 30-33% है। इन रियायतों का एक परिणाम यह है कि वर्तमान में पूर्वानुमानित राजस्व बढ़कर 62,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है।

### विदेशों के लिए मैट

संधि लाभ का दावा करने वाली विदेशी कंपनियां या पूंजीगत लाभ कमा रही वे विदेशी कंपनियां जिनका भारत में कोई अस्तित्व नहीं है (एफआईआई को अतिरिक्त) के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) किस प्रकार कार्य करता है, इस विवाद पर अब विराम लगा दिया गया है।

बजट 2016-17 में यह प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2001 की पूर्व तिथि से काम कर रही विदेशी कंपनियों पर मैट के प्रावधान लागू होंगे, अगर वह कंपनी किसी ऐसे देश की है जिसके साथ भारत की कोई संधि नहीं है या कंपनी भारतीय कानून के तहत प्राइवेट इक्विटी निवेशक नहीं है।

### गूगल कर

बजट 2016-2017 में समतुल्यीकरण लेवी का प्रस्ताव भी है जोकि ब्रिटेन में पहले से लागू गूगल टैक्स के समान है। इसके तहत भारतीय निवासियों को किसी विदेशी निगम को किए गए ऑनलाइन भुगतान पर 6% कर चुकाना होगा। इसमें ऑनलाइन विज्ञापन जैसी सेवाएं इस्तेमाल करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे।

### दंड

एक दिलचस्प बात यह है कि आय को कम करके बताने पर देय कर पर 50% से भी अधिक चुकाना पड़ सकता है। दंड का यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2016 से लागू होगा। तथ्यों की गलत जानकारी देने पर 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अब तक यह मामला आयकर अधिकारियों के विवेक पर छोड़ा गया था जिसमें आय को छुपाने या गलत जानकारी देने पर जुर्माने की राशि 100% से 300% तक, कुछ भी हो सकती थी।

### राज्यों का राजस्व

वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2015-16 की तुलना में इस वर्ष के बजट अनुमानों में राज्य सरकारों को हस्तांतरित किए जाने वाले कुल संसाधनों में 12% की भारी वृद्धि की घोषणा की गई है।

हालांकि, उपकरणों में की गई वृद्धि की प्रवृत्ति, जिनके राजस्व को राज्यों के साथ बांटा नहीं जाएगा, राज्यों को दी जाने वाली राशि के प्रतिशत में कुछ कमी कर देगा और जिस पर राज्य सवाल उठा सकते हैं।

नवीनतम उपकरण कृषि कल्याण से 5,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी और यह केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। इसी प्रकार कारों पर लगाए जाने वाले उपकरण से होने वाली 3,000 करोड़ रुपये की कमाई भी केंद्र सरकार को मिलेगी। 2016-17 में इस प्रकार के उपकरणों से 1.9 लाख करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है। यह सभी केंद्रीय करों से एकत्र होने वाली कमाई के 12% से बराबर या इस प्रकार के करों में केंद्र सरकार की हिस्से के पांचवे भाग के बराबर है।

## क्या आप जानते हैं?

### मूल्य स्थिरीकरण निधि

मू

ल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) की स्थापना वस्तुओं के मूल्य एक निर्धारित स्तर से नीचे गिरने पर किसानों को वित्तीय राहत देने तथा कम मूल्य के कारण किसानों के सामने आ रही कठिनाइयां समाप्त करने तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य संकट के समय ही हस्तक्षेप के बजाए किसानों को सतत, दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नजर रखना सुशासन का प्रमुख अंग है।

चूँकि पिछले कुछ वर्षों से चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू के अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मूल्यों में कमी आ रही थी, इसलिए प्राथमिक किसानों की दुर्दशा हो रही थी। इसलिए वाणिज्य विभाग ने मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना का निर्णय लिया, जिसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जून 2002 में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। उसके उपरांत फरवरी 2003 में उसे मंजूरी प्राप्त हुई और अप्रैल 2003 में पीएसएफ योजना आरंभ कर दी गई।

इस योजना में प्रतिभागिता का सिद्धांत है। प्रति वर्ष सामान्य उत्पादन होने, अधिक उत्पादन होने अथवा कठिनाई होने की स्थिति में सरकार तथा किसान इस निधि में यथोचित योगदान करते हैं। सामान्य वर्ष में सरकार प्रत्येक किसान के एवज में 500 रुपये जमा करती है और प्रत्येक किसान भी 500 रुपये जमा करता है। किंतु इसमें रकम निकासी की अनुमति नहीं होती।

अधिक उत्पादन होने पर किसान 1,000 रुपये जमा करता है किंतु निकासी की अनुमति नहीं होती। किंतु कठिनाई भरे वर्ष में सरकार प्रति किसान 1,000 रुपये जमा करती है और किसान 1,000 रुपये तक निकाल सकता है। प्रत्येक किसान निर्धारित बैंकों में से किसी एक में पीएसएफ बचत खाता खोलता है। 500 रुपये की जमा राशि देकर छोटा किसान भी इस योजना में पंजीकरण करा सकता है।

योजना 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक दस वर्षों के लिए चलाई गई। पांच वर्ष बाद इसकी पुनरीक्षा होनी थी। आरंभ में कुल 12.77 लाख किसानों में से 3.42 लाख छोटे किसान थे, विशेषकर वे किसान, जो 4 हेक्टेयर या इससे कम भूमि पर खेती कर रहे थे। पीएसएफ के लिए राशि भारत सरकार के लोक लेखा में जमा की जाती है। किंतु इस राशि का उपयोग नहीं किया जाता। केवल राशि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग पीएसएफ योजना के लिए किया जाता है।

2016-17 के केंद्रीय बजट में बाजार हस्तक्षेप हेतु मूल्य स्थिरीकरण निधि में 900 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। मूल्य स्थिरीकरण निधि से न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बाजार मूल्य पर खरीद कर दालों का बफर भंडार भी तैयार किया जाएगा।

संकलन: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी)

ईमेल: vchandra.iis2014@gmail.com

# CSAT की तैयारी CL के साथ

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए केवल 5 माह बचे हैं, अतः आप सीसैट के लिए तैयार हो जायें

- शिक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए 240+ घंटों की कक्षाएं
- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 13 मॉक टेस्ट (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I एवं II)
- बोधगम्यता, तार्किक कौशल और आधारभूत गणित पर विशेष बल
- 24x7 स्टूडेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SIS) पर विश्लेषण एवं मार्गदर्शन की ऑनलाइन सहायता
- R&D टीम तथा फैकल्टी सदस्य जिन्होंने स्वयं सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है
- विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी व्यापक अध्ययन सामग्री
- नियमित मॉड्यूल एवं रिवीजन टेस्ट
- पर्सनल डाउट सेशन

**1349 CL अभ्यर्थी सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा  
'14 and '15 के लिए योग्य पाये गये**

सिविल सेवा  
प्रारंभिक परीक्षा 2016  
के लिए अखिल भारतीय  
टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध  
(हिन्दी एवं अंग्रेजी  
माध्यम में)

पंजीकरण कराने के लिए ☎ 888-2-520-520 पर मिस कॉल करें



**CL**

Civil Services  
Test Prep

[www.careerlauncher.com/civils](http://www.careerlauncher.com/civils)

दिल्ली CL सिविल सेवा परीक्षा के अध्ययन केंद्र

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराटभवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46

ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन - 42375128/29

एसडीए: सी-7 द्वितीय तल एसडीए कम्युनिटी सेंटर आईआईटी मेन गेट के सामने, कोस्टा कॉफी के निकट, फोन - 26513072, 26536555



## क्या बैंकिंग क्षेत्र में जान फूँकेगा बजट

एन आर भानुमूर्ति  
मनीष प्रसाद



आर्थिक समीक्षा ने मौजूदा दौर में भारत के समक्ष मौजूद दोहरे जोखिमों पर प्रकाश डाला है। इनमें से एक है बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कमजोर बैलेंस शीट (या तुलन-पत्र) और दूसरा है कार्पोरेट जगत। वैसे तो ये दोनों ही कुछ हद तक परस्पर जुड़े हुए हैं लेकिन इन दोहरे जोखिमों से निपटने के लिए केंद्रीय बजट 2016-17 से अपेक्षा थी कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं का समाधान करेगा। नतीजतन, बजट ने विविध उपायों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में नई जान डालने की कोशिश की—इनमें से कुछ उपाय प्रत्यक्ष हैं, जबकि कुछ परोक्ष नीतिगत उपाय हैं। इन पर चर्चा करने से पूर्व, समस्या को समझना आवश्यक है

वै

शिवक वित्तीय संकट के बाद, बहुत से अन्य देशों की तरह भारत ने भी बड़े पैमाने पर विशेषकर वित्तीय स्तर पर प्रोत्साहन के उपाय किए। इन उपायों ने जहां अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद की, वहीं राजकोषीय उपायों के अविवेकपूर्ण मिश्रण की वजह से, भारत को बड़ा वित्तीय घाटा हुआ। एफआरबीएम लक्ष्य प्राप्त करने के करीब पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2008-09 में सम्मिलित राजकोषीय घाटा दहाई के अंकों तक पहुंच गया। इतने बड़े पैमाने पर राजकोषीय घाटे के परिणामस्वरूप, अन्य वृहद वस्तुओं पर उसके गतिशील प्रभाव के कारण, भारत को जीडीपी वृद्धि में गिरावट, बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति, साथ ही साथ चालू खाता घाटे में अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप लंबे अर्से तक ब्याज दरों में वृद्धि की विरोधाभासी मौद्रिक नीति अपनाई गई। इन सभी कारकों की वजह से देश में आर्थिक असुरक्षा (अस्थिरता) में भी बढ़ोतरी हुई और भावी वृद्धि के लिए जोखिम उत्पन्न हुए।

बैंकिंग क्षेत्र चूँकि वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और वित्तीय क्षेत्र को स्थावर संपदा क्षेत्र (रियल सेक्टर) से भी जोड़ता है, ऐसे में स्थावर संपदा क्षेत्र में व्याप्त अस्थिरता का प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र पर भी पड़ा। ऐसा लगता है कि यह दो चैनलों से हुआ: पहला, बड़ी सरकारी उधारियों की वजह से अत्यधिक राजकोषीय घाटा हुआ और दूसरा, ऊंची ब्याज दरों की वजह से कार्पोरेट जगत की लाभप्रदता पर प्रभाव की वजह से हुआ।

इसकी बदौलत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लाभ उठाने के अनुपात में अतिशय कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभ उठाने का अनुपात 4.5 प्रतिशत रहने का संकेत दिया जबकि बेसल-3 मानकों के अनुसार इसे 3 प्रतिशत रहने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि बहुत से बैंक आरबीआई संकेतकों की सीमा से काफी नीचे रह गए। ऐसे मानकों के उल्लंघन का प्रभाव, अपेक्षा के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में हुआ।

उल्लेखनीय है कि आरेख में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, दोनों में संकटकाल से पहले की अवधि से लेकर हाल की अवधि तक के सकल एनपीए का रुझान दर्शाया गया है। उच्च वृद्धि की अवधि के दौरान, दोनों प्रकार के बैंकों में एनपीए 3 प्रतिशत से कम था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजी बैंकों की तुलना में कम से कम एक प्रतिशत अंक कम था। इसकी वजह कम राजकोषीय घाटे के साथ ही साथ संकटकाल से पहले सरकार की सकारात्मक बचत हो सकती है। हालांकि संकटकाल के बाद हमने पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जबकि निजी बैंकों में यह सीमाओं के भीतर ही प्रतीत होती है। इससे स्पष्ट तौर पर सशक्त राजकोषीय-वित्तीय संबंध का संकेत मिलता है, लिहाजा, किसी भी राजकोषीय संकेतक की विकृति आवश्यक तौर पर उसके गतिशील प्रभाव के माध्यम से वित्तीय बाजारों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में अनुमानित तौर पर 6 प्रतिशत

एन आर भानुमूर्ति नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं। पूर्व में दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा यूएनईएससीएटी, बैंकॉक और कोलम्बो स्थित यूएनडीपी आरसीसी में मैक्रोइकॉनॉमिक्स के विशेषज्ञ के रूप में काम कर चुके हैं। यूएन-डीईएसए (न्यूयॉर्क), यूएनईएससीडब्ल्यूए (बेरुत), यूएनडीपी (नेपाल), यूएनडीपी (भूटान), यूएनईएससीएपी-एसएसडब्ल्यूए (नई दिल्ली), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि संस्थाओं में परामर्शी रहे चुके हैं। ईमेल: nrbmurthy@gmail.com; manishprasad2@yahoo.com

## आरेख 1: सकल एनपीए रुझान (%)



से कुछ ज्यादा एनपीए हैं, जो काफी खतरे की बात है। इतना ही नहीं, इससे बैंकों की लाभप्रदता भी प्रभावित होगी। 2016-17 की तीसरी तिमाही के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 11 बैंकों ने लंबे अर्से बाद हानि की घोषणा की है। ऐसे नकारात्मक रुझान निवेश, और इस तरह देश की वृद्धि की बहाली को सीमित करते प्रतीत होते हैं।

समान रुझान शुद्ध एनपीए साथ ही साथ पुनर्गठित परिसंपत्तियों और बट्टे खाते में जा चुके कर्ज में मिलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल एनपीए, पुनर्गठित परिसंपत्तियों, साथ ही साथ बट्टे खाते में जा चुके कर्ज की राशि में पहले ही सकल अग्रिम राशि के 17 प्रतिशत तक की पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में यह लगभग 6.7 प्रतिशत है। (देखिए तालिका-1)

यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि एनपीए में यह वृद्धि किन क्षेत्रों से हुई है। तालिका-2 में, आप देख सकते हैं कि सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत, बैंकों के एनपीए में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहा है और धीमी

वृद्धि वाली अवधि में भी इसमें गिरावट देखी गई। जबकि वर्ष 2015-16 में, कृषि ऋणों में भी वृद्धि प्रतीत होती है, जिसका कारण देश में लगातार पड़े दो सूखे हो सकते हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र में, एनपीए में अत्यधिक वृद्धि होती मालूम पड़ती है। औद्योगिक क्षेत्र में हो रही निरंतर मंदी ने संभवतः ऐसी वृद्धि में योगदान दिया है।

### प्रभाव

बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे ऋण चैनल और ब्याज दर चैनल के माध्यम से समझा जा सकता है। हाल ही में, लचीली मुद्रास्फीति व्यवस्था अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में तेज गिरावट आने से घरेलू मुद्रास्फीति की दर घटकर 5.6 प्रतिशत तक आ गई। इसके बाद, यह अपेक्षा

तालिका 1: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में परिसंपत्ति की गुणवत्ता के रुझान

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				निजी क्षेत्र के बैंक			
	2013*	2014*	2015*	2015#	2013*	2014*	2015*	2015#
शुद्ध एनपीए	2.0	2.7	3.2	3.6	0.5	0.7	0.9	0.9
पुनर्गठित परिसंपत्तियां	7.2	7.2	8.1	7.9	1.9	2.3	2.4	2.4
सकल व पुनर्गठित परिसंपत्तियां	11.0	11.9	13.5	14.0	3.8	4.2	4.6	4.6
सकल, पुनर्गठित व बट्टे खाते में जा चुकी परिसंपत्तियां	13.4	14.1	16.1	17.0	5.4	6.4	6.7	6.7

\* मार्च, # सितंबर

स्रोत: आरबीआई वैबसाइट

थी कि नीतिगत ब्याज दरों में कमी आएगी। आरबीआई ने दिसंबर 2014 से अंशशोधित रूप में रेपो रेट में 125 आधार अंक की कमी कर दी। हालांकि बैंकों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, दोनों में) द्वारा कर्ज की दरों में कटौती महज लगभग 40 आधार अंक रही। यहां तक कि इस समय, जमा दरों में भी कटौती सीमित रही, क्योंकि बैंकों को अपने लाभ का अनुपात बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बचत संघटित करने की आवश्यकता थी। इससे पता चलता है कि रेपो से निवेश तक मौद्रिक नीति हस्तांतरण व्यवस्था में गतिरोध व्याप्त है। दूसरे शब्दों में कहें, तो रेपो रेट में कटौती की परिणति निवेश के चक्र को पुनर्जीवित करने में नहीं हुई। इस स्थिति में बैंकों को अपने तुलन-पत्रों (बैलेंस शीट) को समायोजित करने के लिए सिर्फ नकदी (पूंजी) की आवश्यकता है। ब्याज दरों -निवेश संपर्क के इस विवरण का अनुसरण करने के बाद रिजर्व बैंक ब्याज दरों में और कटौती करने से हिचकिचा रहा

तालिका-2: डूबी हुई परिसंपत्तियों का क्षेत्रवार योगदान

सभी बैंक (सकल + पुनर्गठित + बट्टे खाते में जा चुकी परिसंपत्तियां (%))	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	सितंबर 15
	कृषि	8.2	7.4	7.5
उद्योग (सूक्ष्म)	10.2	10.0	10.5	12.3
उद्योग (लघु)	13.2	13.3	14.8	16.8
उद्योग (मझौले)	20.2	23.6	27.0	31.5
उद्योग (बड़े)	16.3	19.0	23.0	23.7

स्रोत: आरबीआई वैबसाइट

है, जो निजी निवेश साथ ही साथ वृद्धि को भी रोक रहा है।

उच्च एनपीए के जोखिमों को आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट में भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है, जिसमें उसका कहना है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में असुरक्षा बढ़ी है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत में जहां बाहरी असुरक्षा में कमी आई है और मुद्रास्फीति में अपेक्षा से अधिक तेजी से गिरावट आई है, वहीं लगातार उच्च मुद्रास्फीति की संभावनाएं और बड़े राजकोषीय घाटे प्रमुख स्थूल आर्थिक चुनौतियां बने हुए हैं। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की संभावनाओं में स्थाई कमी लाने के लिए मौद्रिक नीति के उद्देश्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कर सुधारों के मजबूत आधार और सब्सिडी में और ज्यादा

कटौती के द्वारा राजकोषीय समेकन जारी रहना चाहिए। कार्पोरेट वित्तीय स्थितियों और सार्वजनिक बैंक की परिसंपत्ति की गुणवत्ता संबंधी असुरक्षा को यदि दूर नहीं किया गया, तो वे वित्तीय स्थायित्व के लिए चुनौती बन सकती हैं।” (आईएमएफ, 2016)

### केंद्रीय बजट ने क्या किया है?

बैंकों को पूंजी की आवश्यकता है, इसलिए केंद्रीय बजट ने बहुत सटीक कदम उठाते हुए जहां एक ओर पुनः पूंजीकरण की प्रक्रिया के तहत 25,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, वहीं दूसरी ओर संकेत किया है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और धन आवंटित कर सकती है। जहां, यह प्रत्यक्ष उपाय है, वहीं कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं, जो संभवतः बैंकों पर परोक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। वे निम्नलिखित हैं:

- वित्तीय कंपनियों के वियोजन पर एक समग्र संहिता लाई जाएगी।
- एआरसी के प्रायोजक को एआरसी में 100 प्रतिशत नियंत्रण और गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिकरण पावतियों में निवेश करने में सक्षम बनाने हेतु एसएआरएफईएसआई अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाएगा
- कर्ज वसूली प्राधिकरण कानूनों में संशोधन किए जाएंगे और उनके कामकाज को ऑनलाइन किया जाएगा।
- गैर कानूनी जमा योजनाओं के खतरे से

## भारतीय बैंकों के बोर्ड के प्रशासन की समीक्षा के लिए पी जे नायक समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें

- 1970 और 1980 के बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियमों, एसबीआई अधिनियम, और एसबीआई (अनुशांगी बैंक) अधिनियम को हटाना
- समस्त बैंकों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाना और सरकार के लिए बैंकों में अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए बैंक निवेश कंपनी (बीआईसी) का गठन करना
- बैंक बोर्ड्स ब्यूरो (बीबीबी) की सहायता से थ्री फेज़ बेगिंग में पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति करना
- सरकार के हितों में कटौती करके उसे 50 प्रतिशत से कम करना
- एचआर नीति पर दी गयी सिफारिशें शीर्ष प्रबंधन में युवा लोगों को ला सकती हैं
- व्यापक युक्तिपूर्ण फोकस के लिए बोर्ड में होने वाले विचार विमर्श में सुधार लाना
- विकास के उद्देश्यों से जुड़े प्रयासों में सरकार को पीएसबी को निर्देश देना बंद करना चाहिए।
- सरकार को केवल पीएसबी में लागू विनियामक निर्देश जारी करना बंद करना चाहिए, क्योंकि दोहरा विनियामन भेदभावपूर्ण है।

निपटने के लिए व्यापक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा।

- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरणों में सदस्यों और पीठों की संख्या बढ़ाना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपये करना उपरोक्त उपायों से ऋण के प्रवाह में मदद मिलेगी और स्थावर संपदा के लिए ऋण संबंधी रुकावटें दूर होंगी लेकिन क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बुराइयों दूर करने के लिए पर्याप्त है? हमारे दृष्टिकोण से, बैंकों की सेहत सुधारने के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण

कंपनियों की भूमिका और उनके विनियमन पर विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एनएएमसीओ) की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि बोझ बन चुकी परिसंपत्तियों को सही दाम पर और सही समय पर निपटारा किया जा सके। सरकार और आईबीआई बैंकों की समस्याओं को समझने के लिए ज्ञान संगम (बैंकों, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के सालाना रिट्रीट) के माध्यम से बैंकों से विचार विमर्श करते रहे हैं। हाल ही में ज्ञान संगम 2016-17 के बजट के फौरन बाद आयोजित किया गया जिसमें बैंकों के समेकन और कर्ज वसूली के कानूनों के बारे में कुछ सिफारिशें सामने आईं।

जहां बजट में कुछ प्रत्यक्ष उपाय बताए गए हैं वहीं कुछ सिफारिशों की स्पष्टता और कार्यान्वयन पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र को एनपीए की समस्या से जल्द से जल्द निपटने में मदद कर सकते हैं। इस स्थिति में निवेश चक्र में वसूली आवश्यक तौर पर बैंकों की बैलेंस शीट्स की मजबूती पर निर्भर करती है। □

### संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (26 फरवरी 2016.) ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी चैलेंजिस जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक, पृष्ठ संख्या 1-17
- भारतीय रिजर्व बैंक (2014) रिपोर्ट ऑफ द कमेटी टू रिव्यू गवर्नंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक



#VikasKaBudget 2016-17

ग्राफिक: [www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in)

पहलु जिसे सुधारने की जरूरत है, वह है बैंकिंग क्षेत्र का समग्र गवर्नेंस। पी जे नायक समिति की सिफारिशें पहले से मौजूद हैं, जिन गंभीरतापूर्वक गौर किए जाने की जरूरत है। कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे बॉक्स में दी गई हैं।

इन उपायों के अलावा, एक महत्वपूर्ण पहलु यह है कि सरकार को परिसंपत्ति पुनर्गठन



# DISCOVERY®

...Discover your mettle  
(THE IAS ACADEMY)

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2015 में 615 अंकों के प्रश्न सीधे डिस्कवरी क्लास नोट्स, स्टडी मेटेरियल एवं करेंट कैप्सूल से...

## सामान्य अध्ययन

( फाउन्डेशन बैच 2016 )

निःशुल्क  
कार्यशाला

# 28

March

9:00 am

क्षेत्रीय केन्द्रों पर नया बैच प्रारंभ

इलाहाबाद

11 April

जयपुर

14 March

इंदौर

4 April

## PRELIMS TEST SERIES-2016

20 मार्च से प्रारंभ

Bilingual Test Papers

for app download



9560357507

Admission Open

Head Office :- B-14 (Basement), Com. Comp. Dr. Mukherjee Nagar Delhi-9, Ph.: 01132906050, 47076055, 9313058532

Visit us: [www.discoveryiasacademy.in](http://www.discoveryiasacademy.in), email: [discoveryiasacademy@gmail.com](mailto:discoveryiasacademy@gmail.com) [discoveryiasacademy](https://www.facebook.com/discoveryiasacademy)

इलाहाबाद

जयपुर

इंदौर

पटना

गोरखपुर

रायपुर

बिलासपुर

झाँसी

चंडीगढ़

आगरा

कानपुर

ग्वालियर

For details call - Toll Free No. 1800-833-0020

## सतर्क वृद्धि अनुमान के मायने

डी. एच. पाई पणडिकर



समीक्षा में विकास के मुद्दों पर और विकास की संभावना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित बुनियादी आर्थिक एवं निष्पक्षता भरे विचारों के साथ चर्चा की गई है। इसलिए ये उपाय उच्च एवं स्थिर वृद्धि के लिए सही वातावरण तैयार करने में बहुत प्रभावी होंगे। फिर भी, समीक्षा में 7 से 7.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान इस कल्पना पर आधारित है कि ये उपाय नहीं अपनाए जाएंगे और पूरी क्षमता के साथ वृद्धि नहीं होगी। यही कारण है कि समीक्षा में सतर्कता बरतने और भूल नहीं दोहराने को ही बेहतर माना गया है

**आ**र्थिक समीक्षा बजट की पृष्ठभूमि का संकेत दे देती है। समीक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ होती है और वर्तमान आर्थिक स्थिति की समीक्षा करती है तथा उन व्यापक नीतियों की ओर संकेत करती है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं। बजट अर्थशास्त्र से परे जाता है और व्यय तथा संसाधन जुटाने संबंधी प्राथमिकताएं तय करने में राजनीतिक पक्ष से प्रभावित होता है। समीक्षा और बजट में वित्त मंत्रालय के ही विचार होते हैं लेकिन अलग-अलग विभागों के द्वारा।

समीक्षा ने 2016-17 में वृद्धि का लक्ष्य केवल 7 से 7.5 प्रतिशत रखा है क्योंकि वर्तमान वर्ष के लिए वृद्धि का उसका अनुमान बहुत महत्वाकांक्षी साबित हुआ। संभवतः वर्तमान वैश्विक आर्थिक दुरावस्था का अनुमान नहीं लगाया गया था, जो अगले साल सुधर भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इस अनिश्चितता के बीच भी भारत सधी हुई और अपेक्षाकृत ऊंची वृद्धि के साथ *स्थायित्व भरा टिकाना* बना हुआ है। लंबे समय में 8 से 10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना जताई गई है।

अन्य स्थानों पर स्थिति खराब है। जापान और यूरोप मंदी के कगार पर हैं। अमेरिका की वृद्धि 2015 की अंतिम तिमाही में सिकुड़ गई। ब्रिक्स देशों के सामने भी समस्याएं हैं। ब्राजील और रूस में वृद्धि घटकर शून्य से चार प्रतिशत नीचे चली गई और दक्षिण अफ्रीका में भी स्थिति खराब है। चीन 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर से लुढ़ककर 6.5 प्रतिशत पर टिक गया है।

कोई भी देश शेष विश्व से अछूता नहीं रह सकता। व्यापार और निवेश के द्वारा देश

एक दूसरे से अटूट तरीके से जुड़े हैं। जो देश निर्यात के सहारे अपनी वृद्धि तेज करते हैं, वे दौड़ से पहले बाहर हो जाते हैं। भारत की आरंभिक विकास रणनीति आयात के स्थानापन्न पर आधारित थी, जो 1999 के सुधारों के उपरांत भरसक प्रयत्नों के बाद भी प्रभावी रूप से निर्यात संवर्द्धन में परिवर्तित नहीं हो सकी और अब वह *मेक इन इंडिया* के अधिक विविधता भरे रूप में आ गई है। घरेलू कारकों पर निर्भरता के कारण शेष विश्व के साथ हमारा संबंध कुछ हल्का है। समीक्षा बताती है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 1 प्रतिशतांक गिरावट से भारत की वृद्धि में 0.2 प्रतिशत कमी ही आती है। किंतु 2008-09 के संकट जैसी घटनाएं विनाशकारी हो सकती हैं।

फिर निराशा भरे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भारत की वृद्धि को किसने बरकरार रखा है? समीक्षा में विभिन्न छोटे प्रोत्साहनों जैसे केंद्र में भ्रष्टाचार के लगभग उन्मूलन, कई नए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति, कारोबारी लागत में कमी, जन धन योजना और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य योजनाओं का उल्लेख किया गया है। किंतु इन उपायों से निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

उद्योग अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 15-16 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी जगत अपने प्रदर्शन को बरकरार भर रख पाया किंतु इस वर्ष उसकी लाभदायकता खत्म हो गई। वह मांग में कमी के कारण आवश्यकता से अधिक क्षमता की समस्या से जूझ रहा है। कंपनी जगत और उसे कर्ज देने वाले बैंक अब फंसी हुई संपत्तियों से जूझ रहे हैं।

लेखक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) के पूर्व महासचिव तथा संप्रति आरपीजी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। वह आईएलएसआई-इंडिया के भी अध्यक्ष हैं तथा इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (दिल्ली) के संचालक मंडल के सदस्य हैं। ईमेल: dpanandiker@gmail.com

कुछ क्षेत्रों ने निस्संदेह अधिक गतिशीलता प्रदर्शित की है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ाता रहा है, जिसमें वित्त तथा वितरण का प्रदर्शन शानदार रहा है। स्टार्टअप उद्यमों को भारत में नया आधार मिला है। एफडीआई में वृद्धि अधिक नहीं है लेकिन इसकी रफ्तार बनी हुई है। अर्थव्यवस्था को संभवतः पिछले वर्षों में हुए ऊंचे निवेश के प्रभावों का लाभ मिला है।

**कुछ क्षेत्रों ने निस्संदेह अधिक गतिशीलता प्रदर्शित की है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ाता रहा है, जिसमें वित्त तथा वितरण का प्रदर्शन शानदार रहा है। स्टार्टअप उद्यमों को भारत में नया आधार मिला है। एफडीआई में वृद्धि अधिक नहीं है लेकिन इसकी रफ्तार बनी हुई है। अर्थव्यवस्था को संभवतः पिछले वर्षों में हुए ऊंचे निवेश के प्रभावों का लाभ मिला है।**

अर्थव्यवस्था को एक बार फिर सुचारु करने के लिए मांग बढ़ाने के उपाय करना महत्वपूर्ण है। इसका एक प्रभावी तरीका है सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश, जिसकी बड़ी गुंजाइश है और जिसका कई गुणा प्रभाव होता है।

निजी क्षेत्र में मंदी का एक कारण ब्याज की उच्च दर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2010-11 के बाद चार वर्षों में अर्थव्यवस्था को ग्रसने वाली उच्च मुद्रास्फीति अर्थात् महंगाई के कारण दरें बढ़ाई थीं। इस अवधि में निवेश भी तेज रहा लेकिन अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक तेजी नहीं आई। महंगाई बढ़ने का प्राथमिक कारण था कृषि जिंसां विशेषकर बागवानी उत्पादों की अपर्याप्त आपूर्ति।

पिछले दो वर्षों में मुद्रास्फीति नीचे आ गई है। थोक महंगाई शून्य से नीचे है और खुदरा महंगाई भी 6 प्रतिशत से कम हो गई है। परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6.75 प्रतिशत कर दी है किंतु वाणिज्यिक बैंकों ने इस कटौती का पूरा लाभ ऋण लेने वालों को नहीं दिया है। वृद्धि तेज करने के लिए समीक्षा में नीतिगत दर घटाने तथा तरलता की स्थिति बेहतर करने का सुझाव है।

यद्यपि भारत निर्यात को वृद्धि के कारक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सका किंतु निर्यात

उसके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उद्योग के मामले में उनका बिक्री में औसतन 12 प्रतिशत योगदान है। पिछले 14 महीनों में निर्यात में बहुत कमी आई है, जिस कारण वैश्विक आय भी घटी है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि और आगे भी वृद्धि के संकेतों ने लगभग प्रत्येक मुद्रा का मूल्य कम कर दिया है। रुपया अपने पुराने निम्नतम स्तर के करीब है किंतु निर्यात में इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रतिद्वंद्वियों की मुद्रा के मूल्य कम हो जाने के कारण हम उनकी तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। मुद्राओं की इस लड़ाई में रिजर्व बैंक को रुपये की स्थिति उस सीमा तक संभालनी होगी, जिससे हमारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खत्म नहीं हो। समीक्षा में ऐसे जोखिम की आशंका जताई गई है।

वस्तु निर्यात में कमी के बावजूद चालू खाते का घाटा केवल 1.1 प्रतिशत है। इसमें आंशिक योगदान सेवा (आईटी एवं आईटी से संबद्ध सेवाएं) निर्यात का है और आंशिक योगदान अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट के कारण आयात में कमी का है। समीक्षा में अनुमान जताया गया है कि भारतीय बास्केट के लिए तेल मूल्य वर्तमान वर्ष के 45 डॉलर के बजाए 2016-17 में 35 डॉलर प्रति बैरल रहेंगे।

मूल प्रश्न यह है कि वृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए कौन से नीतिगत उपायों की आवश्यकता है। यह नहीं माना जा सकता कि वृद्धि जारी रहेगी क्योंकि पिछले निवेश का गुणात्मक प्रभाव समाप्त होने और निवेश घटने की आशंका है। वित्त मंत्री ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर ही रोकने का विकल्प चुना है। किंतु इस समय सार्वजनिक व्यय के द्वारा मांग उत्पन्न करने तथा सुधार के एजेंडा को आक्रामक तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।

2016-17 के बजट में 'वन रैंक वन पेंशन' तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्तों में वृद्धि पर खर्च की व्यवस्था भी की गई है। किंतु विकास के लिए महत्वपूर्ण है खर्च की गुणवत्ता अर्थात् तरीका। समीक्षा में तीन क्षेत्र पहचाने गए हैं, जहां व्यय बढ़ाया जाना था और जहां बजट ने व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

पहला क्षेत्र शिक्षा है। शिक्षा के बगैर

कर्मचारियों का काम कम उत्पादक होगा और उन्हें पारिश्रमिक भी कम ही मिलेगा। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है, उसे चिकित्सा पर कम खर्च करना पड़ता है और उसकी खर्च करने की क्षमता अधिक होती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिलकर विकास की कुंजी तैयार करते हैं और समीक्षा के अनुसार उनसे ही वृद्धि आरंभ होती है। अधिकतर देशों का यही अनुभव रहा है। तीसरा क्षेत्र कृषि है। उत्पादकता तथा खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए समीक्षा में जिन सर्वोद्भूत फसलों, बेहतर सिंचाई साधनों, खेतों में मशीनों के उपयोग, बाजार तथा सामग्री की बात करती है।

बजट में अनुत्पादक अथवा कम उत्पादकता वाले खर्च विशेषकर सब्सिडी पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। आर्थिक समीक्षा इस मुद्दे को उठाती है और लक्षित कमजोर वर्गों को लाभ नहीं पहुंचाने वाली सब्सिडी समाप्त करने का सुझाव देती है।

समीक्षा में दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। पहला, संपन्न वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली कई प्रकार की सब्सिडी समाप्त की जानी चाहिए। इनमें लघु बचत योजना में रियायत, रसोई गैस, रेलवे, बिजली, विमान ईंधन, सोने तथा केरोसिन पर सब्सिडी शामिल हैं, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बैठती हैं। दूसरा, मुख्य रूप से संपन्न किसानों की कृषि आय पर कर वसूला जाना तथा उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना।

**पिछले दो वर्षों में मुद्रास्फीति नीचे आ गई है। थोक महंगाई शून्य से नीचे है और खुदरा महंगाई भी 6 प्रतिशत से कम हो गई है। परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6.75 प्रतिशत कर दी है किंतु वाणिज्यिक बैंकों ने इस कटौती का पूरा लाभ ऋण लेने वालों को नहीं दिया है। वृद्धि तेज करने के लिए समीक्षा में नीतिगत दर घटाने तथा तरलता की स्थिति बेहतर करने का सुझाव है।**

ये सुझाव वित्त मंत्री के गले नहीं उतरेंगे क्योंकि संसद में एकजुट विपक्ष का सामना करना है और उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण और प्रगतिशील सुधार, जिनका क्रियान्वयन

राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है, भी राज्य सभा द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

यथासंभव तरीके से कर राजस्व में से ही व्यय किए जाएं और उधार अपरिहार्य स्थितियों में ही लिया जाए। समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों से ऐसा लगता है कि भारत सबसे कम कर वसूलने वाला देश है। जीडीपी तथा कर राजस्व का अनुपात 16.6 है, जो ब्रिक्स देशों में से चीन में 19.4, रूस में 23, दक्षिण अफ्रीका में 28.8 और ब्राजील में 35.6 प्रतिशत है। किंतु प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कर अनुपात निश्चित रूप से कम नहीं है। समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले 25 वर्षों में छूट की सीमा प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तेजी से बढ़ी है।

केवल चार उपाय विकास की प्रक्रिया में नाटकीय परिवर्तन कर सकते हैं। भूमि विधेयक सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के निवेश की राह में आ गया है। लगभग 25 प्रतिशत परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में समस्या के कारण अटकी हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर चर्चा बहुत अधिक हो चुकी है और यह विधेयक अब भी अटका है, जिससे वृद्धि बाधित हो रही है। केवल जीएसटी से ही जीडीपी वृद्धि में लगभग 1 प्रतिशत उछाल आ जाएगा। एफडीआई की राह में एक बाधा है निवेश निकालने की नीति। अबाध प्रवेश के साथ अबाध निकासी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर प्रवेश भी दुष्कर हो जाता है। अंत में समीक्षा के अनुसार बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने हेतु श्रम नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

फिर वृद्धि तेज करने तथा स्थायित्व सुनिश्चित करने का रास्ता क्या है? समीक्षा में कुछ नीतिगत उपाय बताए गए हैं:

- वृद्धि मुख्यतया घरेलू मांग पर निर्भर होनी चाहिए, जिसे बुनियादी ढांचे पर अधिक व्यय के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए।
- स्वर्ण पर कराधान, लघु बचत की सरकार द्वारा नियंत्रित दरों, पेंशन आदि पर मिलने वाली लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी में कटौती क्योंकि उनसे संपन्न वर्ग को ही लाभ मिलता है
- कर का आधार बढ़ाया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि निजी आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए
- व्यय में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि पर अधिक ध्यान होना चाहिए
- कृषि आय को आयकर के दायरे में लाकर धनी किसानों से कर वसूला जाना चाहिए
- उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए क्योंकि उसका अधिकतर लाभ बड़े किसानों को मिल जाता है
- रिजर्व बैंक को अपनी इक्विटी पूंजी घटाकर 16 प्रतिशत करनी चाहिए तथा उस राशि का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्पूँजीकरण में करना चाहिए
- बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन हेतु श्रम कानूनों में सुधार

समीक्षा में विकास के मुद्दों पर और विकास की संभावना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित बुनियादी आर्थिक एवं निष्पक्षता भरे विचारों के साथ चर्चा की गई है। इसलिए उपरोक्त उपाय उच्च एवं स्थिर वृद्धि के लिए सही वातावरण तैयार करने में बहुत प्रभावी होंगे। समीक्षा में 7 से 7.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो इस कल्पना पर आधारित है कि ये उपाय नहीं अपनाए जाएंगे और पूरी क्षमता के साथ वृद्धि नहीं होगी। यही कारण है कि समीक्षा में सतर्कता बरतने और भूल नहीं दोहराने को ही बेहतर माना गया है। □

# निश्चय

IAS ACADEMY

## सामान्य अध्ययन

### यशवंत सिंह एवं विशेषज्ञ टीम



दर्शनशास्त्र में हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च अंक  
**अंक-311**  
अरविन्द जैन

मेरी सफलता में दर्शनशास्त्र का महती योगदान है और दर्शनशास्त्र जैसे गूढ़ विषय का सरलता और सरलता के साथ अध्ययन 'निश्चय संस्थान' में 'यशवंत' सर' के सख्त डेल मार्गदर्शन में ही सम्पन्न हो पाया। इसके अनिश्चित सामान्य अध्ययन, निबंध एवं स्याज़ात्कार की तैयारी में भी यशवंत सर का मार्गदर्शन कारगर साबित हुआ है।  
Arvind K. Jain  
AIR - 580

निश्चय I.A.S. Academy एक छात्रों के प्रति समर्पित संस्था है जहाँ 30-40 विद्यार्थी ही अध्ययन करते हैं उनमें से प्रत्येक वर्ष 8-10 विद्यार्थी सफल होते। जो सफलता के प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे उच्च है। यह एक चमत्कार नहीं है बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को पीछे की गयी मेहनत को दर्शाता है।

- ◆ साप्ताहिक ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन **written test** पर बल
- ◆ त्रुटियों में सुधार (व्यक्तिगत तौर पर)
- ◆ प्रत्येक प्रश्न की फ्रेमिंग पर बल

- क्या आप अपने तैयारी से संतुष्ट हैं? क्या आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं। वहाँ की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं? तथा
- UPSC के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं?
- क्या आप को लगता है कि आप के साथ न्याय हो रहा है?
- यदि नहीं तो एक बार सोच लो कि सफल होना है या असफल निश्चय संस्थान इस दिशा में प्रयत्नशील है। इसलिए इस साल निबंध के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के अनेक प्रश्न क्लास नोट्स से आये हैं।

102, 103, 1st Floor, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9  
**# 011-47074196, 9990158578**

YH-320/2015

## ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण

हिरण्मय रॉय  
अनिल कुमार  
प्रसून द्विवेदी



भारतीय अर्थव्यवस्था, जो लगभग 7 प्रतिशत की संतुलित रफ्तार से बढ़ रही है और जिसे मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक 'दैदीप्यमान प्रकाश स्तंभ' कहकर सराहने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने स्वीकार किया है, वह भी तब, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार वर्ष 2014 में 3.4 प्रतिशत से लगातार घटते हुए वर्ष 2015 में 3.1 प्रतिशत रह गई। भारत की वृद्धि की गाथा घरेलू समावेशन के बल पर कुल मिलाकर सकारात्मक रही है और उसने वर्ष 2014-15 की ही तरह, वर्ष 2015-16 में भी सुदृढ़ और संतुलित आर्थिक वृद्धि दर्ज की है

**य**द्यपि हाल ही में घोषित बजट योजना कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, रोजगार सृजन और बैंकों के पूंजीगत ढांचे में व्यापक बदलाव जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर खर्च में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए- बहुतों की अपेक्षा के अनुरूप एकाएक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला (या महाविस्फोट) साबित हो सकती है। वस्तुतः इस घोषणा के साथ, भारत सरकार स्पष्ट तौर पर यह दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है कि वह ढांचागत व्यवस्था की अड़चनें मिटाने संबंधी अपने पुराने वायदे को निभाने के लिए बड़े परिवर्तन लाने की इच्छुक है।

**विज्ञान: 2016-17**

बजट अगले वित्त वर्ष के लिए देश के खर्च के बारे में समग्र रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सामान्यतः बजट का अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आने वाले वित्त वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च से निवेशक और अन्य हितधारक उस वर्ष के विज्ञान का अनुमान लगा पाते हैं। विचाराधीन बजट (2016-17) विकास और वृद्धि के लिए निम्न नौ बुनियादी स्तंभ प्रदान करता है:

1. कृषि और किसानों का कल्याण
2. ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना पर बल सहित ग्रामीण क्षेत्र
3. स्वास्थ्य सेवा सहित सामाजिक क्षेत्र

4. शिक्षा एवं कौशल विकास
5. अवसंरचना एवं निवेश
6. वित्तीय क्षेत्र के सुधार
7. गवर्नेंस और कारोबार करने में सुगमता
8. वित्तीय अनुशासन
9. कर सुधार

### अवसंरचना क्षेत्र की भूमिका

अवसंरचना, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि का आधार होती है। अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति विलियम जे. क्लिंटन ने एक बार कहा था, "यह साबित हो चुका है कि समान अवसर और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना नैतिक रूप से सही और अच्छा अर्थशास्त्र, दोनों ही हैं, क्योंकि भेदभाव, गरीबी और अज्ञानता प्रगति को अवरुद्ध करते हैं, जबकि शिक्षा, अवसंरचना और वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान में निवेश, प्रगति को बढ़ाते हैं, हम सभी के लिए ज्यादा नौकरियों और अतिरिक्त धन का सृजन करते हैं।" भारतीय संदर्भ में आज यह बात फिट बैठती है, जहां अवसंरचना सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत भी बन गई है, जैसा केंद्रीय बजट 2016 से पूरी तरह जाहिर है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस बजट में अवसंरचना क्षेत्र का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता, जो इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रेलवे, सड़कमार्ग और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों के लिए लगभग 2.21 लाख करोड़ रुपये का

हिरण्मय रॉय डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिज़नेस, यूपीईएस में असिस्टेंट प्रोफेसर (एसजी) हैं। वह लगभग डेढ़ दशक से अध्यापन में हैं। साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित शोध में उनका अच्छा अनुभव है। वह कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं। ईमेल: h.roy10@gmail.com, प्रसून द्विवेदी इसी संस्थान के इसी विभाग में सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष हैं। वह यूएनडीपी तथा यूकॉस्ट के साथ काम कर चुके हैं। अनिल कुमार भी इसी संस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष हैं। उनका अध्यापन तथा टाटा, एनपीटीआई जैसे संस्थानों के साथ कार्य करने का तीन दशक से अधिक का अनुभव है।



वित्तीय आवंटन किया गया है। अवसंरचना की भूमिका अपरिहार्य भी है, क्योंकि सभी क्षेत्रों को अपने विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत है।

### भौतिक अवसंरचना के लिए बजट

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 10 प्रतिशत अवसंरचना-क्षेत्र में निर्माण से आता है, जिसके लिए पांच साल में तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है और उसमें से आधी राशि निजी क्षेत्र के निवेश से आनी चाहिए। इसलिए बजट उनके लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त कर और ब्याज लाभ के साथ आवास क्षेत्र संभवतः फिर से संभल जाए।

### सड़क क्षेत्र

सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन सरकार द्वारा किया गया है, जबकि 15,000 करोड़ रुपये की राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कर मुक्त बांड्स से जमा कर सकता है। इसमें 27,000 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य सरकारों के योगदान द्वारा आवंटित की गई है।

वित्त पोषण की सुगम प्रणालियों के लिए अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं का आकलन करने के वास्ते एक नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 10,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा और 10,000 किलोमीटर के निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद सड़कों पर यात्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए नया सुधार किया जाएगा। यह संशोधन उद्यमियों को निश्चित दक्षता और सुरक्षा मानकों के आधार

पर विभिन्न मार्गों के बीच सेवाओं के संचालन को प्रोत्साहन देगा।

छोटी पेट्रोल कारों, एलपीजी कारों, सीएनजी कारों पर 1 प्रतिशत, कुछ निश्चित क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत तथा अन्य हाई इंजन क्षमता वाले वाहनों और एसयूवी पर 4 प्रतिशत अवसंरचना उपकर वसूला जाएगा। इस उपकर का कोई भी ऋण उपलब्ध नहीं होगा न ही इस उपकर के भुगतान के लिए किसी अन्य कर अथवा शुल्क के ऋण का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

### बिजली और ऊर्जा क्षेत्र

देश के किसी भी प्रतिष्ठान के लिए बिजली और ऊर्जा क्षेत्र भी ढांचागत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि बिजली और ऊर्जा दोनों ही देश के किसी भी प्रतिष्ठान के लिए अपरिहार्य हैं। बजट में कहा गया है कि सरकार ने कोयला उत्पादन में दो दशकों की सर्वोच्च वृद्धि, उत्पादन में उच्चतम अतिरिक्त क्षमता, ट्रांसमिशन लाइन्स और एलईडी बल्ब्स के वितरण में उच्चतम वृद्धि हासिल की है।

### ग्रामीण विद्युतीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा

1 अप्रैल 2015 तक कुल 18542 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी कि 1000 दिन के भीतर शेष गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। हालांकि, सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत अत्याधिक वित्त पोषण के साथ मई 2018 तक गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे ऊर्जा की मांग और खरीद में सुधार होने और इस प्रकार उत्पादन कंपनियों के लिए प्लांट लोड

फैक्टर लेवल (संयंत्र लदान कारक के स्तरों) में वृद्धि होने की संभावना है। शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए 8500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बजट से त्वरित अवमूल्यन कटौती प्राप्त हो सकती है, जो नकारात्मक है और इसकी वजह से मार्च 2017 के बाद स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए, विशेषकर पवन ऊर्जा शुल्कों में वृद्धि होगी।

### परमाणु ऊर्जा

बजट में, भारत में अगले 15-20 वर्षों में परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह हरित ऊर्जा पहल की दिशा में एक कदम और थोरियम के प्रचुर संसाधनों की वजह से भारत के लिए ऊर्जा का टिकाऊ स्रोत साबित होगी। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

### स्वच्छ ऊर्जा उपकर

इसके अलावा, कोयले, लिग्नाइट और पीट (जलावन के काम आने वाली घास) पर लगाए गए 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' का नाम 'स्वच्छ पर्यावरण उपकर' कर दिया गया है और इसकी दर 200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन कर दी गई है। इससे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विस्तार हतोत्साहित होगा और वैकल्पिक ईंधन के स्रोतों के विस्तार को सहायता मिलेगी।

### तेल एवं गैस क्षेत्र

गहरे समुद्र और गहरे जल भंडारों से तेल एवं गैस के नए उत्खनन की संभावनाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से उत्खनन को प्रोत्साहन दिया गया है। इसकी बदौलत इससे अन्य कंपनियां भी

## उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संचालन एवं वित्तीय पुनरुद्धार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है। योजना का लक्ष्य ब्याज का बोझ, विद्युत मूल्य, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि आदि को कम कर डिस्कॉम की कार्यदक्षता को बढ़ाना है।

अब तक 17 राज्यों ने उदय योजना में शामिल होने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनमें से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पहले ही उदय योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। योजना में शामिल होने वाले अन्य राज्यों को भी इसका लाभ लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा।

तेल एवं गैस के स्वदेशी उत्पादन में दिलचस्पी ले सकती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर आयात का बोझ कम हो सकता है और हमारे देश में तेल एवं गैस संसाधनों का किफायती मूल्य निर्धारण हो सकता है।

### सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वर्तमान बजट के प्रमुख संचालकों में से एक है। सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों द्वारा निवेश और निजी कंपनियों की विशेषज्ञता से, विशाल निर्माण पूर्व अवधि वाली समस्त प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के त्वरित विकास में सहायता मिलेगी। पीपीपी मॉडल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय बोझ और निवेश जोखिम में भी कमी लाता है, क्योंकि निजी कंपनियां ज्यादा किफायती और ज्यादा कारगर हैं। पीपीपी मॉडल अभी शुरूआती अवस्था में है, इसके बावजूद भारत सरकार पीपीपी मॉडल को ज्यादा लचीला और पुनः विनिमेय बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है।

### पीपीपी में नई जान डालने के लिए कदम

- सार्वजनिक उपयोगिता (विवाद निपटान) विधेयक वर्ष 2016-17 के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
- पीपीपी रियायत अनुबंधों के पुनः विनिमेय के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
- अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नई क्रेडिट रेटिंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। (पीपीपी पर उपरोक्त बिंदु पीपीपी मॉडल पर पुनर्विचार करने और उसमें नई जान डालने से संबंधित केलकर समिति का अंग हैं)
- पीपीपी अनुबंधों के पुनः विनिमेय के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश उत्पादन कंपनियों के लिए सकारात्मक है, जो पिछली बोलियों और दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं में उद्धृत किए गए अलाभकारी शुल्कों से प्रभावित होती आई हैं।
- अवसंरचना और बिजली क्षेत्र पर खर्च में और ज्यादा वृद्धि करने के लिए, सरकार एनएचआई, पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, नाबार्ड और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बॉड्स के माध्यम से वर्ष 2016-17 के दौरान 31,300 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि जुटाने की अनुमति देगी।

### विवाद निपटान

वर्तमान बजट में विवाद निपटान के लिए पृथक कानूनी ढांचा बनाने का सुझाव दिया गया है। इससे परियोजनाओं के पीपीपी मॉडल में शिकायत निवारण प्रणाली में ज्यादा लचीलापन, पारदर्शिता और तेजी आएगी।

### प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) नीतियां

प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) की नीतियों में भी बदलाव लाने का प्रस्ताव किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण एवं भंडारण उद्योग में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति होगी, क्योंकि यह सरकार के लिए सस्ती पूंजी और कम जोखिम का प्रावधान करता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के इच्छुक बहुत से विदेशी निवेशकों को आकर्षित भी करता है।

यह बजट हर तरह से परिपूर्ण है, इसमें लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बजट किसानों, ग्रामीण, सामाजिक और अवसंरचना विकास संबंधी कदमों पर ज्यादा स्पष्ट फोकस के साथ परिवर्तनकारी एजेंडा प्रस्तुत करता है।

### कृषि में अवसंरचना

- भारत में लगभग 50 प्रतिशत मानवशक्ति कृषि क्षेत्र (मत्स्य पालन, बागवानी आदि सहित) में कार्य करती है। विकास के लिए कृषि क्षेत्र की अवसंरचना में निम्नलिखित सुधार लाने की आवश्यकता है:
- खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण और कोल्ड चैन की बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना
- पैदावार में सुधार लाने के लिए जैविक खाद और उर्वरक की खरीद करना
- भूजल की आवश्यकताओं में कमी लाने के लिए टिकाऊ बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना
- सिंचाई रहित जोतों के लिए सिंचाई की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना
- किसानों के सीधे राजस्व के लिए अवसंरचना की ऑनलाइन बिक्री और खरीद
- इस बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष नकद लाभ अंतरण का प्रस्ताव किया गया है।

### ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना

ग्रामीण आबादी, भारत की कुल जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत हिस्सा है। फिर भी बहुत सी बुनियादी सुविधाएं इस तथ्य के बावजूद वहां नहीं पहुंच सकी हैं, कि ज्यादा घनी आबादी और अधिक साक्षरता दर वाले शहरी क्षेत्रों के विपरीत, वे बुनियादी सुविधाएं जुटाने और उनका रखरखाव करने में वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं लेकिन ग्राम पंचायतें अब वित्तीय और कार्यात्मक, दोनों प्रकार से अधिकारों से संपन्न हैं।

- 300 रूरबन (ग्रामीण एवं शहरी) समूहों का विकास-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंतर्गत
- 1 मई 2018 तक गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण
- अगले 3 वर्षों में 6 करोड़ अतिरिक्त घरों के लिए नया डिजिटल साक्षरता मिशन (डीआईएसएचए)
- केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, खुले में शौच से मुक्त हो चुके गांवों के लिए पुरस्कार।

भारत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का अभूतपूर्व रूप से कार्यान्वयन कर रहा है। अतीत में धन के अभाव की वजह से इस योजना को कठिनाइयां उठानी पड़ीं। वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में आवंटन क्रमशः 8,885 करोड़ रुपये और 9,805 करोड़ रुपये रहा। सरकार ने पिछले दो वर्षों में इस आवंटन में काफी वृद्धि की है और अब वर्ष 2016-17 में इसके लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्यों के हिस्से के साथ, वर्ष 2016-17 में इस योजना पर कुल लगभग 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य इस कार्यक्रम को वर्ष 2021 के स्थान पर वर्ष 2019 तक संपन्न करना है और 2.23 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करते हुए 65,000 बस्तियों को जोड़ना है। तदनुसार, निर्माण की गति, जो वर्तमान में 100 किलोमीटर प्रतिदिन है, जबकि वर्ष 2011-14 तक निर्माण की यह गति औसतन 73.5 किलोमीटर थी, में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी।

(जारी ... पृष्ठ 38 पर)

# दूरदर्शी और विकासोन्मुखी रेल बजट

अरविंद कुमार सिंह



रेल मंत्री द्वारा संसद में 25 फरवरी 2016 को प्रस्तुत रेल बजट मौजूदा चुनौतियों के लिहाज से साहसिक, दूरदर्शी और बेहतरीन रेल बजट माना जा रहा है। रेल बजट में जहां रेलों की बुनियाद को मजबूत करने के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ठोस दिशा दिखती है वहीं 2020 तक कई नई पहल भी साकार करने का खाका बना गया है। भारतीय रेल के भविष्य के लिहाज से यह विकासोन्मुखी, प्रगतिशील और संतुलित बजट है। रेल मंत्री ने जहां मुसाफिरों को तमाम नई सुविधाओं की सौगात दी है, वहीं किराया या माल भाड़ा नहीं बढ़ाकर तमाम विश्लेषकों को चौंकाया भी है

**सा** रे प्रचार माध्यम बजट के पहले कयास लगा रहे थे कि इस रेल बजट में किराया और माल भाड़ा बढ़ेगा लेकिन रेल मंत्री ने साहसिक फैसला लेते हुए यह कदम उठाया। रेल मंत्री ने बजट की थीम रखी है यात्री की गरिमा, रेल की गति और राष्ट्र की प्रगति। बजट वाकई इसी दिशा की ओर अग्रसर नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट रेलवे की समस्याओं को दूर करने में दूरगामी परिणाम देने वाला होगा।

आज भारतीय रेल कई तरह की चुनौतियों और संसाधनों की तंगी से जूझ रही है। रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है कि यह शायद सबसे मुश्किल समय है। इसमें दो प्रमुख चुनौतियां रेलवे के नियंत्रण के बाहर हैं। पहला सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का प्रभाव और दूसरा परिवहन में रेलवे की गिरती हिस्सेदारी जो अब 36 फीसदी तक आ गई है। फिर भी रेलवे को उम्मीद है कि 2016-17 के दौरान वह 1.84 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटा सकेगी जो चालू साल के संशोधित लक्ष्य से करीब 10.1 फीसदी अधिक है। इसके लिए रेलवे ने कई पक्षों पर ध्यान दिया है और भविष्य के लिए एक बेहतर रोड मैप भी बनाया है। रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन और प्रशासनिक चुस्ती सहित नई सोच के साथ इस बजट में कई संकेत दिए हैं। बजट में जमीनी हकीकत के हिसाब से रेलवे की प्राथमिकताएं तय की गई हैं।

रेल मंत्री ने 2016-17 में पूंजीगत योजना के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। पीपीपी और राज्यों के साथ संयुक्त

उद्यम की रेल मंत्री की मंशा इस बजट में फलीभूत होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ और कुछ दूसरे राज्यों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। राज्यों की साझेदारी में संयुक्त उद्यम बनाना आधारभूत ढांचे और वंचित इलाकों के हिसाब से एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। इसके तहत 5,300 किमी नई लाइनों के निर्माण के लिए 44 नई साझेदारी में सफलता हासिल हुई है जिसमें 92 हजार करोड़ से अधिक राशि व्यय होगी। इससे भविष्य में रेलवे के कार्याकल्प की आधारशिला रखी जा सकेगी। पीपीपी के जरिए लाजिस्टिक और वेयरहाउस पार्क बनाने और 400 स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार की गई है। रेल मंत्री सांसद निधि से यात्री सुविधाओं के विकास की दिशा में भी कुछ सफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि 124 सांसदों ने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सांसद निधि से भी तमाम यात्री सुविधाओं को गति दी जा सकेगी।

## यात्री अनुकूल व्यवस्थाएं

मोबाइल आज आम आदमी का बड़ा हथियार बन गया है। इसे ध्यान में रख कर रेल मंत्री ने कई योजनाओं की तैयारी की है। मुसाफिरों के लिए वाई फाई से लेकर टिकटिंग और बहुत सी नई पहलों का ऐलान करते हुए रेल मंत्री ने समय पालन पर खास जोर दिया है। संरक्षा रिकार्ड में सुधार के लिए उच्च स्तरीय तकनीक, बिना चौकीदार के समपारों की समाप्ति, यात्री और मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाना, सेमी हाईस्पीड गाड़ियां चलाने जैसी योजनाएं 2020 तक साकार करने की बात कही गई है। इसी तरह रेल मंत्री ने

लेखक रेल मंत्रालय के पूर्व सलाहकार और संचार और परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की परियोजना के तहत भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन के इतिहास के लेखक। ईमेल: arvindksingh.rstv@gmail.com

हर श्रेणी के कोच में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण में खास कोटा तय करने के साथ हर कोच में जीपीएस सिस्टम लगाने की बात भी कही है। इससे मुसाफिरों को

**रेल मंत्री ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जो प्रतिबद्धता जताई थी उससे वे जरा भी पीछे नहीं डिगे हैं। 2019 तक 1.99 लाख करोड़ रुपये व्यय कर सालाना माल वहन क्षमता डेढ़ अरब टन करने के लिए रेल मंत्री की कोशिशें इस बजट में दिख रही हैं।**

यह पता चलता रहेगा कि आने वाला स्टेशन कौनसा है। अभी तक इस मामले में मुसाफिरों को बहुत दिक्कत होती थी। इससे मुसाफिरों को काफी सुविधा होगी।

यह ध्यान रखने की बात है कि रेल मंत्री ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जो प्रतिबद्धता जताई थी उससे वे जरा भी पीछे नहीं डिगे हैं। 2019 तक 1.99 लाख करोड़ रुपये व्यय कर सालाना माल वहन क्षमता डेढ़ अरब टन करने के लिए रेल मंत्री की कोशिशें इस बजट में दिख रही हैं। रेल पथ नवीनीकरण, पुल और संरक्षा के साथ खास प्राथमिकता वाली परियोजनाओं और पूर्वोत्तर तथा कश्मीर की राष्ट्रीय रेल परियोजनाओं का रेल मंत्री ने पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय रेल परियोजनाओं के लिए भारत सरकार अलग से संसाधन मुहैया करा रही है। इससे कई वंचित इलाकों में विकास की नई राह तैयार हुई है और कुछ जगह इसके परिणाम दिखने लगे हैं।

आज रेल परिसंपत्तियों पर भारी दबाव है और लंबित परियोजनाओं की सूची लंबी चौड़ी होती जा रही है। इसके लिए आज करीब पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत है। लेकिन प्राथमिकताएं तय करके इसी हालत के बीच कई परियोजनाएं साकार होने जा रही हैं। भारतीय रेल की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। रेल मंत्री निजी तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। बीते छह सालों में इसके विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए थे लेकिन नवंबर 2014 से अब तक 24,000 करोड़ रुपये के ठेके दिए जा चुके हैं। रेल मंत्रालय ने पीपीपी सहित नए वित्त पोषण के जरिए उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और पूर्व तट माल गलियारों को शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

2016-17 में सातवें वेतन आयोग का तात्कालिक प्रभाव आकलित करने के बाद परिचालन अनुपात 92 फीसदी रहने की आशा व्यक्त की गई है। पहले 2008-09 में छठे वेतन आयोग के प्रभाव के कारण साधारण संचालन व्यय में 32.5 फीसदी की वृद्धि हुई थी लेकिन ठोस प्रबंधन के साथ 2016-17 में इसे 11.6 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है।

रेल बजट की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इसमें सेवाओं की गुणवत्ता, समयपालन, संरक्षा, टर्मिनलों की गुणवत्ता, गाड़ियों की क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा जैसे मसलों पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए काफी संसाधन दिए गए हैं। पहली बार किसी रेल मंत्री ने रेलवे की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की ठोस योजना को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की है। इसके पहले के कई बजटों में जमीनों के व्यावसायिक उपयोग की बात तो बजटों में आई लेकिन जमीनी स्तर पर उसका खास परिणाम नहीं दिखा।

रेल मंत्री ने अपनी कार्यनीति के तीन स्तंभ तय किए हैं। नव अर्जन, नव मानक और नव संरचना। भारतीय रेल पहले राजस्व बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाने पर ही खास जोर देती रही है लेकिन इसे बदलने की सोच के तहत नव अर्जन की नीति कुछ अलग हट कर रखी है। रेल मंत्री परिवहन के क्षेत्र रेलवे के हिस्से को दोबारा पाने के लिए मालभाड़ा नीतियों पर अपनी परंपरागत सोच को बदलना चाहते हैं। इसी नाते उनका जोर राजस्व के नए स्रोतों का दोहन करने पर है। रेल मंत्री यह भी चाहते हैं कि नव मानक के तहत अगले बजट से शून्य आधारित बजट प्रक्रिया की अवधारणा अपनाई जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के समकक्ष होगी।

### नई रेलगाड़ियां

किसी भी रेल बजट का खास आकर्षण रेलगाड़ियां होती हैं। इस बजट में रेल मंत्री ने यात्रा की गुणवत्ता में सुधार की पहल करते हुए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों में चार नई रेलगाड़ियों को चलाने का ऐलान किया है। इसमें तेजस 130 किमी प्रति घंटा या उससे अधिक रफ्तार की होगी। इस ट्रेन में मनोरंजन, वाई-फाई और खाने की बेहतर व्यवस्था होगी। दूसरी श्रेणी हमसफर गाड़ी है जिसमें

सभी कोच एसी-3 श्रेणी के होंगे और इसमें खाने का विकल्प भी होगा। अभी तक इस श्रेणी में गरीब रथ चल रही है लेकिन उसमें खाने का विकल्प नहीं है। तीसरी श्रेणी उदय डबल डेकर एसी रेलगाड़ी होगी। इसे अति व्यस्त रूटों पर चलाने की योजना है जिससे केवल रात भर की यात्रा में मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इस रेलगाड़ी में बाकी गाड़ियों की तुलना में चालीस फीसद अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। रेल मंत्री ने आम आदमी की सुविधा के लिए चौथी अंत्योदय नामक लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया है। इसमें केवल जनरल कोच होंगे। जाहिर है यह गाड़ी आम मुसाफिरों और कमजोर माली हालत के यात्रियों को ध्यान में रख कर चलाने का फैसला लिया जा रहा है।

### अवसंरचना प्रबंधन

रेल मंत्री की मंशा है कि योजनाबद्ध तरीके से रेल सेवाओं का विकास इस तरह किया जाए कि 2020 तक सभी यात्रियों को जब चाहें कंफर्म टिकट मिल जाए। वे चाहते हैं कि समय पालन 95 फीसदी तक हो और रेलगाड़ियों की औसत रफ्तार तथा क्षमता बढ़े। इसके तहत 2020 तक के लिए ठोस लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके तहत विश्वसनीय सेवा प्रतिबद्धता के साथ समय सारणी के तहत मालगाड़ियों का संचालन करने की योजना है। साथ ही

**रेल बजट की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इसमें सेवाओं की गुणवत्ता, समयपालन, संरक्षा, टर्मिनलों की गुणवत्ता, गाड़ियों की क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा जैसे मसलों पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए काफी संसाधन दिए गए हैं। पहली बार किसी रेल मंत्री ने रेलवे की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की ठोस योजना को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की है। इसके पहले के कई बजटों में जमीनों के व्यावसायिक उपयोग की बात तो बजटों में आई लेकिन जमीनी स्तर पर उसका खास परिणाम नहीं दिखा।**

उच्च स्तरीय तकनीक के साथ संरक्षा रिकार्ड में सुधार करना है। बिना चौकीदार के समपारों की समाप्ति के साथ मालगाड़ियों की औसत गति 50 किमी प्रति घंटा और मेल एक्सप्रेस

गाड़ियों की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटे करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही स्वर्णिम चतुर्भुज पर सेमी हाइस्पीड गाड़ियां चलाने की योजना है। इससे मुसाफिरों की तमाम दिक्कतों का निदान हो सकेगा।

**रेल मंत्री ने अपनी कार्यनीति के तीन स्तंभ तय किए हैं। नव अर्जन, नव मानक और नव संरचना। भारतीय रेल पहले राजस्व बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाने पर ही खास जोर देती रही है लेकिन इसे बदलने की सोच के तहत नव अर्जन की नीति कुछ अलग हट कर रखी है।**

एक ही प्रबंध व्यवस्था के तहत विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली भारतीय रेल अपने 17 क्षेत्रीय रेलों और 68 मंडलों के प्रशासनिक तंत्र और 65,000 किमी नेटवर्क के सहारे देश का सबसे बड़ा नियोजक और परिवहन का मुख्य आधार स्तंभ बनी हुई है। भारतीय रेल में रोज चलने वाली 19,710 रेलगाड़ियों में 12,335 यात्री गाड़ियां हैं, जिनके संचालन पर रेलवे सालाना 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठा रहा है। भारतीय रेल के पास 2,34,503 माल डिब्बे और 55,211 कोचों और 9549 इंजनों का भी विशाल बेड़ा है। रेल मंत्री की योजना है कि रेलवे की परिवहन क्षेत्र में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। रेलवे की कुल परिवहन में जो हिस्सेदारी 1980 तक 62 फीसदी थी और आज 36 फीसदी हो गई है। इस नाते विस्तार गतिविधियों पर जोर देना जरूरी हो गया है।

हालांकि, यह ध्यान रखने की बात है कि आजादी के 68 सालों के बाद भी हम केवल 11,000 किमी नई रेल लाइनों का विस्तार कर सके हैं। हमारे पास 1947 में कुल 53,996 किमी रेलमार्ग था जो आज 65,000 किमी पर पहुंच पाया है। वहीं पड़ोसी चीन ने अपनी क्षमता का व्यापक विस्तार किया है। चीन में अकेले 2006 से 2011 के बीच में 14,000 किमी नई रेल लाइनें बनीं, जिनमें कई बहुत कठिन और दुर्गम इलाकों में बनीं। आज चीन के पास 1.20 लाख किमी रेलमार्ग है जो हमसे दोगुना हो गया है, जबकि आज के सौ साल पहले ही आज के उत्तर प्रदेश में चीन से अधिक रेलमार्ग था।

इसी नाते रेल मंत्री के एजेंडे पर क्षमता

विस्तार सबसे ऊपर है। 2016-17 में 2800 किमी रेलपथ को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हिसाब से रोज 7 किमी प्रति दिन बड़ी लाइन बनाना है। बीते छह सालों का सालाना औसत 4.3 किमी प्रति दिन का रहा था। सरकारी योजना है कि यह रफ्तार आगे बढ़ते हुए 2017-18 में रोज 13 किमी और 2018-19 तक 19 किमी रेल लाइन रोज तक पहुंच जाए। इसी तरह रेलवे में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2000 किमी तय किया गया है और 2016-17 में इस मद में 50 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है। इसके तहत रेल मंत्री पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि नए नजरिए के साथ काम करने के नए तरीके अपनाए जाएं। इससे तमाम परियोजनाओं को गति मिल सकेगी।

### रेल बजट 2016-17: मुख्य आंकड़े ( ₹ हजार में )

मद	वास्तविक 2014-15	बजट अनुमान 2015-16	सं. अनुमान 2015-16	बजट अनुमान 2016-17
कुल यात्री आय	421896054	501750000	453761545	510120000
माल ढुलाई आय	1057913357	1214230000	1118527167	1179327500
कुल परिवहन प्राप्तियां	1567105359	1835780000	1678340061	1848198400
सकल राजस्व प्राप्तियां	1610172492	1885567032	1718049700	1892706400
कुल कार्य खर्च	476748380	594386000	512997654	576750000

स्रोत: रेल बजट 2016-17

### वित्तीय अनुशासन

रेल मंत्री ने 2016-17 की वार्षिक योजना का आकार 1,21,000 करोड़ रुपये रखा है। 2012-13 का योजना आकार 60,100 करोड़ रुपये का था और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कठिन हालात में भी रेल मंत्री ने कैसी तैयारी की है। यह अब तक की सर्वाधिक निवेश योजना है। रेलवे की मंशा है कि राजस्व में वृद्धि के साथ उपयुक्त निवेश सुनिश्चित किया जाए। इससे भीड़-भाड़ कम करने और लाइन क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने 2016-17 में यातायात से कुल आमदनी का लक्ष्य 1.84 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा है। इसमें यात्री यातायात से 12.4 फीसदी अधिक और करीब 51,012 करोड़ रुपये की आमदनी होगी, जबकि माल भाड़े से 1.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक अन्य आमदनियों से 15,776 करोड़ रुपये के करीब आय होगी।

### सुरक्षा व संरक्षा

रेल मंत्री ने सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। यह भी तय किया गया है कि भविष्य में कोई भी मानव रहित समपार नहीं बनेगा। साथ ही सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी

**रेल मंत्री ने 2016-17 की वार्षिक योजना का आकार 1,21,000 करोड़ रुपये रखा है। 2012-13 का योजना आकार 60,100 करोड़ रुपये का था और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कठिन हालात में भी रेल मंत्री ने कैसी तैयारी की है। यह अब तक की सर्वाधिक निवेश योजना है।**

कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं गति पकड़ेंगी। इसी तरह रेल परिसर और रेलगाड़ियों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए कुछ नए और फुलप्रूफ उपाय किए जा रहे हैं।

रेलवे प्रणाली को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत तो है ही। कुशल मानव संसाधन भी चाहिए। नियुक्तियों के मामले में रेलवे ने पारदर्शी व्यवस्था की है। इसके तहत 2015-16 में ऑनलाइन भर्ती आरंभ की गई थी जिसे अब सभी पदों के लिए अपनाने का फैसला लिया गया है। रेलवे अस्पतालों की दशा सुधारने के साथ गैंगमैनों पर भी खास ध्यान दिया गया है। गैंगमैनों की सुरक्षा के लिहाज से रक्षक उपकरण से लैस किया जाएगा। इससे पेट्रोलिंग के समय उनके द्वारा ढोए जाने वाले उपकरणों औजारों का भार कम होगा। गैंगमैनों को आने वाली गाड़ियों के बारे में पहले जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह लोको पायलटों की सुविधा के लिए कैब में पहली बार टायलट और एसी का इंतजाम किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों की क्षमता के विकास के साथ अनुसंधान और विकास के तहत कई नए उपाए किए जा रहे हैं। कौशल विकास के तहत रेलवे ने बड़ी योजना तैयार की है।

### अन्य विशेषताएं

रेल बजट में पहली बार रेल मंत्री ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के तहत कई नए कदम उठाने का ऐलान किया है। इसके तहत पर्यटक सर्किट गाड़ियां चलाने के लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी होगी। हाल में रेल संग्रहालय को अपग्रेड किया गया है। रेलवे संग्रहालयों और यूनेस्को विश्व धरोहर रेलों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी तैयार की गई है। रेलवे ने अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक संपूर्ण पैकेज भी आरंभ किया है। इसमें कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ वन्यजीव सर्किट शामिल किया गया है।

यहां उल्लेख जरूरी है कि 23 फरवरी 2016 को संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रेलवे के कामकाज की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए कई महत्वाकांक्षी उपाय किए हैं। सभी नए कोचों में बायो टॉयलेट लगाए

जा रहे हैं। सरकार ने रेल लाइन दोहरीकरण, आमाम परिवर्तन और रेलवे में क्षमता वृद्धि संबंधी कामों पर ध्यान दिया है। बड़ी लाइन बिछाने और विद्युतीकरण का काम अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है। 2015 में रेलवे में पूंजीगत व्यय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसी तरह जापान सरकार के साथ महत्वपूर्ण करार से मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कारिडोर की परिकल्पना साकार होगी। साथ ही सरकार ने मद्रास में डीजल और मधेपुरा में बिजली रेल इंजन कारखाना लगाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

कुल मिला कर इसके सारे पहलुओं की विवेचना करने पर पता चलता है कि 21वीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय रेल को विकसित करने की दिशा में यह रेल बजट एक मील का पत्थर बनेगा। फिर भी कुछ नीतिगत मसलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी ताकि देश की जीवन रेखा यानि भारतीय रेल को और ताकतवर बनाए रखा जा सके। □

## अंतरिक्ष विज्ञान में अध्ययन को प्रोत्साहन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की अंतरिक्ष विज्ञान प्रोत्साहन योजना (एसएसपीएस) शुरू की गई है जिसका लक्ष्य विश्वविद्यालयों में अंतरिक्ष अनुसंधान पर शोध को सहयोग और मजबूती प्रदान करना है। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को एमएससी/एम. टैक करने के लिए फेलोशिप, प्रयोगशाला उपकरणों के लिए एकमुश्त अनुदान, अतिथि वैज्ञानिकों/संकायों के लिए आर्थिक सहायता आदि शामिल हैं। इसरो की प्रायोजित *रेस्पॉन्ड अनुसंधान योजना* का लक्ष्य भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अकादमिक स्तर पर, युवा शोधकर्ताओं को विविध अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहभाग और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसरो के अंतरिक्ष अनुसंधान व खगोलीय मिशन जैसे कि चंद्रयान प्रथम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसेट आदि ने युवा प्रतिभाओं में विज्ञान के प्रति नये सिरे से दिलचस्पी पैदा की है।

अंतरिक्ष विज्ञान विभाग इन विषयों पर लगातार कार्यशालाएं, प्रदर्शनी एवं अन्य आउटरीच कार्यक्रम करता रहता है। इस विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) की स्थापना तिरुवनंतपुरम में की है, जो एक मानद विश्वविद्यालय है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषीकृत शिक्षा देता है। यह देश में अपने तरह का प्रथम संस्थान है जो स्नातक, परास्तानक, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल आदि विभिन्न स्तरों पर अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इसके अनुप्रयोगों के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है। केंद्रीय बजट 2015-16 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के लिए कुल मिलाकर 20926 करोड़ रुपये की केंद्रीय आयोजना तैयार की गई है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत बढ़ी है।

(पृष्ठ 34 से जारी ...)

### निष्कर्ष

कुल मिलाकर इस साल का बजट अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्र के लिए "एकाएक बहुत बड़ा बदलाव लाने" (या महाविस्फोट) का प्रावधान करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना निवेश विकास को प्रारंभ करने की सरकार की मंशा को स्पष्ट तौर पर परिलक्षित करता है। वास्तव में, सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर, नई अवसंरचना

निधियों की रचना करके और सशक्त, ज्यादा पारदर्शी पीपीपी प्रक्रिया की बुनियाद रखकर सरकार उन प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध दिखती है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों द्वारा लंबे अर्से से उठाई जाती रही हैं।

इस बजट का विश्लेषण करते हुए, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार सार्वजनिक धन की दीर्घकाल के उपयोग की मंशा रखती है और इसलिए उन्होंने अवसंरचना में निवेश के माध्यम से आर्थिक वृद्धि करने का

फैसला किया है, बजट से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार केवल शहरों में ही बुनियादी सुविधाएं जुटाने की इच्छुक नहीं है, बल्कि गांवों में भी बेहतर नीतिगत रूपरेखा के साथ बुनियादी सुविधाएं जुटाना चाहती है। अतीत में अवसंरचना से जुड़ी बहुत सी परियोजनाएं निजी वित्त पोषण के अभाव के कारण पूरी न हो सकी या बीच में रोक दी गईं, ऐसे में इस बजट में अवसंरचना में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ज्यादा प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया है। □

## नवाचार की ओर बजट के कदम

रहीस सिंह



2016-17 के वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया बजट उन जरूरतों पर बल देता हुआ दिखाई दे रहा है जो नवाचार के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी व समावेशी प्रक्रिया को प्रोत्साहन दे सकती हैं। फिलहाल अब 'रन ऑफ द मिल' यानी बने बनाए ढर्रे पर चलने का वक्त खत्म हो चुका है इसलिए अब बिना नवोन्मेषी बने स्थाई और श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करना बेहद मुश्किल है। और राज्य व सरकार हर स्तर पर रास्ता नहीं बना सकती, इसलिए अब जरूरत है अच्छी नीतियों और प्रोत्साहनों की, जो 2016-17 के बजट में काफी हद तक प्रतिध्वनित हो रहे हैं।



छ समय पहले बिल गेट्स ने कहा था कि पैदाइशी किस्मत बदल चुकी है—जिस तरह भूगोल और प्रतिभा का पूरा संबंध बदल चुका है। तीस साल पहले अगर आपके पास विकल्प होता कि आप बॉम्बे या शंघाई के किसी उपनगरीय क्षेत्र में एक जीनियस के रूप में पैदा होते या फिर अमेरिका में एक औसत आदमी के रूप में, तो आपके फलने-फूलने और अच्छी जिंदगी बिताने की उम्मीद अमेरिका में ज्यादा थी लेकिन दुनिया के समतल होने के साथ .... प्राकृतिक प्रतिभा भूगोल पर भारी पड़ने लगी है। बिल गेट्स के इस निष्कर्ष से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दुनिया दिशा जिस तेजी से बदल रही है और जिस तरह से नई हलचलें जन्म ले रही हैं वे इसका प्रमाण हैं लेकिन देखना यह होगा कि यह संभव कैसे हो? आखिर इसके लिए रास्ते कौन-कौन से हैं? विशेषज्ञताओं से सम्पन्न मानव संपदा इसके लिए उपयुक्त रास्ते तलाश सकती है लेकिन यहां विशेषज्ञता का तात्पर्य सीमित ज्ञानता से नहीं बल्कि विशेषज्ञताओं की अनन्यता से पोषित मानव संपदा से है ताकि एक प्रकार की विशेषज्ञता दूसरे प्रकार की विशेषज्ञता का पोषण कर सके।

दूसरे शब्दों में कहें तो यह 'नॉलेज मेरिटोक्रेसी' का युग है जिसमें इस बात का महत्व बेहद कम है कि 'क्या सीखा गया है' बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि 'कैसे सीखा गया है' क्योंकि सीखने की कला यानि कौशल और नवान्मेषी विशेषज्ञता, ही बदलते समय के साथ कामयाब प्रतियोगी बना सकती है। ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए नीतियों व प्रयासों

का वर्ष-दर-वर्ष आकलन आवश्यक होता है, इसलिए अब यह देखना आवश्यक है कि वर्ष 2016-17 के बजट में केंद्र सरकार ने इसे लेकर किस तरह का नजरिया पेश किया है और उस नजरिए को कार्यरूप में लाने के लिए किस तरह की यांत्रिकी निर्मित की जानी है?

2016-17 को बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का एजेंडा 'ट्रांसफार्म इंडिया' का है। इसलिए उन्होंने बजट प्रस्ताव में निम्नलिखित 9 विशिष्ट स्तंभों का निर्माण कर परिवर्तनकारी एजेंडे को क्रियान्वित कराने का प्रयास किया है :


1. **कृषि और किसान कल्याण:** किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दो गुना करने पर ध्यान दिया जाएगा।
2. **ग्रामीण क्षेत्र:** ग्रामीण रोजगार और अवसरंचना पर बल दिया जाएगा
3. **सामाजिक क्षेत्र:** सभी को कल्याण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में शामिल करना।
4. **शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन:** भारत को ज्ञान आधारित और उत्पादनकारी समाज बनाना;
5. **अवसरंचना एवं निवेश:** कार्यक्षमता और जीवन स्तर में सुधार लाना;
6. **वित्तीय क्षेत्र के सुधार:** पारदर्शिता और स्थिरता लाना;
7. **अभिशासन और कारोबार करने में आसानी:** लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता साकार करने में समर्थ बनाना)
8. **राजकोषीय अनुशासन:** सरकार वित्त साधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और जरूरतमंद लोगों को लाभों की सुपुर्दगी; और

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक-सामाजिक, आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें प्रकाशन केंद्र (लखनऊ), पियर्सन (किंगडर्सले डार्लिंग प्रकाशन ब्रिटेन की दक्षिण एशिया के लिए फ्रेंचाइजी) तथा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय आदि प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई है। एक अन्य पुस्तक "नई विश्व व्यवस्था में भारत" प्रकाशनाधीन है। ईमेल: raheessingh@gmail.com

9. **कर संबंधी सुधार:** नागरिकों में विश्वास करके अनुपालन के बोझ को कम करना।

### नजरिया नवाचार का

ध्यान से देखा जाए तो उपरोक्त 9 स्तंभों में से कोई भी ऐसा स्तंभ नहीं है जो इनोवेशन की दिशा में सहकारिता या सहयोग की विषयवस्तु को कुछ हद तक समेटे न हो। वित्त मंत्री के अनुसार इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट नीतिगत उपाय रेखांकित किए जाएंगे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय नागरिकों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बजट 2016-17 में 'खाद्य सुरक्षा' के परंपरागत उपायों से आगे बढ़कर किसानों को 'आय सुरक्षा' देने संबंधी नवोन्मेषी नजरिया प्रस्तुत किया गया और वर्ष



2022 तक किसानों की आमदनी को वर्तमान के मुकाबले दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गई। हालांकि इस पर यह सवाल उठाया गया कि यह कैसे संभव होगा? इसके लिए बजट से दो दिन पूर्व संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (2015-16) पर गौर करना होगा जिसने अर्थव्यवस्था की स्थिति, दशा, चुनौतियों और संभावनाओं के साथ-साथ संभावित प्रयासों की आवश्यकताओं पर भी बल दिया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विश्व के साथ भारत की अधिकाधिक जुड़ जाने की गंभीर सच्चाई है। स्वाभाविक है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा जिसमें वैश्विक मांग-पूर्ति से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक, सभी समान अनुपात में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। यानि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ओर जाने के साथ-साथ नव-प्रयोगवादी व अन्वेषी अथवा

नवोन्मेषी भी बनना होगा। सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार भी की गई है।

### संभावनाओं पर खास नजर

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कारोबार करने में आसानी लाने के लिए जबरदस्त प्रयास करना होगा, जिसके कारण भारत विभिन्न देशों में स्पर्धात्मकता की रैंकिंग में आगे बढ़ा है और स्टार्ट-अप तथा ई-कॉमर्स के क्षेत्रों की अप्रत्याशित गतिशीलता और रोजगार सृजन करने वाली बड़ी कंपनियों के हित में दिखाई दे रही 'लाखों क्रांतियों' के लिए महत्वपूर्ण अनुभव बन गया है लेकिन उसने एक बुनियादी चिंता भी प्रकट की है, वह यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही है। सर्वेक्षण के अनुसार यह बात निश्चित है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं, देश की दीर्घावधिक संभावित संभावित विकास दर अभी भी लगभग 8-10 प्रतिशत है। इस संभावना को साकार करने के लिए भारत को कम से कम तीन मोर्चों पर प्रयास करने की जरूरत होगी। पहला, भारत स्वाभाविक रूप से बाजार विरोधी और निष्पक्ष रूप से सरकारी हस्तक्षेप का समर्थक होने की स्थिति से हटकर, अब उद्यमिता के पक्ष में और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर संशयवादी होता जा रहा है (आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार) लेकिन उद्योग के पक्ष में होने का अर्थ यह है कि हम वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धा का समर्थन करें।

कॉरपोरेट सब्सिडियां तथा व्यापक पुरानी छूटें यह रेखांकित करती हैं कि क्यों कारोबार का समर्थन (न कि बाजारों का) वस्तुतः प्रतिस्पर्धा में बाधा बन सकता है। इसी प्रकार सरकारी हस्तक्षेप को लेकर संशयवाद निश्चित रूप से इसे कम किए जाने में परिवर्तित होना चाहिए

लेकिन ऐसा इसकी मूल भूमिकाओं का महत्व कम किए बिना और वस्तुतः महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे मजबूत भी करके संभव होगा। अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल सृजित करने की कुंजी चक्रव्यूह से प्रस्थान करने की समस्या का समाधान किया जाए। इस दिशा में कुछ अन्य बजट प्रावधान महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे- स्टार्ट-अप के लिए जो अप्रैल, 2016 से मार्च 2019 तक स्थापित हुई, के लिए 5 वर्षों में से 3 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत लाभ कटौती दी जाएगी। ऐसे मामलों में मैट लागू किया जाएगा। भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विकसित और पंजीकृत पेटेंटों से विश्व भर में लाभ कमाकर हुई आय पर 10 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा। एआरसी के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास-थ्रू दिया जाएगा। प्रतिभूतिकरण न्यासों को स्रोत पर की कटौती करनी होगी।

### समावेशन के साथ नवाचार

हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण यह मानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समस्या से ग्रस्त है और निवेश, कार्यक्षमता, नौकरियों के सृजन और विकास में इसे एक रुकावट के रूप में बर्दाश्त कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था सीमित प्रवेश वाले समाजवाद से हटकर, बिना प्रस्थान वाले बाजारवाद में दाखिल हो गई है लेकिन तमाम अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अभी भारत को सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा ताकि मार्केट पोटेंशियल को बनाए रखा जा सके। जो भी हो सरकार ने बजट में ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे समावेशन के साथ-साथ

श्रेणी	देश	स्कोर
वैश्विक नवोन्मेष में दुनिया के पांच सबसे अच्छे देश	फिनलैंड	15.6
	स्वीडन	14.2
	यूनाइटेड किंगडम	13.7
	सिंगापुर	12.3
	नीदरलैंड	12.1
वैश्विक नवोन्मेष में दुनिया के पांच सबसे खराब देश	यूक्रेन	-14.6
	थाईलैंड	-14.8
	भारत	-15.5
	इंडोनेशिया	-17.5
	अर्जेंटीना	-20.1

स्रोत: इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) रिपोर्ट 2015



**तालिका 2: अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन में भारत की वैश्विक स्थिति**

	देश	उदारता स्कोर
अनुसंधान एवं विकास के लिए कर सुविधा देने वाले सबसे उदार देश	भारत	44 प्रतिशत
	पुर्तगाल	41 प्रतिशत
	फ्रांस	38.5 प्रतिशत
	स्पेन	35 प्रतिशत
	डेनमार्क	29 प्रतिशत

स्रोत: इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) रिपोर्ट 2015

नवोन्मेष संभव हो सके। पहला पक्ष यह है कि बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल साक्षरता पर विशेष फोकस किया है। बजट भाषण में उनका कहना था कि हमें अपनी आबादी से और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना होगा। उल्लेखनीय है कि 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं है और इन परिवारों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो। हम (वित्त मंत्री) डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दो स्कीमों में पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं। ये स्कीमों हैं-राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)। अब ग्रामीण भारत एक नई डिजिटल साक्षरता स्कीम आरंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अगले 3 वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ और परिवारों को शामिल किया जाएगा।

द्वितीय-बजट के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सफल व्यवसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने में मदद करने की बेहतर कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री बजट से पहले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान कर चुके हैं ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाए नौकरी देने वाले बन सकें। बजट भाषण के जरिए यह यह बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दे दी है और बजट में इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो

में कहा कि अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है तथा नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। इसलिए मैं पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत दर से कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 1000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी आधार के साथ 'उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी' (हेफा) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हेफा न हानि न लाभ के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा जो बाजार से निधियां प्राप्त करेगा तथा इसकी अनुपूर्ति दान और सीएसआर निधियां करेगा। इन निधियों का उपयोग शीर्ष संस्थाओं में अवसरचना सुधार के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा और इसकी व्यवस्था आंतरिक निधियों से की जाएगी।

**नवाचार युक्त कौशल**

बजट 2016-17 में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों को चौथे स्तंभ के रूप में रखा गया है। इस दिशा सबसे महत्वपूर्ण कदम उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध होने संबंधी है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं की स्थिति तक पहुंचाया जा सके। दस सरकारी और दस निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया कराए जाने का

परियोजनाओं को मदद देगी जिससे इस स्कीम के तहत कम से कम 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे।

**अनुसंधान पर विशेष बल**

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण

प्रस्ताव है ताकि ये संस्थाएं विश्वस्तरीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सकें। इसके साथ ही स्किल इंडिया मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के जरिए देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया और बजट में इन कार्यक्रमों के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि अलग से आवंटित की गई है। उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया ताकि अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाया जा सके। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए 2200 कॉलेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ जाएगा।

**बाजार में भारत की स्थिति**

उक्त उपायों से संभावना बनती है कि व्यवसाय, उद्यम और नवोन्मेष कार्यक्रमों को भारत में एक साथ प्रोत्साहन मिले लेकिन अब की कुछ रिपोर्टों को देखते हुए यह लगता है कि नवाचार के लिए कर व्यवस्था और अभिशासन में सुधार बेहद जरूरी है। भारत में नवाचार के क्षेत्र में सबसे बड़ी रुकावट यही क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

**तालिका 3: अनुसंधान एवं विकास पर व्यय ( प्रति व्यक्ति ) वैश्विक स्थिति**

	देश	प्रतिव्यक्ति व्यय की मात्रा ( अमेरिकी डॉलर )
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक व्यय करने वाले 5 देश	कोरिया	1,995
	इजराइल	1,991
	फिनलैंड	1,893
	स्वीडन	1,884
	जापान	1,844

स्रोत: इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) रिपोर्ट 2015

यानि भारत नवाचार (इनोवेशन) के मामले में 56 देशों की रैंकिंग में 54वें स्थान पर है। इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी पॉलिसी थिंक टैंक, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) की एक रिपोर्ट, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था में 90 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले देश आते हैं, बताती है कि भारत की नीतियां वैश्विक नवाचार (ग्लोबल इनोवेशन) के लिए बेहद खराब हैं। यह रिपोर्ट उस समय आई थी जब प्रधानमंत्री देश में 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड, चीन, भारत, अर्जेंटीना और रूस की नीतियां वैश्विक नवोन्मेष तंत्र (ग्लोबल इनोवेशन सिस्टम) में सबसे खराब है (देखें तालिका 1)। इन देशों में कारोबार को लेकर बहुत सारी बाधाएं हैं, जो बौद्धिक संपदा संरक्षण (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन) के लिए कमजोर वातावरण पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि घरेलू नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले कर तंत्र (टैक्स सिस्टम), रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) में निवेश और मानव पूंजी ..... आदि, 14 कारकों (फैक्टर्स) को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

एक महत्वपूर्ण बात और भी है, वह यह कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) से जुड़े कर प्रोत्साहन (टैक्स इनसेंटिव्स) के लिहाज से खराब देशों की लिस्ट में भारत को शीर्ष पर बताया गया है (देखें तालिका 2)। यही वजह है कि भारत में इनोवेशन का अभाव है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कंपनियों को आरएंडडी पर किसी भी प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोई कंपनी अगर 100 रुपये अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करती है तो उसे कर समंजन (टैक्स क्रेडिट) के रूप में सिर्फ 44 रुपये मिलते हैं। सर्वे में शामिल 56 में से 18 देशों में किसी प्रकार का कर प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हालांकि, भारत सरकार प्रति व्यक्ति 31,600 रुपये अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करती है, जो कि सूची में शामिल 18 देशों से अधिक है।

### निष्कर्ष

बहरहाल एक प्रजाति (स्पीसीज) के तौर पर मनुष्य अपने उद्विकास के काल से ही कुछ न कुछ नया करता चला आ रहा है यानि आग और पहिए के अविष्कार से लेकर बल्ब और बम बारुद के अविष्कार तक। प्रतिस्पर्धा भी हर युग में रही है लेकिन वर्तमान युग अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी है इसलिए अब उद्यम और प्रोत्साहन अधिक जरूरत है जिसे दुनिया अग्रणी देशों में देखा भी जा सकता है। इस लिहाज से 2016-17 के वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया बजट उन जरूरतों पर बल देता हुआ दिखाई दे रहा है जो नवाचार के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी व समावेशी प्रक्रिया को प्रोत्साहन दे सकती हैं। फिलहाल अब 'रन ऑफ द मिल' यानी बने बनाए ढर्रे पर चलने का वक्त खत्म हो चुका है इसलिए अब बिना नवोन्मेषी बने स्थाई और श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करना बेहद मुश्किल है। और राज्य व सरकार हर स्तर पर रास्ता नहीं बना सकती, इसलिए अब जरूरत है अच्छी नीतियों और प्रोत्साहनों को, जो 2016-17 के बजट में काफी हद तक प्रतिध्वनित हो रहा है।

[www.afeias.com](http://www.afeias.com)

## IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडियो
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का  
लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- [www.afeias.com](http://www.afeias.com)

डॉ. विजय अग्रवाल  
की पुस्तक

‘आप IAS  
कैसे बनेंगे’

आप  
IAS  
कैसे  
बनेंगे

डॉ. विजय अग्रवाल

₹195/-

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक  
‘चलता-फिरता कोचिंग संस्थान’ है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-325/2015

## गुणात्मक सुधार का नया दृष्टिकोण

ज्ञानेंद्र बरतरिया



संभवतः पहली बार सरकार ने खुले तौर पर आय की सुरक्षा की व्यवस्था करने की बात कही है। सरकार आर्थिक सुरक्षा को सिर्फ व्यवस्थित और सुनिश्चित कर सकती है। आर्थिक गतिविधियों को तो जनता को ही चलाना होता है। गरीबी के प्रश्न पर ही विचार करें, तो उसके वास्तविक दुष्क्रम के कई वास्तविक पक्ष हैं। बजट में इस बार काफी गुणात्मक भिन्नता आई है। यह भिन्नता इस रूप में भी है कि सरकार न केवल बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप चाहती है, बल्कि वह हस्तक्षेप पूंजी को बांटने से भिन्न, पूंजी को मदद के लिए उपलब्ध कराने के रूप में अधिक है। अर्थात् सरकार ने न केवल तात्कालिक राहत देने का प्रयास किया है, बल्कि बार-बार के झंझावातों से सुरक्षा का भी प्रयास किया है

**प्र**धानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस के उत्तर में एक अहम बात कही- “देश में गरीबी की जड़ें इतनी गहरी जमा दी गई हैं कि उसे उखाड़ने में समय लगेगा ... गरीबी नहीं होती तो मनरेगा नहीं होता।” यह विचारणीय है। गरीबी का अपना अर्थशास्त्र है। जिसे सरल शब्दों में गरीबी का दुष्क्रम कह दिया जाता है। आमदनी कम है, इसलिए बचत कम है, बचत कम है, इसलिए निवेश कम है, निवेश कम है, इसलिए आमदनी कम है- और दुष्क्रम यहां पूरा हो जाता है।

दो-तीन ढंग से बनाए गए गरीबी के इन दुष्क्रमों की अवधारणा के बाद भी गरीबी पर कई अध्ययन हुए हैं, कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं लेकिन वे अधिकांशतः या तो पूंजी-श्रम अनुपात के विभिन्न क्रमवयों पर आधारित हैं, या इस धारणा के इर्दगिर्द घूमते रहते हैं कि पूंजी ही पूंजी का सृजन कर सकती है, या तकनीक तो किसी संयोगवश घटने वाली घटना का नाम है। लिहाजा, पूंजी मांगो, पूंजी उधार लाओ, पूंजी खाओ, पूंजी बांटों की तजवीजें भारत में भी गरीबी निवारण और उन्मूलन की रणनीतियों की धुरी मानी जाती रहीं। प्रचलित राजनैतिक व्याकरण में इसे ही कल्याणकारी राज्य और संभवतः समाजवाद की अवधारणाओं के अनुरूप भी मान लिया गया। इस बात को अनिश्चितकालीन और अनिश्चित भविष्य के लिए टाल दिया जाता रहा कि मांगने, खाने और बांटने के लिए पूंजी का सृजन आखिर कहां से होगा? लेकिन बाद में इस प्रश्न का भी सुविधाजनक इलाज निकाल लिया गया।

यह कहा जाने लगा कि सारी समस्याओं का उपचार वृद्धि दर में है। माने वृद्धि दर तेज होगी, तो गरीबी अपने आप कम होने लगेगी। व्यष्टि ही नहीं, समष्टि स्तर पर भी यह ट्रिक्ल डाउन सिद्धांत पर ही निर्भर है।

विडंबना यह कि गरीबी फिर भी समाप्त नहीं हुई। तब भी नहीं हुई, जब उसकी परिभाषा को भी बेहद गरीब कर दिया गया। अगर हम गरीबी को निरपेक्ष के बजाए सापेक्ष रूप में देखने की चिंता करें, माने गरीब सिर्फ वह नहीं है, जो रोजाना 26-28 रुपये भी नहीं कमा पाता है, बल्कि 100 या 500 रुपये रोजाना कमाने वाला वह व्यक्ति भी गरीब है, जिसका पड़ोसी दो हजार रुपये रोजाना कमाता है, और जो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कभी वह भी उसके बराबर आ सकेगा, तो आप इस सापेक्ष गरीबी की विकरालता की कल्पना भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। गरीबी की जड़ें- जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, वास्तव में विचारों के स्तर पर भी बहुत गहरी हैं।

### क्या होना चाहिए दृष्टिकोण

क्या है गरीबी? एक आंकड़ा? कोई सामाजिक या आर्थिक समस्या? किसी की अपनी बदकिस्मती? पूंजी की कमी? विश्व बैंक की समस्या? विडंबना यह है कि इनमें से किसी भी दृष्टि से गरीबी को देखा जाए, तो देखने का तरीका एक ही रहता है। इस प्रश्न पर वर्तमान बजट के संदर्भ में विचार करें, उसके पहले यह देखें कि गरीबी का सरकार से क्या संबंध है।

“विश्व भर में किसी भी देश की किसी

लेखक प्रसार भारती में सलाहकार हैं। विगत लगभग 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। इस दौरान दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहाय, जी न्यूज़, इंडिया टीवी आदि प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों व चैनलों में काम कर चुके हैं। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक विषयों पर लिखना इनकी रुचि है। ईमेल: gnbartaria@gmail.com

भी सरकार का पहला दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि उसके नागरिकों की भौतिक और सुरक्षागत आवश्यकताएं पूरी होती हों।”

### आर्थिक सुरक्षा: का नया दर्शन

सुरक्षा शब्द की इस व्याख्या में आर्थिक सुरक्षा अंतर्निहित है या होनी चाहिए थी। राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा को महज सीमा पार राष्ट्रीय आर्थिक हितों की सुरक्षा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके आंतरिक पक्ष भी हैं, जो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, रोजगार के लिए समर्थ होना- जिसे प्रधानमंत्री ने कौशल विकास से जोड़ा है, रोजगार के अवसर- जिसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्ट-अप इंडिया तक अनेक प्रकल्प शुरू किए हैं, रोजगार के अवसरों की सुनिश्चितता, साधारण मूल्यों की स्थिरता, उत्पादन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के कच्चे माल की सुनिश्चित आपूर्ति और तैयार वस्तुओं और सेवाओं के बाजार की सुनिश्चितता, उत्पादन के जारी बने रह सकने की सुनिश्चितता, और कुल मिलाकर नागरिकों के लिए आमदनी की सुरक्षा जैसे अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं।

व्यापक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा पर और विशेष रूप से राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर, भारत में अध्ययन और चिंतन विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत कम रहा है। “आर्थिक सुरक्षा में योगदान देने वाले तत्वों को परिभाषित करने के लिए विश्लेषण का ढांचा तो दूर, अभी तक, मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा की कोई स्थापित अवधारणा नहीं है। राष्ट्रीय “आर्थिक सुरक्षा” के सिद्धांत के अभाव में, न तो कोई मात्रात्मक सूचकांक हैं, और इस कारण कोई आधिकारिक आंकड़े भी नहीं हैं। ... आर्थिक सुरक्षा के ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा आदि से संबंधित पक्षों पर ज्यादा सटीक अवधारणाएं हैं।” (इंडियाज नेशनल सिक्वोरिटी एनुअल रिव्यू, ले. संजय बारू, सं. सतीश कुमार, पृ. 112)

लेकिन अच्छी बात यह है कि, नारेबाजी के रास्ते से ही सही, खाद्य सुरक्षा का शब्द प्रचलन में आ गया। इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा - “हमें खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर हमारे किसानों के लिए आमदनी

की सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।”

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार सरकार ने खुले तौर पर आय की सुरक्षा की व्यवस्था करने की बात कही है। यह बात, जैसा कि ऊपर दिए उद्धरण से स्पष्ट है, किसानों के और खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़ने के संदर्भ में कही गई है। अब अगर हम खाद्य सुरक्षा को इस रूप में परिभाषित करें कि देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न हो, वह समुचित तौर पर पौष्टिक हो, हर नागरिक को उपलब्ध हो, नागरिक उसे क्रय कर सकने में समर्थ हों, किसान उसके उत्पादन में समर्थ हों और उत्पादन से लेकर उपभोग तक के सारे रास्ते पूरी तरह निर्बाध हों और इन रास्तों में आ सकने वाली हर संभव बाधा से निपट सकने में देश समर्थ हो, तो यह निश्चित रूप से भारत जैसे देश में, जहां अर्थव्यवस्था में कृषि का और ग्रामीण क्षेत्र का बहुत अहम स्थान है- एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण बात है।

**राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा को महज सीमा पार राष्ट्रीय आर्थिक हितों की सुरक्षा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके आंतरिक पक्ष भी हैं, जो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, रोजगार के लिए समर्थ होना- जिसे प्रधानमंत्री ने कौशल विकास से जोड़ा है, रोजगार के अवसर- जिसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्ट-अप इंडिया तक अनेक प्रकल्प शुरू किए हैं**

### सरकार व समाज का सहकार

सरकार किसी भी तरह की आर्थिक सुरक्षा को सिर्फ व्यवस्थित और सुनिश्चित कर सकती है। आर्थिक गतिविधियों को तो देश के लोगों को ही चलाना होता है। अब अगर भारत की गरीबी के विकराल प्रश्न पर फिर एक बार विचार करें, तो उसके वास्तविक दुष्चक्र के कई वास्तविक पक्ष सामने आते हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण निर्धनता के, जो अनेक रूपों में व्यक्त होती है और बहुत गहराई तक धंसी हुई है। इसका विवरण इस लेख का विषय नहीं है।

ग्रामीण निर्धनता के वास्तविक दुष्चक्र को अगर इस पृष्ठभूमि में देखा जाए कि लगातार दो वर्ष से पड़ रहे सूखे के कारण खेती से होने वाली आय में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इन दो वर्षों

में कृषि विकास दर में सीधे दो प्रतिशत की गिरावट आई। यह गिरती विकास दर केवल एक सूचकांक थी, जो ग्रामीण व्यथा को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रही थी। देश का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा गंभीर सूखे की चपेट में था जिसमें महाराष्ट्र और पंजाब की स्थिति बेहद खराब थी। बार-बार सूखे की परिस्थितियां भारत में पहले भी कई बार बनी हैं लेकिन इस बार इस परिप्रेक्ष्य में काफी कुछ गुणात्मक भिन्नता सामने आई है। यह भिन्नता इस रूप में भी है कि न केवल सरकार ने इसमें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया है, बल्कि वह हस्तक्षेप पूंजी को बांटने से भिन्न, पूंजी को मदद के लिए उपलब्ध कराने के रूप में अधिक है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि सरकार ने न केवल तात्कालिक राहत देने का प्रयास किया है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा खेती को बार-बार के झंझावातों से सुरक्षित बनाने का भी प्रयास किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा- “किसानों के लिए आमदनी की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार किसानों की आय सन् 2022 तक दोगुनी करने के उद्देश्य से खेती और गैर-खेती वाले क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप की दिशा फिर से तय करेगी।”

### रवैये में बदलाव: सकारात्मक परिवर्तन

हस्तक्षेप की दिशा फिर से तय करने की इस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में सरकार के हस्तक्षेप की दिशा और हस्तक्षेप की मात्रा- इस गुणात्मक भिन्नता के दो अहम आयाम हो जाते हैं। बजट में जो पक्ष सामने आए, वे हैं। सिंचाई, फसल बीमा, ग्रामीण सड़कों व बिजली और रोजगार योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जाना। मिट्टी का परीक्षण करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम पिछली हरित क्रांति से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि यह एक तो किसी क्षेत्र विशेष को नहीं, बल्कि देश के हर क्षेत्र के किसानों को, खेती के घाटे का सौदा होने से बचाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह योजना खेती की सुदृढ़ता के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में समानता का एक स्तर स्थापित करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पेश करने वाला प्रथम राज्य गुजरात था, जहां 100 से ज्यादा मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं और इस योजना की शुरुआत के बाद से, गुजरात की कृषि आय 2000-01 में 14,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2010-11 में उच्चतम 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई

थी। यानी यह परखा हुआ उपाय है। कई राज्यों में मिट्टी के अध्ययन से पता चला है कि वहां दालें, सूरजमुखी, बाजरा अथवा चारा और सब्जियों जैसी वैकल्पिक फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। यह भारत के कृषि विमर्श को ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक चिंतन तक को गेहूँ-चावल से बाहर लाने में सक्षम है।

मिट्टी स्वस्थ, इसके बाद पानी। सिंचाई, खाद, सब्सिडी, उत्पाद की बिक्री, बिजली, खेत से मानवीय दबाव में कमी लाने के लिए मनरेगा पर और जोर और मनरेगा को ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर बांटो के बजाए बनाओ की राह पर लाना- यह सारी बातें बहुत साफ हैं। कृषि मंत्रालय व किसानों के कल्याण के लिए आर्बिट्रर राशि में 94 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जिसमें छोटी अवधि के फसल ऋण के ब्याज के रूप में हस्तांतरित किए गए 15,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इससे पहले यह राशि वित्त मंत्रालय के बजट का हिस्सा होती थी। अगर इसमें से कृषि ऋण अनुदान को घटा दिया जाए, तो भी आर्बिट्रर की गई कुल राशि की बढ़त करीब 30 प्रतिशत है, जो निश्चित रूप से उल्लेखनीय वृद्धि है।

### मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक बदलाव भी

अहम बात सरकार के हस्तक्षेप या बजट में किए गए प्रावधानों की केवल मात्रा की नहीं है, बल्कि ज्यादा अहम बात इस हस्तक्षेप की दिशा की है। पहली बार भारतीय कृषि को, देश भर में, किसी बीज के अविष्कार को कोई दुर्घटना माने बिना, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत उपभोग तक लगभग दिशा देने और बाधाओं से रास्ता साफ करने का काम किया गया है। बेहतर सिंचाई की व्यवस्था करके सस्ता पानी उपलब्ध कराना खेती को मौसम के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित कर देता है। मिट्टी की जांच से शुरु करके खाद एवं रसायनों का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना खेती को लागत और मूल्यों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित करता है। बेहतर विपणन सुविधा और न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुनियोजित वृद्धि करके लागत मूल्य को कम से कम करके इसे पुनः सुरक्षित किया जा सकता है।

अब बचा कृषि उत्पादों की मांग का सवाल। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को विकसित किए बिना खेती पर सब्सिडी या समर्थन मूल्य आदि बढ़ाते हैं, तो उससे न किसान का भला होता है, न

देश का। उससे गरीबी खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। इस बार वित्त मंत्री ने गरीबी पर वास्तविक प्रहार किया है। उन्होंने गांव उगाए और शहर खाए की पुरानी सोच को समाप्त कर दिया। गैर कृषि ग्रामीण रोजगार अवसरों में वृद्धि से कृषि उत्पादों के लिए खुद ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक मांग का सृजन होता है, जो न केवल निरपेक्ष, बल्कि सापेक्ष गरीबी को भी दूर करने में कारगर है। चिंता की बारीकियां इस स्तर तक कि न सब्सिडी में घपला हो सके, न भूमि के रिकॉर्ड्स में। यह भी साफ है कि गांवों तक बिजली पहुंचाए बिना न तो ग्रामीण जनता के कौशल का समुचित विकास हो सकता है, न शिक्षा का प्रसार समुचित ढंग से हो सकता है, न कृषि को मौसम के उतार-चढ़ावों से निपटने में सक्षम बनाया जा सकता है। वास्तव में बिजली का एक स्विच ऑन होते ही पूरा जीवन बदल कर रख देता है। एक और बारीकी- महिलाओं

**अहम बात सरकार के हस्तक्षेप या बजट में किए गए प्रावधानों की केवल मात्रा की नहीं है, बल्कि ज्यादा अहम बात इस हस्तक्षेप की दिशा की है। पहली बार भारतीय कृषि को, देश भर में, किसी बीज के अविष्कार को कोई दुर्घटना माने बिना, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत उपभोग तक लगभग दिशा देने और बाधाओं से रास्ता साफ करने का काम किया गया है।**

के नाम पर दिए जाने वाले ग्रामीण घरेलू गैस कनेक्शनों की योजना में अधिकतर महिलाएं ग्रामीण बीपीएल परिवारों की होंगी। माने नितान्त गरीब वर्ग में, एक झटके में, जीवन की गुणवत्ता में, पर्यावरण सुरक्षा में, महिलाओं के लिए शिक्षा से लेकर अतिरिक्त रोजगार के लिए समय की उपलब्धता तक में व्यापक क्रांति इतने भर से आ सकती है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार के लिए 1,00,000 रु. की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपयों के अतिरिक्त कवर की व्यवस्था की गई है। जेनेरिक दवा की 3,000 दुकानें इसी वर्ष खोलने की भी योजना है। जीवन की गुणवत्ता में इससे गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। हर हाल में, स्वास्थ्य न केवल राष्ट्रीय भौतिक सुरक्षा का, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी एक अहम पक्ष होता है।

### क्षणिक मूल्यांकन के खतरे

दीर्घकालिक दृष्टि एक नाजुक पहलू है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के फैसले पर इस आधार पर प्रश्न उठाया गया कि यह समय सीमा छह वर्ष की है (जबकि सरकार का कार्यकाल 2019 तक का है, पांच वर्ष का)। यह प्रश्न बेहद अहम है। सरकार खुद को राज-पाट न समझे, देश की व्यवस्थापक समझते हुए राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करे, और इस प्रकार अपने राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति करे, यह गरीबी से बाहर निकलने के राष्ट्रीय प्रयास का एक पहलू है लेकिन सरकार को देश का व्यवस्थापक समझने का दूसरा पहलू जनता पर है। अगर कोई योजना महज इस कारण खारिज की जा सकती है, या उसकी आलोचना की जा सकती है कि उसकी अवधि सरकार के वर्तमान कार्यकाल की अवधि से आगे निकलती है, तो इसका अर्थ यह भी होता है कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत उस किसी भी योजना से स्वयं को व्यवस्थित ढंग से वंचित कर लेता है, जिसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक हो। एक राष्ट्र के तौर पर हम कोई दीर्घकालिक चिंतन ही न करें, न कर सकें- यह सबसे बड़ी गरीबी है, विचार की नहीं, समझ की गरीबी है। सिंचाई इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। कम से कम पिछले 35 वर्षों से, केंद्र की सरकारें वृहद सिंचाई योजनाओं से परे रही हैं। और वे इसे राज्यों का विषय बताकर हाथ झाड़ती रही हैं। उधर राज्य सरकारें पर्याप्त धन न होने का हवाला देती रही हैं। परिणामस्वरूप हम सिंचित क्षेत्र में संतोषजनक वृद्धि कर ही नहीं सके। यही स्थिति जल-विद्युत परियोजनाओं की हुई है, जिनमें लगभग 1980 के दशक की शुरुआत से ही कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। यही हाल रक्षा विनिर्माण उद्योगों का, शिक्षा का और यहां तक कि कौशल विकास तक का है।

### निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम इस बजट के पीछे के चिंतन और दृष्टि को व्यापकता में समझ सकते हैं। जिन समस्याओं से इस क्रम में सामना हो रहा है, वे समेकित गरीबी के ही नहीं, समेकित असुरक्षा तक के पहलू हैं लेकिन अगर हम इस देश को अपना और सरकार को देश का मानें, तो हम पांच वर्ष ही नहीं, पचास वर्ष की योजना की भी कल्पना, विचार और कार्य कर सकते हैं। □

# बजट 2016: गांवों के रास्ते पर बाज़ार को भी भरोसा

राजीव रंजन झा



बजट 2016 को शेयर बाज़ार के विश्लेषकों ने राजकोषीय समझदारी और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावे के जरिए अर्थव्यवस्था को संभालने की संतुलित कोशिश के रूप में देखा है। इसमें एक तरफ आर्थिक चक्र को फिर से ऊपर ले जाने के लिए राजकोषीय विस्तार का प्रयास भी है, तो दूसरी ओर राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी को 3.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य भी है। कुछ लोगों को यह अपने-आप में एक विरोधाभास भी लगता है। दरअसल यह संतुलन हासिल कर पाना मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन बाज़ार को इस नीति से एक भरोसा ही मिला है। कुल मिला कर इस बजट ने शेयर बाज़ार को डराया कम और भरोसा ज्यादा दिलाया है। हालांकि यह भी सच है कि शेयर बाज़ार की साल भर की दिशा केवल बजट से तय नहीं हो जाती

**बा**ज़ार को इस बात पर संतोष हुआ है कि सरकार ने वित्तीय स्थिरता के रास्ते को चुना है, जबकि इस समय विकास को तेज करने के लिए कुछ समय के लिए सरकारी खर्चों को ज्यादा बढ़ाने एवं वित्तीय अनुशासन के लक्ष्यों को टालने का लालच उसके सामने था। मोटे तौर पर आकलन यह है कि बजट 2016 में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मूल ढांचे के निर्माण, सरकारी लाभों को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए डीबीटी लागू करने, वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने, कारोबार सुगमता बढ़ाने, ग्रामीण खर्च की ओर ज्यादा झुकाव रखने की रणनीति पर ध्यान दिया गया है। विश्लेषक यह मान रहे हैं कि सरकार ने एक झटके में बड़े आर्थिक सुधारों के बदले क्रमशः सुधारों की ओर बढ़ना चाहा है।

मौजूदा वित्त मंत्री के पहले दो बजटों के बारे में बाज़ार विश्लेषकों की यह धारणा रही थी कि वे नौकरशाही के प्रभाव वाले बजट थे। सत्ता संभालते ही सरकार ने जो पहला बजट पेश किया था, उसमें तो स्वाभाविक तौर पर फरवरी में यूपीए सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट की बुनियाद पर ही आगे बढ़ना था और तैयारी का कोई समय भी नहीं मिला था। बजट 2015 भी एक तरह से अर्थव्यवस्था के नट-बोल्ट कसने के लिए ढेर सारे छोटे-छोटे उपायों वाला बजट था। मगर बजट 2016 में मौजूदा सरकार की एक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि झलकती है, जिसमें किसानों को राहत देने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत का ध्यान रखा गया

है। स्वयं प्रधानमंत्री ने जब बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी, तो इसमें सिंचाई और ग्राम सड़क योजनाओं का ही प्रमुखता से जिक्र किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि दबाव के दौर से गुजर रहे ग्रामीण क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

### बहुपक्षीय संतुलन की कोशिश

वित्त मंत्री ने बजट 2016 में कृषि क्षेत्र पर काफी ज्यादा जोर देकर केवल उद्योग जगत और शहरी आबादी पर ध्यान देने की आलोचना का जवाब देने की कोशिश की है। इसके साथ ही बहुत छोटे उद्यमों, एसएमई और नवांकुर उद्यमों (स्टार्टअप) को प्रोत्साहन दिया गया है। नौकरीपेशा वर्ग के लिए एचआरए जैसी छिटपुट रियायतें हैं, मगर आयकर छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा होना पड़ा है। उन्हें 2018 के बजट से पहले कोई बड़ी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। इस बजट में बुनियादी ढांचा पर खर्च बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें रेलवे और सड़कों पर खास जोर है।

अगर बाज़ार और विश्लेषकों की नजर से देखें तो बजट पेश होने के तुरंत बाद शेयर बाज़ार की प्रतिक्रिया नकारात्मक दिखी, मगर उसके बाद अगले ही दिन 1 मार्च को बाज़ार ने जबरदस्त तेजी दिखाई। बाज़ार की शुरुआती नकारात्मक प्रतिक्रिया में दो बातों का मुख्य योगदान था। एक तो सालाना 10 लाख रुपये से अधिक लाभांश (डिविडेंड) पाने वालों पर कर लगाने की घोषणा बाज़ार को पसंद नहीं आई।

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) स्रोत पर ही कट जाने के बाद यह नया कर बोल्ल दोहरे कराधान के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि


लेखक मासिक पत्रिका निवेश मंथन और समाचार पोर्टल शेयर संस्थान के संपादक हैं। वह समाचार चैनल जी बिजनेस में एक दैनिक कार्यक्रम के प्रस्तोता भी हैं। इसके पहले एनडीटीवी, आजतक और अमर उजाला में काम कर चुके हैं। ईमेल: rajeev@sharemanthan.com

उद्योग जगत के बीच से ही ऐसी आवाजें भी सुनने को मिलीं कि यह कर केवल उन्हीं लोगों पर लगेगा जिनकी लाभांश से आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है और ऐसे लोगों को कुछ ज्यादा कर चुकाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि देश के सबसे अमीर लोगों को ही केवल लाभांश से 10 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी हो सकती है।

### बैंक पूंजी: आशंका व समाधान

बाज़ार की शुरुआती नकारात्मकता का दूसरा कारण था कि सरकारी बैंकों को नई पूंजी देने के लिए प्रस्तावित 25,000 करोड़ रुपये की राशि को बाज़ार ने नाकाफी माना। हालांकि बाद में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल इतने आवंटन पर ही रुक नहीं जाएगी और बैंकों की जरूरत के मुताबिक आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, पिछले साल बैंकों के पूंजीकरण के मद में किए गए प्रावधान में से भी कुछ रकम बाकी बची है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी बजट के तुरंत बाद नए नियमों की घोषणा की है, जिनके तहत बैंकों को रियल एस्टेट, विदेशी मुद्रा और विलंबित कर (डेफर्ड टैक्स) जैसी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करके उसका एक भाग अपनी टियर-1 पूंजी के रूप में दिखाने की अनुमति दी है। इस कदम से बैंकों को कम टियर-1 पूंजी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। इन आश्वासनों और कदमों से सरकारी बैंकों को लेकर बाज़ार की चिंता कम हुई।

लिहाजा जब बाज़ार सरकारी बैंकों के लिए अपर्याप्त कदम और लाभांश पर टैक्स के झटकों से उबरा तो इसने बजट के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया। विश्लेषकों और विदेशी निवेशकों ने इस बात पर ध्यान दिया कि बीते दो वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। न केवल सरकारी खजाने का घाटा (फिस्कल डेफिसिट) नियंत्रण में रहते हुए लक्ष्य के मुताबिक रहा है, बल्कि चालू खाते का घाटा (करंट एकाउंट डेफिसिट) भी नियंत्रण में है। साथ ही महंगाई दर नियंत्रण में है और विकास दर भले ही बहुत तेज न हुई हो मगर इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। बजट 2016 ने निवेशकों को यह रुझान जारी रहने का भरोसा दिलाया, क्योंकि वित्त मंत्री ने 2016-17 के लिए सरकारी घाटे का बजट अनुमान पहले से तय लक्ष्यों के अनुरूप ही



ग्राफिक: [www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in)

तय किया, हालांकि एक तबका कह रहा था कि विकास को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल सरकार को घाटा कुछ बढ़ जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर वित्त मंत्री ने राजकोषीय समझदारी के रास्ते पर बने रहते हुए विकास को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है, जो बाज़ार को पसंद आई है।

**एक तबका कह रहा था कि विकास को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल सरकार को घाटा कुछ बढ़ जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर वित्त मंत्री ने राजकोषीय समझदारी के रास्ते पर बने रहते हुए विकास को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है, जो बाज़ार को पसंद आई है।**

### गांवों में दिखती संभावनाएं

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर देने की रणनीति के राजनीतिक फलितार्थ चाहे जो भी हों, पर शुद्ध आर्थिक नजरिए से भी बाज़ार को यह फायदेमंद नजर आ रहा है। दो वर्षों से मानसून कमजोर रहने के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर हुआ है और ग्रामीण मांग बेहद सुस्त हो चुकी है।

ऐसे में किसानों पर विशेष ध्यान देने से ग्रामीण खपत में तेजी आने की उम्मीद बनती है।

अर्थव्यवस्था में खपत और मांग बढ़ाने के लिए एक तरफ बुनियादी ढांचा तो दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। इन दोनों के सम्मिलित योगदान से अर्थव्यवस्था को एक अच्छी तेजी मिल सकती है। इस बजट में किसानों को आय सुरक्षा देने का वादा किया गया है और यह नजरिया रखा गया है कि अगर देश को खाद्य सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए किसानों को आय सुरक्षा देनी होगी। पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का 9 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, जो अब तक सर्वाधिक ऊंचा स्तर होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई पूंजी आएगी। ग्राम पंचायतों को 2.87 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई हलचल शुरू होगी। मनरेगा पर फिर से जोर देने की बात कहते हुए इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।

सिंचाई के लिए नया ढांचा बनाने और बाज़ार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान

दिया गया है। इसके लिए एकीकृत कृषि बाजार योजना के साथ-साथ एक ई-प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की गई है। भारतीय खाद्य निगम एक ऑनलाइन खरीद कार्यक्रम शुरू करेगा। कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। कृषि ऋणों पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित

**सूक्ष्म, छोटे-मझोले और नवांकुर उद्यमों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से इस बजट ने सरकार की उस नीति को आगे बढ़ाया है, जिसमें एक तरफ मुद्रा जैसी योजना है तो दूसरी तरफ स्टार्ट-अप इंडिया की पहला अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ाने का रास्ता चुना है।**

हुए हैं। सिंचाई योजनाओं पर पांच वर्षों में 86,500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए 17,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

फसल बीमा योजना के लिए 2016-17 में 5,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कृषि विकास योजना के तहत 5 लाख एकड़ भूमि को रसायन-मुक्त कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग) के दायरे में लाया जाएगा। दुग्ध कृषि (डेयरी फार्मिंग) के लिए 4 नई योजनाएं शुरू करने पर 850 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। साथ ही 1 मई 2018 तक 100% गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में निर्मित खाद्य उत्पादों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की छूट देने का फैसला किया गया है। इससे देश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और यह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी देने वाला एक अहम कदम साबित हो सकता है।

### स्टार्ट-अप का सुधार व नई उम्मीदें

सूक्ष्म, छोटे-मझोले और नवांकुर उद्यमों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से इस बजट ने सरकार की उस नीति को आगे बढ़ाया है, जिसमें एक तरफ मुद्रा जैसी योजना है तो दूसरी तरफ स्टार्ट-अप इंडिया की पहला अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ाने का रास्ता चुना है। रेलवे और सड़क निर्माण

के लिए 2.18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कर सुधारों को लेकर फिर से कुछ बातें की गई हैं, मगर वास्तविक कर सुधारों को टाल दिया गया है। कोई व्यापक असर वाला बदलाव नहीं हुआ है। कंपनियों की आय पर लगने वाला कर नहीं घटाया गया है। तर्क दिया गया है कि उन्हें मिलने वाली छूटों में कमी नहीं होने के चलते कॉर्पोरेट टैक्स घटाया नहीं जा सका है। सरकार एक साथ कुछ छूटों को हटाने के साथ कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का रास्ता चुन सकती थी, मगर इसे टाल दिया गया। कॉर्पोरेट क्षेत्र को इस बार कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं दिया गया है।

सेवा कर (सर्विस टैक्स) नहीं बढ़ा, जबकि करीब 2% बढ़ोतरी की संभावना लोग मान कर चल रहे थे। हालांकि 0.5% का नया कृषि कल्याण उपकर (सेस) लगा कर कुल सेवा कर को 14.5% से बढ़ा कर 15% कर दिया गया है। वहीं दीर्घावधि का पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन्स टैक्स) फिर से लागू किए जाने की आशंकाएं थीं, मगर ऐसा नहीं होने से बाजार ने राहत महसूस की है।

### निवेश आकर्षित करने की खास कोशिश

निवेश आकर्षित करने के लिहाज से बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों में ढील की घोषणा की है। ये क्षेत्र हैं बीमा, पेंशन, एआरसी और स्टॉक एक्सचेंज। बीमा और पेंशन के क्षेत्रों में अब 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से किया जा सकेगा। पहले केवल 26 प्रतिशत तक विदेशी निवेश ही स्वचालित मार्ग से संभव था। इसी तरह एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) में 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से हो सकेगा, जो पहले 49 प्रतिशत तक था। भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निकायों को अब घरेलू संस्थानों की तरह ही 15 प्रतिशत तक निवेश करने की छूट होगी, जबकि पहले विदेशी निकाय इनमें केवल 5 प्रतिशत निवेश कर सकते थे। इसके अलावा, शेयर बाजार में सूचीबद्ध केंद्र सरकार के उद्यमों (बैंकों को छोड़ कर) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) की मौजूदा 24 प्रतिशत की सीमा को बढ़ा कर 49 प्रतिशत कर दिया गया है। इन सब कदमों से भारत में विदेशी निवेश आने की गति बढ़ने की उम्मीद है।

कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत अकेली ऐसी अर्थव्यवस्था है, जहां विकास की गति तुलनात्मक रूप से ज्यादा तेज है। बजट में वित्तीय स्थिरता को चुनने की रणनीति ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक एवं भरोसेमंद बनाया है। यही वजह लगती है कि बजट के बाद से ही विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लगातार भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, जबकि बजट से पहले वे निरंतर बिकवाली कर रहे थे।

बजट पेश होने के अगले दिन से मात्र 10 दिनों के अंदर एफआईआई ने 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की शुद्ध खरीदारी (नकद श्रेणी में) की है, जबकि इससे पहले उन्होंने लगातार चार महीने यानी नवंबर 2015 से फरवरी 2016 तक बिकवाली का रास्ता चुन रखा था। उनकी इस खरीदारी ने शेयर बाजार की स्थिति भी सुधरी है। यदि शेयर बाजार के मुख्य संवेदी सूचकांक संसेक्स को देखें तो इसने बजट वाले दिन 29 फरवरी 2016 को 22,494.61 का निचला स्तर छू लिया था, मगर उसके बाद अगले 10 दिनों के भीतर यह संभल कर 24,800 के भी ऊपर तक आ गया।

### निष्कर्ष

कुल मिला कर इस बजट ने शेयर बाजार को डराया कम और भरोसा ज्यादा दिलाया है। हालांकि यह भी सच है कि शेयर बाजार की साल भर की दिशा केवल बजट से तय नहीं हो जाती और घरेलू अर्थव्यवस्था की चाल से लेकर वैश्विक बाजारों की स्थिति तक तमाम

**निवेश आकर्षित करने के लिहाज से बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों में ढील की घोषणा की है। ये क्षेत्र हैं बीमा, पेंशन, एआरसी और स्टॉक एक्सचेंज। बीमा और पेंशन के क्षेत्रों में अब 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से किया जा सकेगा।**

बातों का लगातार असर होता रहता है। मगर बाजार ने इस बजट से जो बड़ा संकेत लिया है, वह यही है कि सरकार अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के प्रयास करती रहेगी, पर राजकोषीय अनुशासन की डोर से बंधे रह कर।



## कर प्रोत्साहन माने अप्रत्यक्ष सब्सिडी

शिशिर सिन्हा



सभी तरह के कर प्रोत्साहनों को पूरी तरह से खत्म कर पाना ना तो आर्थिक तौर पर संभव है और ना ही राजनीतिक तौर पर। फिर भी जरूरत इस बात की है कि रियायतें तर्कसंगत हो और उनका हिसाब-किताब जरूर लिया जाए। व्यक्तिगत आयकर दाता तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हैं कि उन्होंने कर छूट पाने के लिए कहां-कहां कितना पैसा लगाया, उसी तरह कॉरपोरेट सेक्टर को ये ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए कि उन्हें किस मद में कॉरपोरेट टैक्स में कितनी रियायत मिली और उसका उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया

**ब**जट के दिन यानी 29 फरवरी को शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी गोता खा गए। ऐसा नहीं था कि बाजार खेती बाड़ी पर ज्यादा जोर दिए जाने से दुखी था, बल्कि उसकी दो परेशानी थी। एक, कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का रोडमैप तो नहीं ही आया लेकिन 10 तरह की रियायतों को जरूर खत्म कर दिया गया। और दो, 10 लाख रुपये से ज्यादा डिविडेंड पर टैक्स लेकिन कहते हैं कि बजट भाषण में जितना कुछ नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा बजट दस्तावेजों की बारीकियों में होता है। साथ ही जब वित्त मंत्री और उनके आला अधिकारी विस्तार से हर प्रस्ताव को बताते हैं तब जाकर तस्वीर साफ होती है। हुआ भी ऐसा ही। नतीजा बजट के अगले तीन दिनों में सेंसेक्स 1500 प्वाइंट से भी ज्यादा चढ़ा।

अब दो बातें तय हो गई है। पहला तो 2019 तक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 के बजाए 25 फीसदी हो जाएगी और दो, कंपनियों के लिए काफी टैक्स रियायतें खत्म हो जाएगी। पहली बात का सबूत ये है कि 1 अप्रैल 2016 के बाद खुलने वाले विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 25 फीसदी होगी लेकिन बगैर किसी रियायत के। वित्त मंत्रालय कहता है कि इस प्रस्ताव से 25 फीसदी की एक समान दर पर मुहर लग गई है। दूसरी ओर कॉरपोरेट टैक्स पर दस रियायतें खत्म करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। मंत्रालय की मानें तो इन रियायतों का असर बाद में होगा जिसके आकलन के बाद ही वित्त वर्ष 2017-18 से सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी शुरू होगी।

एक बात यहां साफ करना जरूरी है कि यहां पर कॉरपोरेट सेक्टर के लिए टैक्स रियायतों की जो बात हो रही है, वो सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स से जुड़ी रियायतें हैं, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स से जुड़ी नहीं। कॉरपोरेट टैक्स से जुड़ी रियायतें ही हमेशा बहस का मुद्दा बनती हैं। आम धारणा ये है कि ये रियायतें एक तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी है जिसका भुगतान सरकारी खजाने की कीमत पर किया जाता है। अब सरकार भी ये कहने लगी है कि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष सब्सिडी है, हालांकि वो ये भी दलील देती है कि ये रियायतें वो रकम है जो सरकारी खजाने में आई ही नहीं, या आनी ही नहीं थी। इस बारे में बजट दस्तावेजों के तहत 'केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के संबंध में विवरण' शीर्षक से अध्याय में कहा गया है—

कर नीति विशेषकर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जिससे कर वरीयता में बढ़ोतरी होती है। इन कर वरीयता परक उपायों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें वरीयता परक करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में देखा जाना चाहिए। इन्हें कर व्यय भी कहा जाता है।

हर साल सरकार इसी अध्याय में इस बात का जिक्र जरूर करती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में रियायतों की वजह से उसे कितनी रकम से हाथ धोना पड़ा। पहले इसे राजस्व नुकसान कहा जाता था लेकिन अब बजट दस्तावेज में रियायतों को कर प्रोत्साहन का नाम दिया जाने लगा है। आप यदि बजट के विभिन्न दस्तावेजों में पूंजी बजट का दस्तावेज खोलेंगे तो उसके बिल्कुल आखिर में विस्तार से ब्यौरा दिया जाता है कि आपको

लेखक वरिष्ठ वाणिज्यिक और आर्थिक पत्रकार हैं। आर्थिक पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों से सक्रिय। सरकार की आर्थिक नीतियों और संसदीय गतिविधियों पर नियमित लेखन। संप्रति एक समाचार चैनल से संबद्ध हैं। ईमेल: hblshishir@gmail.com

पता चलेगा कि सभी तरह के कर प्रोत्साहनों की क्या कीमत रही।

ये कीमत सालों-साल से सरकार चुकाती रही है। एक धारणा ये भी बनती है कि इन रियायतों का फायदा खास उद्योग समूह या समूहों तक ही सीमित रहता है। इस बारे में और इन कर प्रोत्साहनों की तार्किकता के बारे में राज्यसभा में बीते साल 5 मई को लिखित जवाब में सरकार ने कहा— “वर्ष 2013-14 के दौरान कॉरपोरेट कर दाताओं के संबंध में राजस्वों प्रभाव 57793 करोड़ रुपये (मेट के कारण संग्रहण को हिसाब में लेने के पश्चात) है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कॉरपोरेट कर दाताओं के संबंध में राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के अनुमान 62398.6 करोड़ रुपये लगाया गया है।” कोई निर्धारित आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती का दावा कर सकता है। राजस्व प्रभाव के संबंध में डाटा रखा जाता है और धारा-वार रिपोर्ट किया जाता है न कि निर्धारित-वार रिपोर्ट किया जाता है।

केंद्रीय करों के तहत कर प्रोत्साहन/छूट निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास, अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, रोजगार पैदा करना, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सहकारी क्षेत्र और व्यक्तियों द्वारा बचतों से प्रोत्साहन देने के लिए भी और सरकार के नीति संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परोपकार हेतु दान को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई है।

अब सवाल ये उठता है कि कर प्रोत्साहन या रियायतें अहम क्यों हैं? आप इसे कुछ यूँ समझ सकते हैं। जिस तरह से सरकार आपको व्यक्तिगत स्तर पर छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) में पैसा लगाने के लिए इनकम टैक्स में छूट देती है, ठीक उसी तरह से उद्यमियों और कंपनियों को आय या मुनाफे पर कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी जाती है ताकि कंपनियां या उद्यमी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके लेकिन क्या बस यही मायने हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी के?

सच पूछिए तो इस अप्रत्यक्ष सब्सिडी का एक पहलू ये भी है कि इनकी बदौलत कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर, लिखित दर से काफी कम हो जाती है लेकिन लिखित दर के मामले में हमें दुनिया के सबसे ऊंचे टैक्स वाले देशों में शामिल किया जाता है।

इससे निवेश संभावनाओं और सुगम कारोबार के मामले में रैंकिंग पर असर पड़ता है। अब विश्व बैंक की *ड्रॉइंग बिजनेस, 2016* रिपोर्ट को ही ले लीजिए। वैसे तो सुगम कारोबारी माहौल मुहैया कराने के मामले में 189 देशों की सूची में 130 वें स्थान पर है लेकिन टैक्स भुगतान के मामले में हम 157 वें स्थान पर है। एक बात और जहां पूरी सूची में हमारी स्थिति सुधारी है, वहीं टैक्स के मामले में हम और नीचे हो गए हैं।

आज की तारीख में देशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की लिखित दर 30 फीसदी है। अब अगर एजुकेशन सेस और सरचार्ज को शामिल कर लिया जाए तो ये दर पहुंच जाती है करीब 34 फीसदी लेकिन वास्तव में कंपनियों को इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका सबूत बजटीय दस्तावेजों में ही मिला जब वित्त मंत्रालय ने 5.82 लाख से भी ज्यादा कंपनियों के वित्त वर्ष 2014-15 के लिए दाखिल किए टैक्स रिटर्न की पड़ताल में पाया कि टैक्स की प्रभावी दर 24.67 फीसदी है। हम आपको बता दे कि 10 करोड़ रुपये की सालाना आय वाली कंपनियों के लिए टैक्स की लिखित दर 32.445 फीसदी है जबकि 10 करोड़ रुपये से ज्यादा वालों के लिए 33.99 फीसदी की दर बनती है।

टैक्स रिटर्न की पड़ताल से एक और बात सामने आई कि ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां वास्तविक रूप में कम टैक्स देती है जबकि कम मुनाफा कमाने वाली कंपनियां ज्यादा। मसलन, एक करोड़ रुपये तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की कुल कॉरपोरेट टैक्स देनदारी में हिस्सेदारी है सिर्फ सवा तीन फीसदी लेकिन उनके लिए टैक्स की प्रभावी दर है 29.37 फीसदी। दूसरी ओर जिन कंपनियों का मुनाफा 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उनका कॉरपोरेट टैक्स की कुल देनदारी में 56 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा है लेकिन उनके लिए टैक्स की प्रभावी दर है 22.88 फीसदी।

अब इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि कॉरपोरेट टैक्स के मामले में अप्रत्यक्ष सब्सिडी का फायदा सामर्थ्यवान ही ज्यादा उठा रहे हैं, छोटे उद्यमी नहीं। ये मामला ठीक आम सब्सिडी की तरह है जिसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया कि रसोई गैस और बिजली जैसे सात क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा सब्सिडी का फायदा समृद्ध उठा

रहे हैं। अब एक झटके में दोनों व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता। कुछ इसी सोच के साथ दोनों ही मामलों में सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।

ऊपर लिखी बातों का दूसरा मतलब सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की एक समान दर 25 फीसदी रखे जाने का एक और मजबूत आधार मिला है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के समान निवेश की संभावनाओं वाले देशों में कॉरपोरेट टैक्स 20 से 25 फीसदी के बीच ही है। यदि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटाना चाहते हैं तो ये धारणा खत्म करनी होगी कि हमारे यहां टैक्स की दर 33-34 फीसदी है। कुछ इसी सोच के साथ ही सरकार ने 2019 तक कॉरपोरेट टैक्स की दर 25 फीसदी रखे जाने और कर प्रोत्साहन यानी अप्रत्यक्ष सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव दिया।

अब कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सरकार ने जिन 5.82 लाख से ज्यादा कंपनियों के टैक्स रिटर्न की पड़ताल की, उनमें से 3.10 लाख से भी ज्यादा कंपनियों को 2014-15 के दौरान 12 करोड़ लाख रुपये से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। अब इसमें से यदि 2.54 लाख से भी ज्यादा कंपनियों के करीब पौने पांच लाख करोड़ रुपये के घाटे को निकाल दो, तो भी 7.32 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का शुद्ध मुनाफा बनता है। अब इसमें से 65 हजार करोड़ रुपये के कर प्रोत्साहन निकाल भी दे तो भी साढ़े छह लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा बचेगा।

वैसे कंपनियां ये दावा करती है कि कर में ज्यादा छूट मिले तो वो नया निवेश करने को प्रोत्साहित होंगी, अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा नए सिरे से निवेश करेंगी, नया उद्यम लगाएंगी या फिर पुराने कारोबार का विस्तार करेंगी लेकिन इस बात के अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि जितने का कर प्रोत्साहन मिला, उसके गुणांक में कितने नए निवेश हुए या फिर कारोबार में लगाए गए। कंपनियां भी अपनी सालाना रपट में इस बात का साफ-साफ जिक्र नहीं करती कि सरकार की ओर से उन्हें कितने के कर प्रोत्साहन मिले और जितने मिले, उसका कितना हिस्सा वास्तव में देश और समाज को वापस किया।

दूसरी ओर जब कर प्रोत्साहनों या अप्रत्यक्ष सब्सिडी में कमी की जाती है तो कॉरपोरेट

तालिका: कर प्रोत्साहन की कीमत बनाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च

निगमित कर ( 2015-16 )		निजी आयकर ( 2015-16 )		महत्वपूर्ण योजनाएं ( 2016-17 )	
कर प्रोत्साहन	संभावित राजस्व प्रभाव*	कर प्रोत्साहन	संभावित राजस्व प्रभाव*	योजनाएं	आवंटन*
बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास	43,856.27	आयकर अधिनियम की धारा 80सी	44,650.85	अनुसूचित जातियों की उप योजना के तहत स्कीमें	38,833
एसईजेड की इकाइयों के निर्यात लाभ पर छूट	17,619.92	इनकम टैक्स की धारा 87, के तहत छूट	3,822.79	मनरेगा	38,500
बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण में लगी कंपनियों के लाभ पर छूट	10,159.80	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	1720	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन	33,097
वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए छूट	8,872.48	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट	1198.24	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (जिसमें सर्व शिक्षा अभियान)	28,010 (22,500)
अवसंरचनात्मक विकास में लगी कंपनियों को छूट	4,461.92	बचत खाता में ब्याज के कारण कटौती	822.43	सरकारी बैंकों का पुनर्पूजीकरण	25,000
खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस उत्पादन से उपक्रमों को प्राप्त लाभ पर छूट	3,408.05	धर्मार्थ न्यास एवं संस्थानों को दान पर छूट	487.93	जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीमें	24,005
जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट	3294.41	नई पेंशन योजना में अंशदान पर छूट	486.96	प्रधानमंत्री आवास योजना	20,075
उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों पर छूट	3047.25	उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज के कारण कटौती	397.14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20,037
हिमाचल प्रदेश में उपक्रमों के लाभों पर छूट	1378.82	विकलांग व आश्रित के चिकित्सा व्यय पर छूट	234.19	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000
सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों पर छूट	1012.92	विकलांग व्यक्ति के मामले में छूट	183.64	एकीकृत बाल विकास स्कीम	16,120

\* करोड़ रुपये में,

स्रोत- आम बजट, 2016

जगत के पैरोकार और कई अर्थशास्त्री उद्योग धंधों पर असर की आशंका जताने लगते हैं लेकिन वहीं जब गरीबों पर सब्सिडी में कमी होती है तो उसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा मानते हैं। इसी तरह जब कॉरपोरेट सेक्टर के लिए किसी नए कर प्रोत्साहन का ऐलान होता है तो उसे तर्कसंगत आर्थिक नीति का हिस्सा माना जाता है लेकिन समाज कल्याण, गरीबों या किसानों के लिए सब्सिडी में की गई बढ़ोतरी लोकलुभावन और वित्तीय घाटे को बढ़ाने वाला बताया जाता है।

वैसे इस बहस को संतुलित करने के लिए व्यक्तिगत आयकर दाताओं को मिलने वाले कर प्रोत्साहनों की भी कीमत जान लेते हैं। बजट दस्तावेज बताते हैं कि 2014-15 में ये कीमत रही 49 हजार करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा जबकि 2015-16 में ये बढ़कर 55 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। इस कीमत में सबसे ज्यादा

हिस्सा छोटी बचत योजनाओं जैसे एनएससी और पीपीएफ के साथ जीवन बीमा पॉलिसी पर दिए जाने वाले कर छूटों का है और कीमत आती है करीब 40 हजार करोड़ रुपये। हर वरिष्ठ नागरिक (60 से 85 साल की उम्र) के लिए ही कर प्रोत्साहन की कीमत होती है 5,150 रुपये।





आम तौर पर व्यक्तिगत आयकर दाताओं में कर प्रोत्साहन का फायदा वेतन भोगी ही उठाते हैं। खुद सरकार का आकलन है कि निजी क्षेत्र में तीन करोड़ के करीब वेतनभोगी ऐसे हैं जिनकी मासिक तनखाह 15 हजार रुपये या उससे कम है। अब अगर औसत कर तनखाह 15 हजार रुपये माने तो हरेक व्यक्तिगत आयकर दाता को कुल कर प्रोत्साहन का एक फीसदी के करीब का ही फायदा होता है लेकिन कॉरपोरेट कर के मामले में यही आंकड़ा दस फीसदी की करीब पहुंच जाता है।

सीधे-सीधे देखे तो केवल प्रत्यक्ष कर को

ही लें तो कर प्रोत्साहनों की कीमत बनती है करीब एक लाख करोड़ रुपये। वहीं 2016-17 में हमारा राजकोषीय घाटा 5.33 लाख करोड़ रुपये है। यानी 18 फीसदी घाटे की भरपाई तो केवल प्रत्यक्ष कर में दी जा रही अप्रत्यक्ष सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर संभव हो पाएगा लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी तरह के कर प्रोत्साहनों को पूरी तरह से खत्म कर पाना ना तो आर्थिक तौर पर संभव है और ना ही राजनीतिक तौर पर। फिर भी जरूरत इस बात की है कि रियायतें तर्कसंगत हो और उनका हिसाब-किताब जरूर लिया जाए। व्यक्तिगत आयकर दाता तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हैं कि उन्होंने कर छूट पाने के लिए कहां-कहां कितना पैसा लगाया, उसी तरह कॉरपोरेट सेक्टर ये ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए कि उन्हें किस मद में कॉरपोरेट टैक्स में कितनी रियायत मिली और उसका उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया। □

# सिविल सेवा परीक्षा 2016

## हेतु उपयोगी पुस्तकें



Prices are subject to change without prior notice.

## रोजगार-सृजन व उद्यमिता की सुगम राह

उत्सव कुमार सिंह  
मनीष

*'व्यक्ति नहीं नौकरियों को प्रतीक्षा करनी चाहिए।'* -सर विलियम बेवेरीज



विकास-गाथा तब तक अधूरी है जब तक अधिकतम श्रमबल को गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं मिलता। यह तब तक प्रदान नहीं हो सकता जब तक कि हमारा श्रमबल कुशल एवं बाजार की मांगों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी नहीं बन जाता। मानव पूंजी निर्माण के माध्यम से ही भारत अपने जनांकिकीय लाभांश का अधिकतम दोहन कर सकता है। हमें एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास की प्रस्थिति को अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाना होगा, तो दूसरी तरफ दुनिया के सर्वाधिक मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित कर भारत सहित दुनिया भर के श्रम-बाजारों के लिए निर्विकल्प गंतव्य बन जाना होगा

21

वीं सदी एशिया एवं एशिया में भी भारत की सदी साबित हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जनसंख्या को वरदान बना दें। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के प्रयासों को देखकर यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पहली बार भारत वैश्वीकरण का दोहन करने की मंशा भी रखता है और क्षमता भी। शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत एवं कुशल भारत ही भारत को 'विकसित भारत' बना सकता है। दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न केवल यह है कि हम अपने विकास को कितना अधिक समावेशी बना पाएंगे

किसी भी देश अथवा अर्थव्यवस्था के लिए यह एक काल्पनिक परिस्थिति है, एक यूटोपिया की अवस्था। लेकिन जिस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, इस परिप्रेक्ष्य में यह असंभव भी नहीं है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने भी हर्षोल्लास को साथ भारत एवं दुनिया के सभी देशों को संदेश दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा- "मैं यह बजट ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूँ जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर विकास 2014 के 3.4 प्रतिशत से कम होता हुआ 2015 में 3.1

प्रतिशत के स्तर पर आ गया है- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक 'देदीप्यमान प्रकाश स्तंभ' का नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि भारत का विकास 'असाधारण रूप से उच्च' रहा है।

आर्थिक-सर्वेक्षण, 2015-16 में यह तथ्यात्मक वर्णन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6% हो गई है। भारत विकास कर रहा है लेकिन यह विकास किसके लिए? सामान्य मूल स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार भारत में रिपोर्ट की गई कुल बेरोजगारी की दर 4.9% है। सी. रंगराजन विशेषज्ञ दल (2011-12) के अनुसार भारत की 29.9% जनसंख्या गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन (बल्कि यह कहें कि जीवित रहने के लिए मजबूर हैं) करती है। केवल इन दोनों आंकड़ों से भारत में 'रोजगार की गुणवत्ता' की भी पोल खुलती है। तात्पर्य यह है कि रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से भी अनेक ऐसे हैं जो अपने परिवार की स्वास्थ्य, शिक्षा यहां तक कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ हैं। यह भी तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ही तस्वीर है। सिक्के का दूसरा पहलू! यहां सवाल यह उठता है कि भारत किस प्रकार अपनी जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था के मध्य लाभकारी सामंजस्य स्थापित कर पाता है? इसका जवाब स्पष्ट एवं परिभाषित है, भारत को अपने 'जनांकिकीय लाभांश' की स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। भारत सरकार

उत्सव कुमार सिंह, डाक्टरल फेलो हैं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकी अध्ययन केंद्र से लक्ष्य 2030 पर शोध कर रहे हैं। ईमेल: singh.utsav@gmail.com  
मनीष, यूजीसी के सीनियर रिसर्च फेलो हैं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में भूमि, जाति और राजनीति के अंतःसंबंधों पर शोध कर रहे हैं।  
ईमेल: mkmanishjnu@gmail.com

को अपनी जनसंख्या को विश्व अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप गुणात्मक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निवेश करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत सरकार को 'मानव पूंजी निर्माण' को प्राथमिकता देनी होगी।

### जनांकिकीय लाभांश: विकास का राजमार्ग

जनांकिकीय लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव-संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणामस्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। सामान्य शब्दों में कहें तो 'जनांकिकीय लाभांश' से तात्पर्य जनसंख्या की आयु-संरचना की उस अवस्था से है जिसमें कार्यशील आयु-समूह (15-59/64 वर्ष) की संख्या गैर-कार्यशील आयु-समूह (14 वर्ष एवं उससे कम या 60/65 वर्ष एवं उससे अधिक) से अधिक हो।

जनांकिकीय लाभांश की स्थिति आर्थिक संवृद्धि को तीव्र करने की क्षमता रखती है, लेकिन कुछ शर्तों के आधीन, जैसे. सरकार को किशोरों एवं युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल-विकास आदि पर ध्यान देना होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट में जनांकिकीय लाभांश से विकास के मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित चार मुख्य कार्य करने की सलाह दी गई है:

1. युवाओं को मानव पूंजी-निर्माण में परिवर्तित करने के लिए निवेश में वृद्धि,
2. युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि,
3. युवाओं की वित्त-व्यवस्था तक पहुंच को सुनिश्चित करना,
4. प्रजनन-दर नियंत्रण

विश्व-अर्थव्यवस्था के श्रम-बाजारों की मांग के अनुरूप भारत सरकार को भी अपनी किशोर एवं युवा जनसंख्या को कौशल प्रदान कर गुणात्मक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। ताकि भारत की यह युवा जनसंख्या आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में 'विकास का इंजन' बन सकें। गुणवत्तापूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में सक्षम व्यक्ति को ही सही मायने में 'मानव संसाधन' कहा जा सकता है। अतः यह वर्तमान सरकार के प्रयासों पर निर्भर है कि वह 'जनांकिकीय लाभांश' एवं भारत में किशोरों एवं युवाओं की सर्वाधिक उपस्थिति को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान बना दे या भारत की जनसंख्या ही उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप साबित हो जाए। वर्तमान सरकार जनांकिकीय लाभांश को भारत के लिए वरदान बनाने हेतु प्रयासरत है, जिसकी चर्चा यथास्थान की जाएगी।

### भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति

लार्ड केंस के अनुसार, विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण 'समर्थ मांग का अभाव' होता है और यह 'चक्रीय बेरोजगारी' की श्रेणी का होता है। केंस ऐसी स्थिति में

बेरोजगारी को दूर करने के लिए देश अथवा अर्थव्यवस्था में मंदी रोकने के लिए समर्थ मांग को पर्याप्त स्तर पर ऊंचा रखने की सलाह देते हैं। मांग-जन्य बेरोजगारी को दूर करना अपेक्षाकृत आसान होता है। अमेरिका, चीन, भारत आदि दुनिया के प्रायः सभी देश 2008 की मंदी से उबरने के लिए, विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों, करों एवं सरकारी खर्चों में कटौती तथा विभिन्न संरक्षणात्मक उपायों को अपनाकर समर्थ मांग को उच्च-स्तर पर ले जाने में सफल रहे। किंतु भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, केंस के अनुसार ही अल्पविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी समर्थ मांग के आभाव से नहीं बल्कि पूंजी या अन्य अनुपूरक साधनों के अभाव से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी व्याप्त है। इसे दूर करना कठिन तो है ही, इसके लिए दीर्घकालीन धैर्य भी आवश्यक है। अतः भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूंजी, वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाना अनिवार्य है, ताकि उत्पादन की नई इकाइयां कायम की जाएं। इस प्रकार अतिरिक्त नौकरियां कायम कर अतिरिक्त जनसंख्या को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।






आर्थिक समीक्षा 2015-16 में भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार संगठित क्षेत्र, सम्मिलित रूप से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों, में रोजगार में वृद्धि 2010-2011 में 1.0% की तुलना में 2011-2012 में 2.0% तक की वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र में रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर 2010-11 में 5.6% की तुलना में 2011-12 में 4.5% रह गई। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार, 2010-11 में 1.8% की कमी (नकारात्मक वृद्धि) की तुलना में 2011-12 में 0.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। संगठित क्षेत्र में रोजगार में महिलाओं का हिस्सा तीन वर्षों के

तालिका 1: भारत में रोजगार का प्रमुख व्यावसायिक एवं क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	1972-73	1977-78	1983-84	1987-88	1993-94	1999-00	2004-05	2009-10
प्राथमिक क्षेत्र	73.92	70.98	68.59	64.87	63.98	60.32	56.30	51.30
खनन और उत्खनन	0.43	0.47	0.61	0.72	0.69	0.57	0.56	0.64
विनिर्माण	8.87	10.16	10.66	12.22	10.63	11.01	12.27	11.50
उपयोगिताओं	0.16	0.17	0.28	0.36	0.40	0.26	0.27	0.28
निर्माण	1.84	1.75	2.24	3.76	3.24	4.41	5.69	9.60
माध्यमिक क्षेत्र	11.30	12.55	13.78	17.04	14.96	16.24	18.78	22.02
व्यापार, होटलिंग आदि	5.11	6.12	6.35	7.06	7.59	10.27	10.89	11.38
परिवहन और संचार	1.77	2.11	2.49	2.66	2.87	3.63	4.08	4.48
वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यापार सेवा	0.51	0.62	0.83	0.82	0.97	1.24	1.71	2.25
सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा	7.39	7.62	7.96	7.54	9.64	8.29	8.24	8.57
तृतीय क्षेत्र	14.78	16.47	17.63	18.09	21.07	23.43	24.92	26.67
सभी गैर- कृषि	26.08	29.02	31.41	35.13	36.02	39.68	43.70	48.70
कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत: रोजगार एवं बेरोजगारी पर NSSO के विभिन्न दौर का रिपोर्ट

**चित्र 1: एनएसएसओ के विभिन्न दौर के अनुसार रोजगार का व्यावसायिक क्षेत्रवार वितरण**




**स्रोत: RBI, 24th June 2014-Estimating Employment Elasticity of Growth for the Indian Economy- PP: 4.**

लिए मात्र 20% था।

जनवरी, 2014 से जुलाई, 2014 तक की अवधि के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए चौथे वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार

**आरेख 1: भारत तथा अन्य समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक डब्ल्यूएफपीआर**



**स्रोत: विश्व बैंक के सूचक <http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS?page=1>**

श्रमबल सहभागिता दर (एलएफपीआर) (सामान्य मुख्य स्थिति) सभी व्यक्तियों के लिए 52.5 है। ग्रामीण क्षेत्रों का एलएफपीआर 54.7 है जो शहरी क्षेत्र के 47.2 से अधिक है। महिलाओं का एलएफपीआर ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में पुरुषों के एलएफपीआर से काफी कम है। कार्यबल सहभागिता दर (डब्ल्यूएफपीआर) भी महिलाओं के साथ समान पैटर्न को प्रदर्शित करता है जिसमें महिलाओं की सहभागिता-दर शहरी और ग्रामीण, दोनों ही, क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में निम्नतर है। यदि इसकी तुलना रोजगार व बेरोजगारी पर एनएसएसओ के 61वें एवं 66वें दौर की रिपोर्ट से करें तो 2004-05 के लिए भारत का डब्ल्यूएफपीआर 40 तथा 2009-10 के लिए 39.2 रहा है। यहां ध्यान देने योग्य बात केवल इतनी है कि भारत में एक तो निम्न डब्ल्यूएफपीआर की स्थिति है, साथ ही डब्ल्यूएफपीआर में लगातार गिरावट भी आई है। तात्पर्य यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने अतिरिक्त श्रमबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ है। यह चिंता का विषय तो है लेकिन साथ-ही-साथ अर्थव्यवस्था के लिए 'श्रमबल का अधिशेष' की अवस्था की ओर भी इंगित करता है। सरकार 'अधिशेष श्रमबल' को गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान कर ही अपनी अर्थव्यवस्था की संभावित क्षमता (पोटेंशियल) का इस्तेमाल कर विकास के नए अध्याय लिख सकती है। इसके अतिरिक्त भारत में नगण्य 'विकास की रोजगार लोच' एवं 'रोजगार की गैर-औपचारिकता' भी स्वयं में गहन चिंता

का विषय है। किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर 'विकास की रोजगार लोच' से निर्धारित होता है। विकास की रोजगार लोच से अभिप्राय है कि विकास में किसी विशेष दर से वृद्धि होने पर रोजगार की मात्रा में किस दर से वृद्धि होती है। विकास की रोजगार लोच की अवधारणा का यह महत्व है कि यह अर्थव्यवस्था की रोजगार प्रदान करने की क्षमता को सूचित करता है। अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त श्रम-शक्ति को केवल उसी स्थिति में रोजगार प्रदान किया जा सकता है जब रोजगार लोच ऊंची हो जबकि तथ्य यह है कि भारत में विकास की रोजगार लोच 0.1 है। यह लगभग नगण्य है। भारत सरकार को विकास-दर के साथ-साथ रोजगार लोच को भी ऊंचा करने पर ध्यान देना चाहिए।

'श्रम की गैर-औपचारिकता' से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी श्रमिक की नौकरी को बिना कोई नोटिस दिए तत्काल समाप्त किया जा सकता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, नौकरी की शर्तों की कोई वैधता नहीं होती। ऐसा रोजगार प्रायः अनियमित तथा कैजुअल प्रकृति का होता है। इसका प्रमाण भारत में गैर-संगठित श्रमिकों का भीमकाय अनुपात है। श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को 'श्रम की गैर-औपचारिकता' की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना होगा। वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए श्रम-सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रमिकों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए

## बजट में रोजगार-सृजन के विभिन्न प्रावधान

- किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा।
- किसानों के लिए डेरी-उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए 850 करोड़ की लागत से चार नई परियोजनाएं 'पशुधन संजीवनी', 'एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी', 'ई-पशुधन हाट' तथा 'राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र' का कार्यान्वयन
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के शुभारंभ का अनुमोदन।
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान का शुभारंभ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' को मंजूरी
- 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।
- औपचारिक क्षेत्रों में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के लिए सरकार, ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए, शुरुआती तीन वर्ष के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में 8.33% के हिसाब से अंशदान का भुगतान करेगी।
- मॉडल दुकान और स्थापना विधेयक राज्यों को परिचालित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय करियर सेवा के तहत 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन-योग्य बनाया जाएगा।
- अप्रैल, 2016 से मार्च, 2019 के दौरान शुरू होने वाले स्टार्ट-अप व्यवसाय को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक लाभ पर 100% कर कटौती का लाभ दिया जाएगा। ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) लागू होगा।
- अभिशासन और कारोबार करने की आसानी।
- एमएसएमई श्रेणी में बड़ी संख्या में निर्धारितियों को बड़ी राहत देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44 क(ड) के तहत प्रकल्पित कराधान स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करना।
- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन ताकि लगत घटाई जा सके। इससे घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।

सरकार अनेक कौशल-विकास से संबंधित कार्यक्रम चला रही है। सरकार आयोजनागत कमियों को भी दूर करने के लिए प्रयासरत है। उदाहरण के लिए यह सरकार आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं विस्तार पर अत्यधिक जोर दे रही है ताकि विकास की रफ्तार को तीव्र करने के साथ-साथ रोजगार विशेषकर औपचारिक रोजगारों का अधिक-से-अधिक सृजन किया जा सके।

संवृद्धि एवं रोजगार-सृजन के मध्य कोई निश्चित संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसी विकसित व सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था भी आज-कल रोजगार विहीन संवृद्धि से गुजर रही है। वहीं भारत में संवृद्धि-दर (7.6%) तो सर्वश्रेष्ठ है लेकिन रोजगार की लोच (0.1) नगण्य है। तात्पर्य यह है कि जिस दर से भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, उसके अनुपात में रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है। किंतु एक सत्य

यह भी है कि अधिकतम रोजगार संवर्धन को सुनिश्चित कर अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकसित किया जा सकता है। अपने विकास के प्रारंभिक दौर की चीनी अर्थव्यवस्था इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

**सरकार आयोजनागत कमियों को भी दूर करने के लिए प्रयासरत है। उदाहरण के लिए यह सरकार आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं विस्तार पर अत्यधिक जोर दे रही है ताकि विकास की रफ्तार को तीव्र करने के साथ-साथ रोजगार विशेषकर औपचारिक रोजगारों का अधिक-से-अधिक सृजन किया जा सके।**

### रोजगार-सृजन के विभिन्न बजटीय प्रावधान

देश की अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करने के लिए जीडीपी

के आकार में वृद्धि आवश्यक है। 2008 में अमेरिका की महामंदी के बाद भले ही ट्रिकल-डाउन की अवधारणा को चुनौती दी गई हो, लेकिन ट्रिकल-डाउन ही वह समाधान है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के तीनों ही प्रमुख क्षेत्रों कृषि, विनिर्माण एवं सेवा को संरचनात्मक रूप से मजबूत किया जा सकता है क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक सुधार के लिए वृहद् निवेश की आवश्यकता होती है। व्यापक निवेश के लिए अत्यधिक बचत आवश्यक है। अत्यधिक बचत के लिए देश की जीडीपी में विस्तार एवं संवृद्धि-दर का तीव्र होना आवश्यक है। आज क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारत सं. रा. अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

विश्व बैंक द्वारा 2015 में जारी रिपोर्ट के अनुसार आज भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.06 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो चुका है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों में, स्थिर बाजार कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि-दर 2014-15 में 7.2% से बढ़कर 2015-16 में 7.6 % होने का अनुमान है। यही कारण है कि भारत सरकार 2016-17 के बजट में विभिन्न अवसंरचनात्मक सुधार का कार्यक्रम लेकर आई है। उदाहरण के लिए इस बार 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के लिए अब तक का सर्वाधिक 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस बार के बजट में चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2.87 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले पांच वर्षों की अवधि की तुलना में 228 प्रतिशत की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत सार्वजनिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों की लक्ष्य-सीमा बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रूपए कर दिया गया है। रोजगार संवर्द्धन के लिए आवश्यक इस तरह की अनेकानेक योजनाओं की घोषणा प्रत्येक वर्ष के बजट में की जाती है। यह केवल इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार एवं स.घ.उ. की उत्तरोत्तर संवृद्धि सरकार को सांकेतिक



अनुमति प्रदान करता है। सरकार के समक्ष चुनौती केवल इतनी है कि वह ट्रिक्ल डाउन की सैधातिक प्रक्रिया की व्यवहारिक सफलता को सुनिश्चित करे।

## सेवा क्षेत्र के समानांतर हो कृषि व विनिर्माण क्षेत्र

अधिक-से-अधिक रोजगार-सृजन के लिए सेवा क्षेत्र के स्थान पर नहीं तो कम-से-कम उसके साथ-साथ कृषि व विनिर्माण-क्षेत्र को मजबूत करना होगा क्योंकि सेवा क्षेत्र में विनिर्माण अथवा कृषि क्षेत्र जितना रोजगार प्रदान करने की क्षमता नहीं है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 54.4% रहा है जबकि भारत की 26.67% श्रम बल ही सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 29.5% है एवं इस क्षेत्र में भारत के श्रमबल का 22.02% हिस्सा कार्यरत है। यही कारण है कि विनिर्माण अथवा द्वितीयक क्षेत्र को 'श्रम गहन' उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर भारत में सेवा क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र का समान विकास किया जाता है तो इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक श्रम बल को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इसलिए भारत की वर्तमान सरकार विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

चीन और भारत की विकास-गाथा में यही मूलभूत अंतर है। चीन में सेवा क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र भी अत्यधिक मजबूत है। चीन ने अपनी टाउन एंड विलेज इंटरप्राइजेज के माध्यम से न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की बल्कि 'हर हाथ को काम' के सपने को भी साकार किया। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि चीन में श्रमबल को प्रायः गुणवत्ता पूर्ण रोजगार प्रदान किया गया है। भारत भी अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने की ओर अग्रसर है। 2016-17 के बजट में भी एमएसएमइज के विकास के लिए 3465 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 444 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अतिरिक्त एमएसएमइज को बढ़ावा देने के लिए कराधान में भी छूट दी गई है।

अपने बजट-भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि "आयकर अधिनियम की धारा 44 क(घ) के

अंतर्गत अनुमानित कराधान स्कीम का लाभ छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए उपलब्ध कराया कराया गया है, जिनका टर्नओवर एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। वर्तमान में, लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को यह लाभ मिल रहा है, जिससे वे विस्तृत खाता बहियों के रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा कराने के बोझ से मुक्त हैं। इस स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है जो एमएसएमइज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बहुत से निर्धारितियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा।"

## रोजगार के लिए कौशल

विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ही वर्तमान सरकार 'मेक इन इंडिया' नामक योजना की शुरुआत कर चुकी है। 'मेक इन

**2016-17 के बजट में वर्तमान सरकार ने मनरेगा की सफलता के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यदि इस राशि को पूरी तरह से खर्च किया जाता है तो यह मनरेगा के लिए अब तक का सर्वाधिक खर्च साबित होगा।**

इंडिया' की सफलता के लिए भारत के श्रमबल का कौशलयुक्त होना अनिवार्य है। इसके लिए भारत सरकार 'स्किल इंडिया' नामक कार्यक्रम का भी संचालन कर रही है। 2016-17 के बजट में कहा गया है कि 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (पीएमकेवीवाई) के तहत 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन एवं प्रशिक्षण के लिए नेशनल बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को सकल बनाने के लिए करों एवं शुल्कों में भी विभिन्न छूट प्रदान किए गए हैं। जैसे, 'स्टार्ट अप इंडिया' की सफलता को भी 'मेक इन इंडिया' से जोड़कर देखा गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट-भाषण में कहा है, "स्टार्ट अप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं तथा आशा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2019 के दौरान, प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट अप्स को

5 वर्षों में 3 वर्षों में अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद दी जाए।"

## कृषिगत रोजगार: नई संभावनाएं

भारत प्रारंभ से ही एक कृषि-प्रधान देश रहा है। आज यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आज भारत के जीडीपी में समग्र प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 16.1% रह गया है लेकिन कृषि-क्षेत्र आज भी भारत के श्रम बल के 51.3% हिस्से को रोजगार प्रदान कर रहा है। इसलिए रोजगार-सृजन की दृष्टि से देखें तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी कृषि-क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। 2016-17 के बजट 'कृषि एवं किसान कल्याण' सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार के 'ट्रांसफॉर्म इंडिया' नामक एजेंडा के नौ विशिष्ट स्तंभों में से यह प्रथम है।


किसानों को आय-सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ स्पष्ट है कि कृषि-क्षेत्र में कार्यरत लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होगा। इससे भारत के कृषि-क्षेत्र में व्याप्त 'छद्म बेरोजगारी' की समस्या से भी बहुत हद तक निजात मिलेगी। 2016-17 के बजट में किसानों के हित के लिए डेरी-उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए, चार नई परियोजनाओं के प्रारंभ की घोषणा की गई है। पहला, 'पशुधन-संजीवनी', जो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है और जिसमें पशु स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र) का प्रावधान है; दूसरा, एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी तीसरा, 'ई-पशुधन हॉट' का सृजन, जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई-मार्केट पोर्टल है; और चौथा, देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में 850 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।

## मनरेगा कोष में वृद्धि

प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 27 फरवरी, 2015 को अपने अधिभाषण में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कांग्रेस की सरकार का एवं प्रकारांतर से भारतीय अर्थव्यवस्था की असफलता का परिणाम माना था। यह बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर किसी अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता न हो तभी वहां

## संगठित क्षेत्र

रोजगार वृद्धि में प्रतिशत बदलाव



Economic Survey  
2015-16

ग्राफिक: [www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in)

की सरकार को मनरेगा जैसी 'श्रम-रोजगार' की योजना लानी पड़ती है। इसके साथ-साथ हमें यह भी समझना होगा कि कई बार सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह इस तरह की योजनाओं का संचालन करे। मनरेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की असफलता का परिणाम भले हो लेकिन यह स्वयं में असफल परियोजना नहीं है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषिगत गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों की दिहाड़ी में अनपेक्षित सुधार हुआ है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक सामाजिक परिसंपत्तियों का भी निर्माण हुआ है। यही कारण है कि 2016-17 के बजट में वर्तमान सरकार ने मनरेगा की सफलता के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यदि इस राशि को पूरी तरह से खर्च किया जाता है तो यह मनरेगा के लिए अब तक का सर्वाधिक खर्च साबित होगा।

करने के लिए प्रोत्साहित तो कर सकती है लेकिन मजबूर नहीं कर सकती। श्रम-कानूनों में किए गए एवं संसदीय अनुमोदन के लिए प्रतीक्षारत सुधार इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। 2016-17 के बजट में भी वित्तमंत्री ने नियोक्ताओं को औपचारिक रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित एक राहत की घोषणा करते हुए कहा "औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रथम तीन वर्षों के लिए 8.33% के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का भुगतान करेगी। इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बहियों में दर्ज करने के लिए भी प्रेरित होंगे।"

### संगठित क्षेत्र को सहायता

'रोजगार की गैर-औपचारिकता' से निपटने के लिए निजी क्षेत्र में संगठित रोजगार वेग अनुपात में वृद्धि अनिवार्य है। वर्तमान में भारत के असंगठित प्रकृति के हैं। असंगठित रोजगार में कार्यबल की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। लेकिन उदारीकरण की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार निजी क्षेत्र को औपचारिक रोजगार प्रदान

### मॉडल करियर केंद्र: नई संभावनाएं

2016-17 के बजट का एक अन्य मुख्य आकर्षण 'मॉडल करियर केंद्रों' की संख्या में वृद्धि है। इससे नियोक्ता अपनी आवश्यकता के हिसाब से एकीकृत राष्ट्रीय पोर्टल से कर्मचारियों का चयन कर सकते हैं। बजट में कहा गया है कि जुलाई, 2015 में एक 'राष्ट्रीय करियर सेवा' प्रारंभ की गई थी। 3.5 करोड़ लोग इस सेवा में पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाने का प्रस्ताव है। राज्यों के रोजगार कार्यालयों को भी राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव है।

भारत की विकास-गाथा तब तक अधूरी है जब तक अधिकतम श्रमबल को गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान नहीं किया जाता। अधिकतम श्रमबल को गुणवत्तापूर्ण रोजगार तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि हमारा श्रमबल कुशल एवं बाजार की मांगों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी नहीं बन जाता। मानव पूंजी निर्माण के माध्यम से ही भारत अपने जनांकिकीय लाभांश का अधिकतम दोहन कर सकता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाना तथा दुनिया के सर्वाधिक मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित कर श्रम-बाजारों के लिए निर्विकल्पक गंतव्य बन जाना होगा।

### संदर्भ

1. अरुण जेटली, बजट भाषण 2016-2017
2. भारत की जनगणना रिपोर्ट, 2011
3. 'द पॉवर ऑफ 1.8 बिलियन स्टेट ऑफ वर्ल्ड' पॉपुलेशन 2014, यूएनएफपीए, पृष्ठ-5
4. वही, पृष्ठ 12
5. अरुण जेटली, बजट भाषण 2016-2017
6. अरुण जेटली, बजट भाषण 2016-2017
7. अरुण जेटली, बजट भाषण 2016-2017
8. अरुण जेटली, बजट भाषण 2016-2017

## योजना

आगामी अंक



अप्रैल 2016

पूर्वोत्तर भारत

## शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान

प्रतिभा कुंडु



वर्ष 2015-16 वित्तीय नीति के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। कतिपय मूलभूत नीतिगत उपायों जैसे राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण पर चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी, राज्यों के लिए केंद्र सरकार के योजना अनुदान में कमी, योजना आयोग आदि के उन्मूलन ने भारत की समग्र वित्तीय संरचना को प्रभावित किया है। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बाद यह देखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बजट 2016-17 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या प्रस्तावित किया गया है

### लो

कसभा में अपना तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नौ अलग-अलग स्तंभों को रेखांकित किया जो देश की कायापलट कर देंगे। वित्त मंत्री ने शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन का समावेश सामाजिक क्षेत्र के तीसरे स्तंभ में नहीं किया बल्कि इसे एक चौथे विशेष स्तंभ के रूप में उल्लेखित किया।

वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) के लिए शिक्षा पर केंद्र सरकार का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.48 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2015-16 में 0.50 प्रतिशत था (संशोधित अनुमान)। केंद्रीय बजट में शिक्षा के हिस्से में 3.8 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत की गिरावट हुई है (देखें चित्र 1)।

शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के बजट आवंटन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का योगदान 70 प्रतिशत के करीब होता है (एमएचआरडी, 2014)। वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) में इस मंत्रालय


ने 72,394 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जिसमें से 60 प्रतिशत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा 40 प्रतिशत उच्च शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किया गया है। समय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट वितरण में उच्च शिक्षा को वरीयता स्पष्ट दिखाई देती है। (देखें चित्र 2)।

### स्कूली शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधान

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उल्लेख करते हुए कहा था कि हमारा अगला बड़ा कदम क्वालिटी एजुकेशन (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) पर बल देना है। यह हैरानी की बात है कि बजट प्रस्तावों में शिक्षा के अधिकार या माध्यमिक शिक्षा के विषय में कुछ नहीं कहा गया है।

हालांकि भारत ने सार्वभौमिक प्राथमिक दाखिले (कक्षा 1-5) का लक्ष्य हासिल किया है लेकिन दाखिले के आंकड़े वास्तविक स्थिति

चित्र 1: शिक्षा पर केंद्र सरकार का बजटीय व्यय (प्रतिशत में)




नोट: शिक्षा पर केंद्र सरकार के व्यय में केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय आता है। बीई-बजट अनुमान, आरई- संशोधित अनुमान, जीडीपी के आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य पर हैं (2011-12 श्रृंखला, दूसरा संशोधित अनुमान)

स्रोत: कनेक्टिंग द डॉट्स, केंद्रीय बजट का एक विश्लेषण, 2016-17, सीबीजीए

लेखिका सेंटर फॉर बजट एंड गर्वनेंस एकाडेटेबिलिटी से संबद्ध हैं। पूर्व में वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के साथ काम कर चुकी हैं। संप्रति सीबीजीए में वह शिक्षा के लिए सरकारी बजट, जी-20 तथा ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के लिए नीति निर्माण से जुड़े मुद्दे आदि विषयों पर शोध कर रही हैं। ईमेल: protiva.kundu.con@idfc.com

**चित्र 2: विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट की संरचना ( प्रतिशत में )**



स्रोत: लेखक द्वारा केंद्रीय बजट, व्यय बजट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खंड 2 से संकलित

बयान नहीं करते, जैसे कि आंकड़े कहते हैं कि 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 4.3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते (जनगणना 2011)। यह संख्या इस आयु वर्ग के बच्चों का 18 प्रतिशत है।

सिर्फ दाखिला ही नहीं, उत्तम स्कूली शिक्षा का अभाव भी कई वर्षों से चिंता का विषय रहा है विशेष रूप से शिक्षा के सार्वजनिक वित्तपोषण के संदर्भ में। समयबद्ध तरीके से सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना आरटीई अधिनियम, 2009 में निहित है। हालांकि, पांच साल के बाद भी केवल 8 प्रतिशत स्कूल ही आरटीई अधिनियम के तहत संरचनात्मक नियमों का अनुपालन करते हैं, सरकारी स्कूलों में 9.4 लाख शिक्षकों की कमी है, 8.3 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। सरकारी स्कूलों में मौजूदा शिक्षकों में 20 प्रतिशत अप्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात पिछले पांच वर्षों से लगभग स्थिर है (डीआईएसई, 2014-15)। इस अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न घटकों के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन की आवश्यकता होगी। फिर भी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 2015-16 की तुलना में इस वर्ष केवल 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है (संशोधित अनुमान)।


### शिक्षा का अधिकार के लिए वित्त पोषण

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई अधिनियम 2009 को लागू करने का मुख्य साधन बना। इस वर्ष एसएसए के लिए 22,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2015-16 की तुलना में इसमें केवल 2.2 प्रतिशत की वृद्धि है (संशोधित अनुमान)। इस

राशि का 65 प्रतिशत शिक्षा उपकर (प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके)) (देखें चित्र 3), 29 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और छह प्रतिशत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक हालिया ऑडिट रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि शिक्षा उपकर की कम उगाही के कारण वर्ष 2014-15 (संशोधित अनुमान) के लिए सर्व शिक्षा अभियान का बजट घटाकर 5,256 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि इसके लिए बजटीय प्रावधान 27,575 करोड़ रुपये था (कैग 2015)। इसके अतिरिक्त केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के युक्तीकरण पर नीति आयोग के उपसमूह की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 से सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए एसएसए के अपने मौजूदा हिस्से को 65 से 60 प्रतिशत कर दिया है। इसलिए आरटीई का समुचित कार्यान्वयन राज्यों द्वारा अपना योगदान बढ़ाने पर निर्भर करता है जोकि अनिश्चित है और चिंता का विषय भी।

गुणवत्ता का मुद्दा माध्यमिक स्तर पर और अधिक गंभीर है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक

**चित्र 3: उपकर के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को वित्तपोषण का पैटर्न ( प्रतिशत में )**



स्रोत: लेखक द्वारा केंद्रीय बजट, व्यय बजट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खंड 2 से संकलित

और उच्च शिक्षा प्रणाली के बीच एक अपरिहार्य आधार प्रदान करती है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है लेकिन 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 62 प्रतिशत बच्चे ही माध्यमिक स्कूलों (कक्षा 11-12) में दाखिला ले पाते हैं (एमएचआरडी, 2014)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) जिसे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था, के लिए 3,700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्ष 2015-16 की तुलना में इसमें 135 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है (संशोधित अनुमान)। आरएमएसए को एनईएम के तहत लाया गया है लेकिन आरएमएसए के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। इसलिए राज्यों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अब 25 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत अनुदान देना होगा।

स्कूल स्तर पर प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों में कमी के बावजूद बजट में शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों (26.9 प्रतिशत) में पर्याप्त कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त मदरसों/अल्पसंख्यकों से संबद्ध योजनाओं में भी कटौती की गई है (64.2 प्रतिशत)। यह योजना मदरसों में बुनियादी ढांचे के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार की गई है (देखें तालिका 1)।

### उच्च शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधान

बजट भाषण में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। इस लक्ष्य के लिए उच्च शिक्षा विभाग को 28,840 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जोकि वर्ष 2015-16 की तुलना में

**तालिका 1: चुनिंदा शिक्षा परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन ( करोड़ रुपये में )**

योजना	2014-15	2015-16*	2015-16#	2016-17*
एनईएम-एसएसए	24097	22000	22015	22500
एनईएम-आरएमएसए	3398	3565	3565	3700
एनईएम-शिक्षक प्रशिक्षण व साक्षर भारत	1158	1397	1203	879
मदरसों व अल्पसंख्यक शिक्षा की योजनाएं	119	376	336	120
केंद्रीय विद्यालय संगठन	3243	3278	3278	3795
नवोदय विद्यालय संगठन	2013	2061	2285	2471
मध्याह्न भाजन	10523	9236	9236	9700

\* बजट अनुमान # संशोधित अनुमान स्रोत- कनेक्टिंग द डॉट्स, केंद्रीय बजट विश्लेषण 2016-17, सीबीजीए

13.5 प्रतिशत अधिक हैं (संशोधित अनुमान)। यह भी स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और उच्च शिक्षा (सामान्य) के बजट में मामूली वृद्धि की गई है। तकनीकी शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधान में बढ़ोतरी की गई है जिसका कारण नए आईआईटी और आईआईएम को सहयोग देना और उनकी स्थापना करना है।

विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता, जिसमें गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण पर ब्याज सबसिडी, कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और गैर हिंदी भाषी राज्यों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शामिल हैं, में वर्ष 2015-16 के मुकाबले 2.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है (संशोधित अनुमान)।

वर्ष 2013 में प्रारंभ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को भी एनईएम के तहत लाया गया है। रूसा राज्य स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषित करने का प्रमुख कार्यक्रम है। वित्त पोषण के पैटर्न में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी 60 प्रतिशत

हिस्सेदारी (जोकि पहले 65:35 था) के तहत 1,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जोकि वर्ष 2015-16 के मुकाबले 245 करोड़ अधिक है (देखें तालिका 2)।

उच्च शिक्षा के वित्त पोषण से संबंधित एक प्रश्न अब भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। वह यह कि किस अनुपात में उपकर के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) को न तो पीएसके जैसे कोष में जमा किया जाता है और न ही ऐसी योजनाओं को चिन्हित किया गया है जिन पर उपकर को खर्च किया जाए। पारदर्शिता न होने के कारण भी धन के दुरुपयोग की संभावनाएं बनती हैं जिन्हें लक्षित किए जाने की जरूरत है।

### शिक्षा पर कौशल को प्राथमिकता

स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था- अगर देश के विकास को बढ़ावा देना है तो हमारा मिशन

होना चाहिए-कौशलता विकास और कुशल भारत। इस मिशन के लिए अब तक सरकार ने चार प्रमुख पहल की हैं-राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और कौशल ऋण योजना। बजट भाषण में भी कौशल विकास और नये रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। पीएमकेवीवाई के तहत 1,500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 1,700 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गई है।

वास्तव में बढ़ती श्रमशक्ति के कारण देश में कौशल विकास की तत्काल आवश्यकता है। लेकिन कौशल प्राप्त करने के लिए शिक्षा का एक बुनियादी स्तर हासिल होना जरूरी है। जिस देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं किया जा सका हो, शिक्षण परिणाम संतोषजनक न हों, 5-29 वर्ष के आयु वर्ग के 40 प्रतिशत लोग किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान का हिस्सा न हों (एनएसएस, 2015), केवल रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्न वेतन पर काम करने वाली अर्ध कुशल श्रमशक्ति ही तैयार होगी जोकि संभवतः किसी को मंजूर नहीं होगी।

### निष्कर्ष

अक्सर यह कहा जाता है कि जीडीपी का कम से कम छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, जिसकी सिफारिश 1996 में कोठारी आयोग ने भी की थी। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा पर कुल मिलाकर चार प्रतिशत से भी कम खर्च करती हैं। यह देखते हुए कि शिक्षा पर केंद्र सरकार का बजटीय खर्च राज्यों की तुलना में कम हो रहा है, राज्यों की जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही है। यह स्पष्ट है कि चालू वित्त वर्ष में परिवर्तित वित्तीय संरचना से राज्य स्तर की शिक्षा के सार्वजनिक प्रावधानों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। यह भी देखना होगा कि राज्य किस प्रकार अपने बजट की

**तालिका 2: उच्च शिक्षा के चुनिंदा घटकों के लिए बजटीय आवंटन ( करोड़ रुपये में )**

घटक	2015-16 ( बजट अनुमान )	2015-16 ( संशोधित अनुमान )	2016-17 ( बजट अनुमान )
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	9615	9315	4491
केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान			
छात्रों को वित्तीय सहायता	2373	2163	2221
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)	4949	4463	5714
एनईएम- रूसा	1155	1055	1300

नोट: \*यह घटक 2015-16 (बजट अनुमान) और 2015-16 (संशोधित अनुमान) में यूजीसी का हिस्सा था

स्रोत: केंद्रीय बजट, व्यय बजट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खंड 2 2016-17 से लेखक द्वारा संकलित

## केंद्रीय बजट 2016-17 में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएं

- बासठ नए नवोदय विद्यालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना।
- 1,000 करोड़ रुपये के पूंजी आधार वाली उच्च शिक्षा से संबंधित एक वित्तीय संस्था को स्थापित किया जाएगा जोकि बाजार से फंड उगाहेगी और उसे दान और सीएसआर फंड के साथ अनुपूरित करेगी।
- ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2,200 कॉलेजों, 300 स्कूलों, 500 सरकारी आईटीआई और 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में उच्चमिता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
- दस सार्वजनिक और दस निजी संस्थानों के लिए ऐसी विनियामक संरचना तैयार की जाएगी जोकि इन संस्थानों को विश्व स्तर का शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बनाएगी।

**स्रोत:** बजट भाषण, केंद्रीय बजट 2016-17  
 प्राथमिकताएं तय करेंगे और शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन करेंगे। हालांकि शिक्षा समवर्ती

सूची का हिस्सा है और इस क्षेत्र के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी बनती है, इसलिए यह सरकार के दोनों स्तरों के लिए अनिवार्य है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाएं और गुणवत्ता हासिल करने पर पर्याप्त ध्यान दें। □

### संदर्भ

- सेंटर फॉर बजट एंड गर्वनेंस एकाउंटेंबिलिटी (2016) कनेक्टिंग द डॉट्स, एन एनालिसिस ऑफ यूनिन बजट 2016-17, मार्च
- भारत सरकार (2015): भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, केंद्र सरकार का लेखा, संख्या 50
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (2015): प्राथमिक शिक्षा राज्य रिपोर्ट कार्ड, 2014-15, डीआईएसई प्रकाशन
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2014): शिक्षा पर बजट व्यय का विश्लेषण, 2010-11 से 2012-13, योजना और निगरानी इकाई, उच्चतर शिक्षा विभाग
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2014): शिक्षा सांख्यिकी पर एक नजर, योजना, निगरानी एवं सांख्यिकी ब्यूरो
- नीति आयोग (2015): केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट, अक्टूबर
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (2013): भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति, रिपोर्ट संख्या 566, एनएसएस 68 वां दौर

## केंद्र प्रायोजित योजना में परिवर्तन पर नीति आयोग की उप समिति

सीएसएस के युक्तिकरण पर नीति आयोग की उप समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने 1,500 से अधिक केंद्रीय योजना स्कीमों को 300 केंद्रीय क्षेत्र की और 30 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पुनर्गठित किया है। इसमें बिना शेरिंग पैटर्न में बदलाव के) सामाजिक समावेश के लिए शिक्षा योजनाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए योजनाओं) को कोर ऑफ द कोर (मुख्य में प्रमुख) योजनाओं के रूप में चिन्हित किया है।

सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा, रूसा भी शामिल है, को राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम) के तहत लाया गया है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच अनुदान का बंटवारा 60:40 के अनुपात में किया गया है।

**स्रोत:** नीति आयोग उप समिति की रिपोर्ट और बजट भाषण, केंद्रीय बजट 2016-17

## प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की नई दरें

क्रम	पत्रिका	प्रति अंक	वार्षिक	द्विवार्षिक	त्रिवार्षिक	विशेषांक
1	योजना*	22	230	430	610	30
2	कुरुक्षेत्र	22	230	430	610	30
3	आजकल*	22	230	430	610	30
4	बाल भारती	15	160	300	420	20
5	रोजगार समाचार#	12	530	1000	1400	लागू नहीं

\* नयी दरें अप्रैल 2016 अंक से लागू, # रोजगार समाचार की नई दरें 6 फरवरी 2016 से लागू  
 पत्रिकाओं की सदस्यता ऑनलाइन भी ली जा सकती है। ऑनलाइन लिंक के लिए योजना/प्रकाशन विभाग/भारत कोष वेबसाइट पर जाएं।

## कृपया ध्यान दें


सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

### वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,  
 नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453, ई-मेल: pdjucir@gmail.com

# महिला सशक्तीकरण की ओर बजटीय पहल

ऋतु सारस्वत



नारी सशक्तीकरण के चार स्तंभों 'स्वास्थ्य', 'सुरक्षा', 'शिक्षा', और 'आर्थिक स्वावलंबन' के लिहाज से बजट में महती घोषणाएं की गई हैं। 'स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' अप्रत्यक्षतः महिला स्वास्थ्य सुधार में भूमिका निभाएगी। महिला व बाल स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटक 'स्वच्छता' हेतु 'स्वच्छ भारत अभियान' में 11300 करोड़ रुपये मिले हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के लिए भी 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर और महिला हैल्प लाइन का वित्त पोषण निर्भया निधि के जरिए किया गया है। इन दो योजनाओं में क्रमशः 10.71 करोड़ रुपये और 13.94 करोड़ रु. की मंजूरी दी जा चुकी है। स्वयं का छोटा व्यवसाय खोलने वाली महिलाओं के लिए मुद्रा योजना मददगार सिद्ध होगी। वित्त वर्ष 2016-17 में मुद्रा योजना के लिए 1,80,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है

‘म

हिला सशक्तीकरण' एक ऐसा तथ्य है जिसकी अवहेलना किसी भी समाज, देश के विकास की गति को धीमा कर सकती है और जब इस संदर्भ में भारत की बात हो तो यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारतीय महिलाएं न केवल देश की आधी आबादी है बल्कि उन्होंने बीते दशकों में तमाम बाधाओं के बावजूद आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं का 'सशक्तीकरण' नीतिगत मामलों में केंद्रीय रहा है। अमूमन हम भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में अंतर करते हैं परंतु वास्तविकता के धरातल पर दोनों पूरक हैं। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र अर्थात् सामाजिक बुनियादी ढांचा कुशल, शिक्षित व मजबूत मानवशक्ति के निर्माण के लिए जरूरी है और इस दृष्टिकोण को रखते हुए बजट 2016-17 को महिलाओं के परिप्रेष्य में देखा जाना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण के चार मुख्य बिंदुओं 'स्वास्थ्य', 'सुरक्षा', 'शिक्षा', और 'आर्थिक स्वावलंबन' को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने बजट 2016 में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने अपने बजटीय भाषण में कहा "हमारे देश में, रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्यम वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता था। धीरे-धीरे यह मध्यम वर्ग तक फैल गई लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, रसोई घर में आग जलाना एक घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर

है" वित्त मंत्री ने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एल.पी.जी. कनेक्शन मुहैया कराने के लिए बजट 2016-17 में 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यकीनन वित्तमंत्री का यह निर्णय न केवल भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अपितु उनके सशक्तीकरण हेतु अभूतपूर्व कदम है। यह एक सच्चाई है कि लकड़ी, कोयला, गोबर के उपलों और फसल के बचे हुए हिस्सों सहित टोस जलावन की खुली आग और पारंपरिक चूल्हों में खाना पकाने से घर के भीतर होने वाला वायु प्रदूषण विश्व में, हृदय और फेफड़ों की बीमारी और सांस के संक्रमण के बाद मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संवहनीय ऊर्जा लक्ष्य का एक मकसद है, किफायती, भरोसेमंद, वहनीय और आधुनिक ऊर्जा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, वह भी ऐसे 290 करोड़ लोगों, को जो दुनिया के कई हिस्सों में हैं, तक खाना पकाने के स्वच्छ समाधान पहुंचाए जाएं, जो उनके पास नहीं हैं।

वित्त मंत्री की यह पहल जहां महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगी वहीं 'स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' जिसमें प्रति परिवार एक लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी अप्रत्यक्ष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में भूमिका निभाएगी। विभिन्न अध्ययन इस ओर लगातार संकेत करते रहे हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाएं चूंकि दोगम दर्जे का स्थान पाती हैं इसलिए उनके स्वास्थ्य के मुद्दे को परिवारजनों से निरंतर अवहेलना मिलती है विशेषकर जब उनकी बीमारियों का प्रश्न आता है तो खर्चे के नाम पर

लेखिका बीते 17 वर्षों से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य कर रही हैं। इनके निर्देशन में कई शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा चुकी है। योजना, कुरुक्षेत्र एवं समाज कल्याण की पत्रिकाओं में लगभग 60 से अधिक लेख प्रकाशित। देश के प्रख्यात समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठों में 400 से अधिक लेख प्रकाशित। लोकसभा चैनल में समाजशास्त्री के तौर पर वार्ताओं में प्रतिभागिता। ईमेल: saraswatritu@yahoo.co.in

उनका इलाज नहीं करवाया जाता। ऐसी स्थिति में 'स्वास्थ्य बीमा' उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस बार पिछली बार से चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटन मिला है तो महिला बाल विकास मंत्रालय को पिछली बार से 56 करोड़ रुपये अधिक मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट 20,037 करोड़ रुपये रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों, में से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, संचारी रोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य ही है 'हिंसा से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रह रही तथा देश के विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा रही सशक्त महिलाएं और सुसंपोषित बच्चे, जिन्हें शोषण मुक्त वातावरण में विकास एवं वृद्धि के सभी अवसर प्राप्त हों।'

यह मंत्रालय बाल संरक्षण एवं कल्याण योजनाएं, बाल विकास योजनाएं एवं महिला सशक्तीकरण की विभिन्न योजनाओं को केंद्र में रखते हुए, कार्यक्रमों एवं इन से संबंधित योजनाओं के माध्यम से बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करता है। हालिया यूनिसेफ द्वारा समर्थित एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराया गया, सर्वे जो कि पिछले एक दशक में भारत में जच्चा बच्चा स्वास्थ्य पर कराया गया पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, जो बताता है कि 2013-14 में पांच साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या गिर कर 39 प्रतिशत हो गई जिनका विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा था। 2005-06 कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 48 प्रतिशत था। यह सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं के उपयोग किए जाने जैसे सरल हस्तक्षेपों और सरकार द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य अभियानों पर किए जा रहे, प्रयासों का परिणाम है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण IV, जनवरी 2016 के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह के तथ्यों को उजागर करती है। यह रिपोर्ट यह बताती है कि हमारे बच्चे पहले की अपेक्षाकृत स्वस्थ हुए हैं। अध्ययन प्राप्त 13 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों में शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम

आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट हुई है। आंकड़ों में इन सुधार के प्रत्यक्ष कारण बेहतर मातृ और बच्चों के स्वास्थ्य प्रयासों का होना जैसा कि स्तनपान, स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म, बेहतर टीकाकरण और दस्त की दवा का उपयोग करना है जबकि अप्रत्यक्ष कारणों में महिला साक्षरता, कम आयु में विवाह न होना, बेहतर खाना पकाने की सुविधा बढ़ना जैसे 'गैस', इस प्रकार लकड़ी या कोयले से चलने वाले स्टोव से स्वास्थ्य का जोखिम कम होना, और वित्तीय समावेशन शामिल है। बजट 2016-17 में वित्तमंत्री ने 'एकीकृत बाल विकास स्कीम (अम्ब्रेला आई.सी.डी.एस.) के मद में 16120 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारत में चल रही 'एकीकृत बाल विकास योजना' के तहत 6 साल तक की आयु के सभी बच्चे आते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसमें तीन साल तक के बच्चों की

**बजट 2016-17 में वित्तमंत्री ने एकीकृत बाल विकास योजना के मद में 16120 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारत में चल रही 'एकीकृत बाल विकास योजना' के तहत 6 साल तक की आयु के सभी बच्चे आते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसमें तीन साल तक के बच्चों की मांओं को और तीन से छह साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में पौष्टिक खाना मिलता है।**

मांओं को और तीन से छह साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में पौष्टिक खाना मिलता है। साथ ही बच्चों और मांओं का टीकाकरण और नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच, सफाई और स्कूल पूर्व की शिक्षा दी जाती है। वित्त मंत्री ने इस बार बजट में, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु 9700 करोड़ रु. आवंटित किए।

महिला एवं बाल स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक 'स्वच्छता' है। वित्त मंत्री ने वर्तमान बजट में 'स्वच्छ भारत अभियान' हेतु 11300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 2019 तक पांच वर्ष के भीतर देश को स्वच्छ बनाने के आह्वान के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके लिए खुले में शौच से मुक्ति आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा बच्चों के लिए कराए

गए रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रेन (आर.एस.ओ. सी. 2013-14) की रिपोर्ट यह बताती है कि कुपोषण मामलों में सुधार होने के मुख्य कारण खुले में शौच जाने वालों की संख्या में कमी है। छोटे बच्चों के कुपोषण की समस्या खुले में शौच से संबंधित है। जो बच्चे घरों में बने शौचालय का इस्तेमाल करते हैं उनमें कुपोषण के लक्षण कम देखे गए हैं। खुले में शौच करने वालों की संख्या 55 प्रतिशत से गिरकर 44.8 प्रतिशत यानि पूरे 10 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। जहां तक इस संदर्भ में महिलाओं का प्रश्न है खुले में शौच की प्रथा सशक्तीकरण की अवधारणा पर कुठराघात है। अध्ययन यह बताते हैं कि खुले में शौच से बीमारियां फैलने की बात से कम ज्यादा सभी परिचित हैं परंतु इस तथ्य से कम ही लोग परिचित हैं कि गर्भवती महिलाओं के साथ ही गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है। बीते दिनों एक अध्ययन के दौरान ओडिशा के दो जिले सुंदरगढ़ और तटीय क्षेत्र खुर्दा की 670 गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था से लेकर प्रसव के समय तक साफ सफाई और शौचालय की पहुंच से जुड़ी सूचनाओं को एकत्रित किया गया और पाया गया कि शौचालय प्रयोग करने वाली महिलाओं की तुलना में खुले में शौच करने वाली करीब दो तिहाई महिलाओं को प्रसव के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कारण समय से पूर्व बच्चे का जन्म, वजन कम होना, गर्भपात से लेकर पूर्व प्रसव जैसी दिक्कतें देखी गईं। स्वच्छता अभियान के महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर जो दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे वह अभी 'बजट विश्लेषण' करते समय महिला आधारित प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं है परंतु स्वच्छता अभियान को महिला हितैषी न मानना 'अज्ञानता' है।

महिला सशक्तीकरण 'शिक्षा' के साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। 'शिक्षा' का तात्पर्य आखर ज्ञान मात्र नहीं है। शिक्षा निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक स्वावलंबन और अधिकारों के प्रति जागरूकता का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे IV के तहत वर्ष 2015-16 के चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला सशक्तीकरण के बेहतर संकेत देखने को मिलते हैं और यकीनन इसमें महिलाओं का शिक्षित होना एक अहम वजह है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट



में महिलाओं को लेकर जो आंकड़े बताए गए हैं वे कहते हैं कि विपरीत हालात के बावजूद महिलाएं निजी और सार्वजनिक जीवन में लगातार आगे बढ़ रही हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 5 से 14 वर्ष की महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी है। गोवा में 89 प्रतिशत, सिक्किम में 86 प्रतिशत, हरियाणा में 75.4 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 59.4 प्रतिशत महिला साक्षरता दर रिकॉर्ड की गई। विकास अध्ययन के लिए ब्रिटेन स्थित संस्थान (आई.डी.एस.) द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार माताओं की शिक्षा और निर्णय लेने की उनकी क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। यह तथ्य पश्चिम बंगाल के संबंध से स्पष्ट है जहां महिला साक्षरता दर 50.8 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हुई एवं शिशु मृत्यु दर एवं पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर (यू 5 एम आर) में गिरावट हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने में असरदार तरक्की की है। यह अध्ययन यूनेस्को और एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट द्वारा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत पहले ही प्राथमिक स्कूल प्रवेश में लैंगिक समानता हासिल कर चुका है। बजट 2016-17 में वित्तमंत्री ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जो कि बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग की संयुक्त पहल है, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि स्वागत योग्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्विआयामी योजना है जिसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों को पढ़ाना है। बालिका शिक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साधन सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना संचालित है।

सरकार की चिंता का विषय स्कूल छोड़ती बच्चियां हैं। एक समाजसेवी संस्था ब्रेक थ्रू के सर्वे के अनुसार स्कूल जाती 50 प्रतिशत लड़कियां किसी न किसी रूप से यौन-उत्पीड़न का शिकार होती हैं। छोड़छाड़ की शिकार इन बच्चियों के मन में बचपन से ही भय घर कर जाता है। कई तो स्कूल तक छोड़ देती हैं। ब्रेक थ्रू ने यह सर्वे देश के छह राज्यों हरियाणा,

दिल्ली, बिहार, झारखंड, यूपी. और कर्नाटक की 900 युवा बच्चियों पर किया। इन बच्चियों ने माना कि छोड़छाड़ की 47 प्रतिशत वारदातें स्कूल जाते समय और 48 प्रतिशत स्कूल से आते समय होती हैं।

महिला सुरक्षा, सरकार की चिंता और चिंतन दोनों का ही विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराधों जैसे दुष्कर्म, हिंसा और दहेज हत्या में 11 प्रतिशत की दर से सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। 2015-16 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि, सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा, समर्थन और जागरूकता वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए, अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये मुहैया कराती है। इस घोषणा के उपरांत वन

**भारत पहले ही प्राथमिक स्कूल प्रवेश में लैंगिक समानता हासिल कर चुका है। बजट 2016-17 में वित्तमंत्री ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जो कि बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग की संयुक्त पहल है, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि स्वागत योग्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्विआयामी योजना है जिसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों को पढ़ाना है।**

स्टॉप सेंटर और महिला हैल्प लाइन का वित्त पोषण निर्भया निधि के जरिए किया गया है। अब तक इन दो योजनाओं में क्रमशः 10.71 करोड़ रुपये और 13.94 करोड़ रु. के व्यय की मंजूरी दी जा चुकी है। निर्भया निधि के प्रशासन और प्रचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। जिसमें सचिव, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं और ये सदस्य निर्भया निधि से वित्त पोषित किए जाने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं/परियोजना, प्रस्तावों

के मूल्यांकन का अनुमोदन करेंगे। सरकार ने इस वित्त वर्ष में भी महिलाओं के विरुद्ध घरेलू और यौन हिंसा की मदद के लिए 500 करोड़ रुपये, निर्भया फंड के लिए अनुमोदित किए हैं। गौरतलब तथ्य यह है कि चालू वित्त वर्ष के रेल बजट में भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रश्न को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए सवारी डिब्बों में मध्यम भाग को आरक्षित करने का प्रावधान रखा है। साथ ही अखिल भारतीय, चौबीसों घंटे चलने वाली हेल्पलाइन नंबर 182 एवं 311 रेलवे स्टेशन पर सीसी टी.वी. चौकसी की व्यवस्था की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने महिला सुरक्षा को 2016 में अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने दफ्तरों में यौन उत्पीड़न के मामलों में अधिक सख्ती बरतते हुए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। कार्यालयों में गठित अनुशासन समितियों को यौन उत्पीड़न के मामले में ढिलाई नहीं बरतने और जांच को हल्के में नहीं लेने की ताकीद की।

बजट 2016-17 में वित्तमंत्री ने महिलाओं के सशक्तीकरण के आधार स्तंभ, आर्थिक स्वावलंबन के लिए घोषणा की है जिसमें स्टैंडअप योजना प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगी तो मनरेगा अप्रत्यक्ष तौर पर। सरकार ने स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये दिए हैं। अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक संगठनों के सहयोग से एक नेशनल हब स्थापित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर बैंक शाखा से प्रत्येक श्रेणी के उद्यमियों को कम से कम दो परियोजनाओं में मदद दी जाएगी।

महिलाओं के लिए अब भी भारतीय समाज में चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या का करीब 48 प्रतिशत हैं लेकिन रोजगार में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 26 प्रतिशत की है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत ने विभिन्न नीतियां, योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं। सरकार ने नवंबर 2013 में अनन्य रूप से महिलाओं के लिए भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नामक बैंक स्थापित किया है। यह भारत में अपनी प्रकार का पहला बैंक है जो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए खोला गया है। इसमें

# स्त्री शक्ति पुरस्कार एवं नारी शक्ति पुरस्कार 2015

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार एवं नारी शक्ति पुरस्कारों का वितरण किया। इस वर्ष अलग-अलग समुदायों में जमीनी स्तर पर विशिष्ट एवं प्रतिबद्धतापूर्ण कार्यों के लिए महिलाओं को सम्मानित करने के लक्ष्य से जिला महिला सम्मान एवं राज्य महिला सम्मान भी शुरू किए गए हैं।

स्त्री शक्ति पुरस्कार के तहत प्रति वर्ष एक खास क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए छह महिलाओं को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार इसी वर्ष शुरू किए गए हैं। इसके तहत 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान को सम्मानित करने के लिए यह योजना शुरू की है।

सभी तबकों की महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पाद एवं सेवाएं अभिकल्पित और विकसित की गई हैं जिनमें स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमी, वेतनभोगी महिला, और कॉरपोरेट शामिल हैं।

देश की कुल 13 करोड़ महिलाओं की श्रम शक्ति में 10.02 करोड़ गांवों से संबंध रखती हैं। ऐसे उनके आर्थिक सुदृढीकरण के लिए सरकार 'स्वरोजगार' हेतु प्रयासरत है इसी दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका आरंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ, भी मददगार सिद्ध होगी। मुद्रा का पूरा नाम 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनंस एजेन्सी' है। मुद्रा बैंक की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर हुई है। मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। इस योजना में 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। ऐसे में वह महिलाएं जो स्वयं का छोटा व्यवसाय खोलना चाहती हैं, उनके लिए मुद्रा योजना मददगार सिद्ध होगी। अभी तक 2.07 लाख महिला उद्यमी इससे लाभ ले चुकी हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में मुद्रा योजना के लिए 1,80,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष (2016-17) में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून) 38500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले के मुकाबले 500 करोड़ रु. अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2015-16 में आवंटित को खर्च कर लिया गया है। मनरेगा ने भारतीय ग्रामीण समाज में परंपरागत रूप से व्याप्त गरीबी, कुपोषण तथा बेकारी की समस्या में कमी लाने की दिशा में कार्य किया है। यह योजना इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि अब लोगों में रोजगार की घुमंतू प्रवृत्ति पर रोक लगी है। मनरेगा महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015-16 में मनरेगा में अब तक 57 प्रतिशत

कामगार महिलाएं होने की बात सामने आई है।

विश्व बैंक के एक अध्ययन में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में तेज कमी दर्ज की गई। वर्ष 2004-05 से 2010-11 के बीच इसमें 12 से 14 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि कृषि से इतर और अपने आवास के आसपास उनके लिए रोजगार के सुरक्षित अवसर नहीं थे। कोई भी इस गिरावट की स्पष्ट वजह नहीं बता पाया पर यह तय है कि भारत में महिलाओं के प्रति कार्यस्थलों में संवेदनशीलता का अभाव है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन 'एसोचैम' ने वित्त मंत्री को इस संदर्भ में सुझाव दिया था कि पारिवारिक आय में योगदान के लिए अधिक महिलाएं नौकरी कर रही हैं। एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण ऐसी महिलाओं को छोटे बच्चों की देखभाल में मदद की जरूरत होती है इसलिए कार्यस्थलों पर क्रेच के लिए टैक्स छूट दी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता तो क्रेचों की संख्या में इजाफा होने की संभावना बढ़ जाती। विभिन्न अध्ययनों के आंकड़े यह बताते हैं कि मातृत्व और करियर के मध्य संघर्ष करती भारतीय महिलाएं, बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ देती हैं। औद्योगिक श्रम शक्ति में हिस्सेदारी करने के मामले में महिलाओं को इस कारण से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेशक जच्चा कल्याण अधिनियम 1961 के अंतर्गत महिला कर्मियों को की जाने वाली अदायगी को नियमित किया गया है लेकिन उद्योगों द्वारा इस अधिनियम का उपयोग बहुत ही कंजूसी से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 2012 में 84956 फैक्ट्रियों में केवल 2441 महिलाओं ने ही जच्चा को मिलने वाले लाभ हासिल किए। देशभर में केवल 3289 फैक्ट्रियों में ही क्रेच सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एसोचैम का यह भी सुझाव था कि कई प्रकार के कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही होते हैं। उन्हें एक निश्चित आयु के बाद विशेष

देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में इस दिशा में अलग से प्रावधान किए जाने चाहिए। अपेक्षाओं का पूरा न होना, निराश अवश्य करता है परंतु 2016-17 का केंद्रीय बजट, महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बशर्ते कि बजट में हुए प्रावधानों का, उनसे संबंधित विभागों द्वारा समय सीमा पर उपयोग कर सरकार के उद्देश्यों को पूरा किया जाए। □

## संदर्भ

1. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट- [finmin.nic.in/hindi/index.asp](http://finmin.nic.in/hindi/index.asp)
2. [indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/hbs.pdf](http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/hbs.pdf)
3. [indiabudget.nic.in/ub2016-17/impbud.pdf](http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/impbud.pdf)
4. [www.mea.gov.in/speeches-statements-hi.htm2dtl/23546](http://www.mea.gov.in/speeches-statements-hi.htm2dtl/23546)
5. [www.indianrailways.gov.in/railwayboard/...budget/Budget.../Railway\\_Bu...](http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/...budget/Budget.../Railway_Bu...)
6. [www.indiaspendhindi.com/cover-storey/भारतीय-मां-और-बच्चे-अब-तक-स](http://www.indiaspendhindi.com/cover-storey/भारतीय-मां-और-बच्चे-अब-तक-स)
7. Maharashtra's Child Stunting Dealines : What is Sriving Them? Findings of a multidisciplinary Analysis, written by Lawrence Haddad, Nick Nisbett, Inka Barnett, Elsa Valli, 2014
8. [www.ilo.org/global/research/global\\_reports/weso/2016/WCMS-443480/long-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/research/global_reports/weso/2016/WCMS-443480/long-en/index.htm)
9. [hindi.business-standard.com/storypage.Php?autono=114769](http://hindi.business-standard.com/storypage.Php?autono=114769)
10. [www.indiaspendhindi.com/cover-story/क्यों-है-कुपोषण-भारत-के-लिए](http://www.indiaspendhindi.com/cover-story/क्यों-है-कुपोषण-भारत-के-लिए)
11. <https://www.inbreakthrough.tv>
12. [www.dw.com/hi/महिला-सशक्तीकरण-के-दावों-से-टकराती-सच्चाई/a-18994158](http://www.dw.com/hi/महिला-सशक्तीकरण-के-दावों-से-टकराती-सच्चाई/a-18994158)
13. विश्व स्वास्थ्य संगठन की अधिकारिक वेबसाइट : [www.who.int/en/](http://www.who.int/en/)
14. संयुक्त राष्ट्र संगठन की अधिकारिक वेबसाइट : <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
15. [www.punjabkesar.in/news/article-351715](http://www.punjabkesar.in/news/article-351715)
16. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट [www.mpwed.in](http://www.mpwed.in)

## देश के स्वास्थ्य की ओर बढ़ते कदम

आदित्य अवस्थी  
पूजा मेहरोत्रा



किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश की जनता का स्वास्थ्य ठीक हो। उस देश की मां और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वस्थ मां ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, इसका अर्थ यह है कि बालपन में मानव पूंजी निवेश से हमारे कार्यक्रमों की कामयाबी जुड़ी है क्योंकि यही बच्चे भविष्य में स्वस्थता के लक्ष्य को पूरा करते हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब उसके नागरिकों के पास मूलभूत सुविधाएं हों

**वि**त्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में सामाजिक क्षेत्र और विशेष रूप से स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता निश्चय ही विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में एक स्वागत योग्य प्रयास है। यह आलेख बजट के इस पहलू पर केंद्रित है और सीमित स्थान और समय में इसमें दी गई सभी योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए चंद प्रमुख योजनाओं और उनके लिए किए गए प्रावधानों के आधार पर सरकार की इस क्षेत्र की नीतियों और योजनाओं के विचार को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

इन योजनाओं में प्रधानमंत्री की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसका एक उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र में रसोई गैस उपलब्ध कराने की योजना से सामने आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की उपलब्धता से कितने दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे इस पर एक नजर डाल लेते हैं। खाना बनाने के लिए अभी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं लकड़ी, उपले, कोयला और अन्य विभिन्न प्रकार के वेस्ट का उपयोग करती हैं। इस कारण उन्हें लगातार गहरे धुएं में काम करना पड़ता है। घरों में और सदस्यों के उपलब्ध नहीं होने पर उनकी गोद में पलने वाले और अपेक्षाकृत छोटे बच्चे भी इस धुएं के माहौल में लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर होते हैं जिससे अनेक बीमारियां होती हैं। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं कि चूल्हे के कारण महिला के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट के जितना धुआं जाता है, जिससे मां और बच्चों में आंख,

नाक, गले और फेफड़े की बीमारियां होना स्वाभाविक है। ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोड़ों परिवारों को इस से मुक्ति दिलानी है। इन बीमारियों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण ये परिणाम और भी घातक सिद्ध होते हैं।

रसोई गैस उपलब्ध होने के बाद जलावन जुटाने में खपत होने वाला समय बचाया जा सकेगा जिसका कि शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। इन ग्रामीण महिलाओं के हाथों और उंगलियों में इतनी तरह का हुनर होता है कि उसे बाजार तक पहुंचा दिया जाए तो वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से निपटने में मददगार हो सकती हैं। वहीं बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब जब कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है तो इसका लाभ इन महिलाओं को आसानी से मिल सकता है। इससे महिलाओं के सशक्तीकरण का रास्ता भी खुलता है।

यह तो रही एक योजना के दूरगामी प्रभावों की चर्चा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के ब्योरे और उनके प्रभाव भी कई प्रकार से नजर आते हैं। स्वास्थ्य के मद्देनजर वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य पर खास तीन अति महत्वपूर्ण योजनाएं पेश की हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि गंभीर बीमारियां अप्रत्याशित और बड़े खर्च का अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण होती हैं, जो प्रतिवर्ष लाखों परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाता है। परिवार के

आदित्य अवस्थी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में कार्यकारी निदेशक हैं। ईमेल: awasthiaditya@gmail.com  
पूजा मेहरोत्रा पत्रकार हैं। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों में सक्रिय रही हैं। ईमेल: poojamehrotra27@gmail.com

सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी भारी असर डालती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हिला देती है। ऐसे ही गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए सरकार एक नई *स्वास्थ्य सुरक्षा योजना* शुरू करेगी जिसमें प्रति परिवार 1 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने की योजना बनाई है। इस प्रस्तावित योजना के तहत ऐसे परिवार के 60 साल से अधिक आयु वाले बीमार लोगों को 30 हजार रुपए का अतिरिक्त टॉपअप पैकेज दिए जाने की घोषणा भी की गई है। यानी 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1 लाख 30 हजार रुपये तक का कवरेज इससे मिल सकेगा। इसके तहत एक मामूली प्रीमियम देकर गरीब व्यक्ति अपने पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर हासिल कर सकता है। पहले भी इससे मिलती जुलती योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसमें 50 हजार रुपये तक कवर दिया जाता था। इस साल इस योजना के लिए सरकार ने विशेष रूप से 20,037 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जबकि देश के स्वास्थ्य सुधार पर 39,533 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल यह राशि 33,152 करोड़ रुपए थी।

वित्तमंत्री ने साथ ही अपने भाषण में कहा कि किफायती कीमतों पर स्तरीय औषधियां बनाना एक मुख्य चुनौती रही है और सरकार जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति बढ़ाएगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री की *जनऔषधि योजना* के तहत 2016-17 के दौरान तीन हजार स्टोर खोले जाने की घोषणा की है। फिलहाल देश में सस्ती दवाएं बेचने वाली 137 दुकानें मौजूद हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्रावधानों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है। देश में गुर्दे की बीमारियों के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने *राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम* की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। वित्तमंत्री ने कहा, “भारत में प्रति वर्ष गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच चुके 2.2 लाख नए रोगियों की बढ़ोतरी हो रही है। इसके

परिणाम स्वरूप 3.4 करोड़ डायलिसिस सत्रों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है।” फिलहाल, ‘भारत में लगभग 4950 डायलिसिस केंद्र हैं जो मुख्यतः निजी क्षेत्र और प्रमुख नगरों और महानगरों तक में ही सीमित हैं। इस वजह से केवल आधी मांग की ही पूर्ति हो पाती है। इसके अलावा प्रत्येक डायलिसिस सत्र के लिए लगभग 2000 रुपये का खर्च आता है जो प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से अधिक बैठता है। चूंकि डायलिसिस सेवाओं के लिए अधिकतर परिवारों को अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई-कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं जिनसे यात्राओं पर भारी खर्च होता है। ऐसी स्थिति का समाधान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करने का भी प्रस्ताव पारित किया

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

तीन साल पहले 2013 में शुरू की गई योजना एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। जिसका मकसद वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। जिसमें शहर और गांव दोनों के स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं। पिछले साल इस योजना के तहत 18000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था जबकि इस वर्ष इसे बढ़ाकर 20,037 करोड़ कर दिया गया है। दिल्ली एम्स को 537 करोड़ रुपये मिलेंगे। दूर दराज क्षेत्रों से आए मरीजों के इलाज में फायदा होगा।

है। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी निजी भागीदारी मोड (पीपीपी) के जरिये निधियां उपलब्ध कराए जाने की भी योजना पेश की है। इसकी लागत कम करने के लिए डायलिसिस उपकरणों के कुछ हिस्से पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क, उत्पाद-सीवीडी और एसएडी की छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश की जनता का स्वास्थ्य ठीक हो। उस देश की मां और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वस्थ मां ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, इसका अर्थ यह है कि बालपन में मानव पूंजी निवेश से हमारे कार्यक्रमों की कामयाबी जुड़ी है क्योंकि यही बच्चे भविष्य

में स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करते हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब उसके नागरिकों के पास मूलभूत सुविधाएं हों। चूंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यहां की 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, भारत के लगभग 1.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं, इसलिए आज भी देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा स्वास्थ्य है। आजादी के 70 वर्ष पूरे होने को हैं और आज भी आबादी का बड़ा हिस्सा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है।

## कुपोषण और खून की कमी

गरीबी अपने आप में बेहतर स्वास्थ्य की पहुंच में बाधक साबित होती रही है। वहीं देशभर में जहरीले व गंदे पानी की समस्या, स्वच्छता, पोषण और पर्यावरण भी देश को बीमार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मातृत्व पोषाहार, स्वच्छता और बदलते सामाजिक नियम में इनका असर भारत की आबादी में व्यापक रूप से असर छोड़ सकता है। आर्थिक विकास के लिहाज से भारत में नवजात मृत्यु दर का स्तर सबसे ऊपर है। वास्तव में 70 फीसदी नवजात शिशुओं की मृत्यु पहले महीने में ही हो जाती है। इसका मुख्य कारण जन्म के समय बच्चों का वजन कम होना है। शोध और आंकड़े बताते हैं कि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में 42.2 प्रतिशत भारतीय महिलाओं का वजन भी कम होता है।


भारत में खून की कमी या एनीमिया बहुत आम बीमारी है। देश में 6 से 59 माह की आयु वर्ग में हर दस में सात बच्चे 69.51 प्रतिशत खून की कमी का शिकार हैं। इनमें से चालीस प्रतिशत बच्चे मामूली तौर पर और तीन प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, युवतियां व बच्चे एनीमिया से ज्यादा पीड़ित हैं। एनएफएचएस के दूसरे सर्वे से तीसरे सर्वे में एनीमिया 74 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत पाया गया था। मध्यप्रदेश की तस्वीर इस मामले में और भी बदतर है। प्रदेश में 74 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। प्रत्येक दस में से आठ गर्भवती महिलाएं खून की कमी से संघर्ष करती हैं। मां में खून की कमी का प्रभाव उनकी संतान पर सीधे रूप से पड़ता है। सर्वे में पाया गया

है कि जिन महिलाओं को एनीमिया था उनमें से 544 प्रतिशत शिशुओं में भी खून की कमी थी। मध्यप्रदेश बिहार के बाद दूसरा राज्य है जहां बच्चों में सबसे ज्यादा एनीमिया है। किशोरी युवतियों में भी यह एक गंभीर बीमारी है, यहां हर दस में से छह युवतियां एनीमिया की शिकार हैं।

मानव अधिकारों पर जारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र (1949) की धारा-25 हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को मान्यता देती है। राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही आईसीडीएस और मिड डे मील के जरिए बच्चों को पोषण सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यह विषय विवाद रहित है कि स्वास्थ्य और शिक्षा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ईएफए वैश्विक रिपोर्ट 2015 में यह कहते हुए कि उत्तरजीविता और पोषण में कुछ प्रगति हुई है लेकिन देखभाल अभी भी खस्ताहाल है। इस रिपोर्ट में संतोष और चिंता का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 और 2013 के बीच बाल मृत्यु दर में कमी आई है और यह प्रति एक हजार जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में 90 से गिरकर 46 हो गई है। फिर भी 2000 में तय किए गए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाल मृत्यु दर में 50 फीसदी की गिरावट काफी नहीं है।

भारत में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ नए बच्चों का जन्म होता है। यानि भारत विश्व में सबसे अधिक बच्चों का देश है जहां विश्व का हर पांचवां बच्चा भारत में रहता है। भारत सरकार के अनेकों स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बावजूद विश्व के 40 फीसदी कुपोषित बच्चे भारत में हैं यहां हर वर्ष 25 लाख बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं।

वर्तमान समय में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 1.2 फीसदी ही प्रतिवर्ष खर्च



ग्राफिक: [www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in)

करती है जो दुनिया भर के देशों में सबसे कम है। यहां तक अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्रों में भी यह प्रतिशत 1.7 फीसदी है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय के लिए 650 करोड़, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 1330 करोड़, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 843 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और कुल स्वास्थ्य आयोजना 37061.55 करोड़ रुपये की बनाई गई है।

### आर्थिक सर्वेक्षण: बच्चों व माताओं पर ध्यान

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में भारत में बच्चों की लंबी उम्र को लेकर समीक्षा में तीन बिंदुओं पर जोर दिया गया है- ग्रामीण

और शहरी भारत में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। 2013-14 में बच्चों पर हुए सर्वेक्षण में औसत लंबे बच्चों को शामिल किया गया और 2005-06 के दौरान हुए सर्वेक्षण से इसकी तुलना की गई। ग्रामीण और शहरी बच्चों की ऊंचाई के अंतर पर भी प्रकाश डाला गया है। भारत में दो मानक आधारों से हटते हुए प्रगति के बावजूद नकारात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमारे बच्चे औसतन 2 मानक आधारों के लिहाज से औसत से छोटे हैं।

आर्थिक विकास के लिहाज से भारत में नवजात मृत्यु-दर का स्तर ऊपर है। वास्तव में, 70 प्रतिशत नवजात शिशुओं की मृत्यु जन्म के पहले माह में ही हो जाती है। इसका मुख्य कारण जन्म के समय बच्चों का वजन कम होना है। आंकड़ों से पता चलता है कि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में 42.2 प्रतिशत भारतीय महिलाओं का वजन कम होता है। इसके विपरीत, 35 प्रतिशत उन महिलाओं का भी वजन कम होता है जो गर्भाधारण योग्य नहीं होती हैं। गर्भावस्था के प्रारंभ में भारतीय महिलाएं सिर्फ दुबली-पतली ही नहीं बल्कि गर्भावस्था के दौरान उनका वजन भी नहीं बढ़ पाता, इससे गर्भावस्था के पूर्व उनके शारीरिक

### तंबाकू पर टैक्स

तंबाकू स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माना गया है। विशेषज्ञ और चिकित्सक तंबाकू के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रहे हैं। इस बजट में सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने में कोताही बरती है। उत्पाद शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी तो

किया गया है लेकिन अभी देश में तंबाकू उत्पादों पर कर कुल 57 फीसदी तक है जबकि डब्ल्यूएचओ ने इसे 70 फीसदी तक बढ़ाने की सिफारिश की है। सिगरेट व सिगार पर तो बढ़ोतरी की गई है लेकिन बीड़ी को इस बढ़ोतरी से दूर रखा जाना चौंकाता है।

# महिला स्वास्थ्य के लिए 'उज्वला' को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्वला योजना को अपनी अनुमति दे दी है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योग्य बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में किया जाएगा।

इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धनतम परिवारों की करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली

योजना का कार्यान्वयन करेगा। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में खाना पकाने की गैस की पहुंच सभी लोगों तक संभव होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इससे खाना बनाने में लगने वाले समय और कठिन परिश्रम को कम करने में भी सहायता मिलेगी। योजना से खाना पकाने की गैस के वितरण में कार्यरत ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा।

इस दिशा में वित्त मंत्री ने 29.02.2016 को बजट भाषण में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2000 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। इसके साथ ही बजट में 5 करोड़ परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए योजना को दो ओर वर्ष तक लागू रखने की घोषणा भी की गई।

वजन में कमी की क्षतिपूर्ति हो सके। भारतीय महिलाओं का गर्भावस्था के दौरान लगभग 7 किलोग्राम वजन बढ़ पाता है जो कम वजन वाली महिलाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महिलाओं के वजन के संबंध में की गई सिफारिशों को देखते हुए साढ़े 12 से 18 किलोग्राम कम है।

माताओं के खराब स्वास्थ्य का एक और कारण यह है कि संयुक्त परिवारों में युवा महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की होती है। इसी कारण पता चलता है कि बड़ी उम्र के पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं का वजन अपेक्षा से कम होने की दर बहुत ज्यादा है।

माताओं के स्वास्थ्य की मदद में निवेश करना सरकार की नीतिगत सर्वोच्च प्राथमिकता बन सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में गर्भवती महिलाओं को कम से कम 6 हजार रुपये की नकदी देने संबंधी कानून बनाया गया है। यह कार्यक्रम गर्भावस्था के दौरान पोषण सुधारने का अच्छा अवसर है जिससे शहरी और ग्रामीण महिलाएं तथा मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों की महिलाएं प्रभावित होती हैं।

समीक्षा में इस तथ्य को चिन्हित किया गया कि भारत में खुले में शौच करना प्रारंभिक जीवन की एक समस्या है। डब्ल्यूएचओ तथा यूनिसेफ के संयुक्त मॉनीटरिंग कार्यक्रम के अनुसार अनुमान है कि उप-सहारा अफ्रीका में ग्रामीणों के केवल 32 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015 में 61 प्रतिशत ग्रामीण भारतीय खुले में शौच करते हैं। खुले में शौच करने से

वातावरण में कीटाणु फैलते हैं। इस कारण बढ़ते बच्चों में बीमारी पैदा होती है। ऐसी बीमारियों में एक बीमारी डायरिया है जो बढ़ते बच्चों के भोजन को संक्रमित करती है। समीक्षा में ये सभी साक्ष्य प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के व्यापक महत्व की ओर इशारा करते हैं। यह भारत में खुले में शौच की बढ़ती समस्या की

**इस वर्ष आयुष मंत्रालय के लिए 650 करोड़, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 1330 करोड़, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 843 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और कुल स्वास्थ्य आयोजना 37061.55 करोड़ रुपये की बनाई गई है।**

एक बानगी है और इसे तेजी से समाप्त करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। केवल पिछले ही वर्ष में सरकार ने 80 लाख से अधिक शौचालय बनाए। स्तनपान के उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे राज्यों द्वारा कुछ निवेश तुलनात्मक रूप से कम अवधि में बदलते हुए मानदंडों में बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं। सरकार की कार्रवाई ने उन माताओं की आबादी को ठीक से बढ़ाया है जो जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान अपने बच्चों को सिर्फ स्तनपान ही कराती हैं। ऐसा जननी सुरक्षा योजना और आंगनबाड़ी कार्यक्रमों के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास योजना जैसी अन्य स्कीमों के कारण संभव हुआ है। स्तनपान कराने वाली उन जच्चाओं का अनुपात अब बेहतर होकर 62 प्रतिशत पहुंच गया है।

भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर नागरिकों को वहनीय, समान पहुंच के भीतर तथा गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ग्यारहवीं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबों व उपेक्षित लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सबके लिए स्वास्थ्य पर उच्चस्तरीय विशेष समूह ने स्वास्थ्य पर जीडीपी के 1.2 फीसदी की बजाए 2.5 फीसदी खर्च करने की पेशकश की थी।

## बजट और समय पर विचार

सरकार देश के स्वास्थ्य पर कई कई योजनाएं तो चला रही है.. हर वर्ष कई और योजनाएं और जुड़ जाती हैं। स्वास्थ्य के कुछ मामलों में मामूली सुधार होता हुआ भी दीख रहा है लेकिन यह पर्याप्त नहीं प्रतीत होता है। भारत जिस तेजी से विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है उसे उसी तेजी से अपने नागरिकों के लिए उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी होगी। जो योजनाएं सरकार पेश कर रही है उसे तय समय पर लागू करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। □

## संदर्भ

1. बजट भाषण-2016-17
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट स्वागत भाषण
3. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015-16
4. प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो की 26 फरवरी को स्वास्थ्य पर जारी रिलीज

# किसान केंद्रित बजट में डिजिटल साक्षरता का महत्व

अमित कुमार सिंह



भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2015-16 में 7.6% की बढ़त दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 'धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक उज्वल बिंदु' के रूप में बताया। भारत सरकार द्वारा भारत हेतु की गई संकल्पना के बिना भारत इस 'उज्वल बिंदु' के रूप में नहीं उभर सकता था। मौजूदा बजट भारत सरकार की महत्वाकांक्षी संकल्पना की वृहत परियोजना का अबाध संकलन है जिसके केंद्र में भारत का नागरिक है। भारत की ऐसी परिकल्पना जहां कुशल, सक्षम, साक्षर और सुदृढ़ नागरिकों का निर्माण हो। कृषक भारत का आम नागरिक नहीं अपितु भारत की आधारशिला है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के नए आयाम नागरिक विकास की बहुआयामी परियोजनाओं को मूर्त रूप में लाने में कारगर सिद्ध होंगे। मौजूदा बजट में कृषक को सभी निर्माणों के मध्य में रखा गया है

**इं** फार्मेशन या सूचना शब्द का सृजन फॉर्म से हुआ है जिसके जड़ में ग्रीक शब्द फोर्मे अथवा एइडोस हैं। सूचना प्रकृति के मूल में हैं और हम आज ये समझ सकते हैं की सारा जीवन चक्र सूचना के रूप में हमारे डीएनए में मौजूद है, यह सूचना मूल में है और भिन्न सूचनाओं में बदल हमारे जीवन चक्र को चलाती है। मानव ने जब से सभ्यता बनी है प्रकृति के मूलांश को समझा है और उसे अपनी सभ्यताओं को बनाने एवं विकसित करने में इस्तेमाल किया है। सूचना के वृहत इस्तेमाल के प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से मिलते हैं और भारतीय सभ्यता में कई दर्शन केवल सूचना के मूल को समझने के लिए विकसित किए गए जैसे कि सांख्य दर्शन।

सूचना के क्षेत्र में इस सदी में जो विकास हुआ है वो अप्रतिम है और इस नए दौर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने नए आयाम स्थापित किए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के ये आयाम कई तरीके से नवीन हैं जैसे की एक तरफ तो ये हमारी वैज्ञानिक समझ के आधार पर विकसित होते हैं, वहीं ये हमारी समस्याएं सुलझाते हैं और अब ये प्रकृति का भी अनुकरण कर रहे हैं।

## राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

केंद्रीय बजट में पहली बार डिजिटल साक्षरता घटक को औपचारिक रूप से स्थान दिया गया है। कृषक समुदाय के डिजिटली साक्षर होने से होने वाले फायदों का विवरण आलेख में आगे सविस्तर दिया जा रहा है। इतना तो तय है कि सूचना क्रांति के इस युग में किसान डिजिटल साक्षर हो तभी वह अपने


श्रम का फायदा शेष दुनिया से कदमताल के साथ उठा पाएगा।

डिजिटल साक्षरता को कंप्यूटर, टेबलेट पीसी, स्मार्टफोन आदि डिजिटल उपकरणों के सहज उपयोग एवं देख रेख से जोड़कर देखा जा सकता है। मौजूदा समय में इन उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल भी डिजिटल साक्षरता का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि भारत के 16.8 करोड़ ग्रामीण घरों में से 12 करोड़ घरों में कंप्यूटर नहीं हैं इसलिए ग्रामीण जन को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए नए तरीके तलाशने होंगे। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के केंद्र में भारत के किसान को रखा है। बजट 2016-17 में इस मिशन को प्रस्तावित किया गया जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में ग्रामीण भारत के 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को डिजिटल साक्षर करने का प्रस्ताव रखा है।

डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) या राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) के अंतर्गत प्रारंभिक दौर में आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा कर्मियों और अधिकृत राशन विक्रेताओं को आईटी साक्षर बनाया जाएगा ताकि वो नए दौर की सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लाभ आम ग्रामीण तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। प्रशिक्षण के पहले स्तर में व्यक्ति को आईटी साक्षर बनाने तथा उसे कंप्यूटर एवं डिजिटल उपकरण चलाने, ई-मेल भेजने और उसे ग्रहण करने तथा इंटरनेट चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण में आईटी साक्षरता को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सक्रिय और प्रभावी ढंग से लोकतांत्रिक और विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम हो सकें और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा अपनी

लेखक सूचना, संचार प्रौद्योगिकी पेटेंट के विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय से एम. फिल कर चुके हैं। संप्रति विधिक फर्म लेक्स देल्ही के प्रमुख हैं। संचार विषय पर अध्ययन में गहरी रुचि है। ईमेल: amitk.singh@outlook.com, वेबसाइट: www.lexdelhi.com

## आरेख 1: ग्रामीण भारत में इंटरनेट एक्सेस बिंदु



(स्रोत: KMPG-FICCI M&E इंडस्ट्री रिपोर्ट 2014)

आजीविका में वृद्धि कर सकें, वर्तमान समय में भारत में इंटरनेट से जुड़ाव को जानने के लिए आरेख-1 देखें। भारत सरकार इंटरनेट को जन जन तक पहुंचाना चाहती है और ग्रामीण भारत इस प्रयास के केंद्र में है।

मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य नए उपकरण जोकि इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मोबाइल की पहुंच को भारत में मोबाइल की बढ़ती संख्या से अनुमानित किया जा सकता है, जो कि अगले वर्ष के अंत तक दोगुनी होने वाली है। (आरेख-2)। इस संख्या में लगभग आधी संख्या ऐसी है जो इंटरनेट एक्सेस के लिए केवल मोबाइल पर निर्भर है। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती संख्या इस बात की बानगी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंटरनेट यूजर संख्या भारत में बसती है और यह लगातार बढ़ रही है।

भारत सरकार इस प्रगति को विकास की गति से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया को हर व्यक्ति विशेष को सुलभ कराना चाहती है। कृषक इस दृष्टि के मध्य में हैं। सरकार ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है जो कृषि को सुगम कर सके जैसे कि ऐसे एप जो बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों, बेहतर उपज की प्रजातियों, बेहतर जानवरों आदि की रियल टाइम में जानकारी दे सकें। क्लाउड कंप्यूटिंग-एप और देशव्यापी ब्रॉडबैंड की मदद से किसान घर बैठे-बैठे अपने खेत की जानकारी ले सकेगा। सिंचाई संयंत्रों को न्यूनतम लागत से

स्वचालित कर सकेगा। इन नए माध्यमों से अपने मवेशियों को कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से न केवल देख पाएगा बल्कि स्वचालित मशीनों से ज़रूरी ध्यान भी रख पाएगा। नई तकनीकें न केवल कृषि आदि के लिए लाभप्रद होंगी बल्कि किसान के पूरे जीवन में नए बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं जैसे बटन दबाते ही बैंक से ऋण, किसान क्रेडिट

कार्ड की भुगतान, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ आदि। किसान इन नए माध्यमों से अपनी कई समस्याएं सुलझा सकेगा।

## राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना और डिजिटल इंडिया

विकसित देशों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी को अब विज्ञान एवं दर्शन से बढ़ कर एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के तौर पर विकसित किया जा रहा है। सूचना हाइवे अथवा ब्रॉडबैंड हाइवे इस सूचना बुनियादी ढांचे के मूल में है। भारत में इस की शुरुआत नब्बे के दशक में हुई थी ताकि भारत के नागरिकों को सुविधाएं सुगमता से मुहैया कराई जा सकें। 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का शिलान्यास हुआ। विभिन्न क्षेत्रों हेतु 31 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सीमित सफलताओं के बावजूद भिन्न कारणों से इन परियोजनाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। भारत को जोड़ने, विकास को नई गति देने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 1 अगस्त 2015 को डिजिटल इंडिया नामक बहुआयामी एवं महत्वाकांक्षी पहल को हरी झंडी दी थी। डिजिटल इंडिया कुशल भारत एवं कौशल भारत के सपने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।

डिजिटल इंडिया न केवल क्षमता निर्माण वरन क्षमता विस्तार में भी मुख्य सहभागी के रूप में उभरेगा।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की पहल है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के नागरिक को सरकारी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हों। भारत सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं को 'ऑनलाइन' अथवा सर्वदा उपलब्ध कराना चाहती है। यह सुगमता एवं सर्वदा उपलब्धता बुनियादी ढांचे में सुधार के बिना संभव नहीं है।


## अब तक की प्रगति

डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने हेतु गत वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इसे भारत नेट का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत 7.5 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर जाल बिछाया जा रहा है। जनवरी 2016 तक 111, 645 कि.मी. पर्मानेंटली ल्यूब्रिकेटेड हाई डेन्सिटी पाईप बिछाई जा चुकी है। इन पाइपों के बिना ऑप्टिकल फाइबर केबल को नहीं बिछाया जा सकता। लगभग एक वर्ष में 82, 500 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है।

इसे बिछाने हेतु बनी समिति की रिपोर्ट के बाद तीन समितियों का गठन किया गया जिन्हें निर्देशित कार्य निम्नलिखित थे:

i) ऑप्टिकल फाइबर बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का आकलन करना और फाइबर पूलिंग की संभावनाओं की तलाश करना ताकि

## आरेख 2: भारत में मोबाइल इंटरनेट (करोड़ में)



(स्रोत: Internet and Mobile Association of India (IAMAI) रिपोर्ट 2014, KMPG-FICCI M&E इंडस्ट्री रिपोर्ट 2015)



उपलब्ध फाइबर बुनियादी ढांचों को एक राष्ट्रीय इकाई के बुनियादी ढांचे में सम्मिलित किया जा सके।

ii) वित्त पोषण की अभिनव पद्धतियों का निर्माण एवं उपलब्ध पद्धतियों का अध्ययन ताकि भारत नेट परियोजना को आगे ले जाया जा सके। इसे एक ऐसी परियोजना का रूप दिया जा सके जो वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो।

iii) भारत नेट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकल्पों आकलन/उपयुक्त की सिफारिश करना ताकि एक विश्वसनीय, सुरक्षित, लागत प्रभावी और कुशल नेटवर्क स्थापित किया जा सके। एक ऐसा नेटवर्क जो बदलते समय की बदलती जरूरतों के साथ बदल सके।

एनओएफएन पर समिति के साथ उपरोक्त समितियों ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन रिपोर्टों के आधार पर भारत नेट के कार्यान्वयन के लिए एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया जा रहा है जो जल्दी ही दूरसंचार आयोग के समक्ष चर्चा एवं विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में डिजिटल डिवाइड को पाटने की अद्वितीय क्षमता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा सकारात्मक अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में रोजगार और उत्पादकता के नए मौके गढ़ने की क्षमता है और इसलिए भारत सरकार इसे नागरिक केंद्रित कर विकसित कर रही है। भारत का नागरिक गांव में बसता है और ग्रामीण परिवेश का नागरिक किसी न किसी तरीके से कृषि से संबंध रखता है। अगर भारत को सुदृढ़ बनाना है तो किसान को मध्य में रखना ही होगा। डिजिटल इंडिया की बहुआयामी परियोजना में किसान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो कि बजट के प्रावधानों में साफ-साफ दिखता है।

## डिजिटल इंडिया और ग्रामीण भारत

देश में लगभग 55,000 ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं है। सुदूर इलाकों में ये समस्या ज्यादा बढ़ी है। पूर्वोत्तर राज्य इस के मुख्य उदाहरण हैं। इन गांवों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। दूरसंचार आयोग की देख रेख में इस परियोजना को 2014-2018 के बीच साकार किया जाएगा जिसमें भारत सरकार पर लगभग 16000 करोड़ का खर्च आएगा।

डिजिटल इंडिया के केंद्र में भारतीय नागरिक

हैं क्योंकि भारत गांव में बसता है और किसान भारत के आधार स्तंभ। अतः डिजिटल इंडिया में गांव और किसान को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस परियोजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक मुख्य उद्देश्य उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का है। इस पहल में 2.5 लाख गांव को हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड एवं फोन से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत गांवों में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के 585 किसान बाजारों से जोड़ने की योजना है। भारत सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो यह जरूरी है कि इसका लाभ भारत की आधारशिला (किसान) को मिले। डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य केवल सूचना तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य सूचना के द्वारा नए द्वार खोलने का है। यह एक दूरगामी एवं दूरदर्शी परियोजना

**डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य केवल सूचना तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य सूचना के द्वारा नए द्वार खोलने का है। यह एक दूरगामी एवं दूरदर्शी परियोजना है जिसमें भारत सरकार की अन्य परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा और उनका कंप्यूटरीकरण होगा ताकि सुविधाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। डिजिटल इंडिया की सहायता से इन परियोजनाओं को जोड़ा जा सकेगा।**

है जिसमें भारत सरकार की अन्य परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा और उनका कंप्यूटरीकरण होगा ताकि सुविधाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। डिजिटल इंडिया की सहायता से इन परियोजनाओं को जोड़ा जा सकेगा।

## कृषि पद्धतियां और डिजिटल इंडिया

भारत में कृषि चिरकाल से विकसित होती आई है। भारत की कृषि पद्धतियों का विकास वैज्ञानिक है। इस क्रमिक विकास में अनाजों की समझ, जलवायु एवं उसके बदलाव का ज्ञान, कृषि यंत्रों का आविष्कार एवं विकास शामिल है। कृषि यंत्रों में देशी हल का आविष्कार ईसा से 2,900 वर्ष पूर्व हुआ था। ईसा से लगभग 2,300 वर्ष पूर्व खेती करने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, जौ, सरसों, उड़द,

मूंग, मसूर, कपास, रागी आदि का चयन और उनकी खेती का पता चलता है। सभ्यता के साथ अगर इन अनाजों के विकास के साथ देखें तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, इन घास-परिवार वाली सभी फसलों की खेती उनकी गुणवत्ता और प्रतिकूल/अनुकूल जलवायु में खेती करने की सफलता पर निर्भर रही है और भारतीय कृषि के क्रमिक विकास में इन की एक समझ विकसित हुई।

गांव अगर परस्पर जुड़े हैं तो किसानों के पारंपरिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा और इस ज्ञान के प्रसार से कृषि संवर्धित होगी। भारत सरकार ने गत वर्ष परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की ताकि किसानों के पारंपरिक ज्ञान को न केवल सहेजा जा सके बल्कि इसे मुख्य धारा से जोड़कर भारतीय कृषि को आगे ले जाया जाए। परंपरागत कृषि विकास योजना में जैविक कृषि पर भी बल दिया गया है। इस बजट में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम की शुरुआत के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

आधुनिक कृषि पद्धतियां अगर पारंपरिक कृषि के साथ समन्वय कर इस्तेमाल में लाई जाएं तो इस से दोहरा लाभ होगा। इस ज्ञान के योग से न केवल पैदावार बढ़ेगी और किसान की सम्पन्नता बढ़ेगी बल्कि साथ के साथ प्रकृति को होने वाले नुकसान भी कम होते जाएंगे। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत वैज्ञानिक पद्धति से मिट्टी की जांच एवं मिट्टी के अनुरूप पारंपरिक खेती जिसमें वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, की वकालत की गई। इस योजना के तहत मिट्टी की न केवल जांच बल्कि सामयिक सूचना एकत्रित करने का सुझाव है ताकि भविष्य के लिए बहुउपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सके, खेती को सुधारा जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना केंद्रित नक्शा बनाया जा सके। जहां धरती पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अन्य जुड़े माध्यमों के साथ द्रुत गति से सूचना के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वहीं भारत के उपग्रह अंतरिक्ष से इस कार्य को पूरक स्थिति तक ले जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जीपीएस, जीआईएम और रिमोट सेंसिंग की मदद से कृषि के विस्तृत विकास को क्रियान्वित किया जा सकेगा और किया जा रहा है।

एनओएफएन के साथ जीपीएस, जीआईएम और रिमोट सेंसिंग अन्य नेटवर्क संसाधनों की सिंचाई में भी मददगार होंगे जैसे कि किसान कहीं भी बैठकर जल बहाव की दिशा निर्देशित कर सकता है। दूर बैठकर अपने खेत और फसल को सींच सकता है। पानी जैसे बहुमूल्य संसाधन को बचाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया गया। “पर ड्रॉप, मोर क्रॉप” के कृषि वैज्ञानिक दर्शन के आधार पर लघु सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बचाया जा सके। भूजल के स्थाई अनुरक्षण हेतु 6000 करोड़ आवन्तित किए गए हैं। जल स्रोतों के बेहतर संरक्षण एवं दोहन हेतु भी नई तकनीकें कारगर सिद्ध होंगी।

### बाज़ार, किसान और डिजिटल इंडिया

किसानों को सही बाज़ार मूल्य न मिल पाना शुरू से एक समस्या रही है। भारतीय किसान मेहनती वर्ग है पर उसकी मेहनत का मेहनताना बिचौलियों के हाथ चला जाता था। जब किसान इंटरनेट से जुड़ जाएंगे तब उन्हें अपनी उपज की कीमत की जानकारी सही समय पर मिल जाएगी। इससे बिचौलियों की समस्या का समाधान होगा, किसान की जेब में पैसा आएगा वो अपनी तकनीकों को परिष्कृत कर सकेगा और नई तकनीकें सीख सकेगा कृषि को और बेहतर कर न केवल देश की खाद्यान्न की समस्या का निवारण कर सकेगा बल्कि खुद को भी समृद्ध कर सकेगा।

भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (एनएएम) योजना डिजिटल इंडिया का ही आयाम है जिसे कृषि प्रौद्योगिकी विकास निधि माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस कार्य को 2015-16 से 2017-18 के बीच पूरा किया जाना है। इस निधि में सरकार ने 200 करोड़ आवन्तित किए हैं। इस योजना के तहत एक ई-मार्केट प्लेटफार्म की स्थापना की जाएगी जिसे 2018 तक पूरे देश से चुने हुए 585 विनियमित थोक मंडी, बाज़ारों के लिए खोला जाएगा। भारत सरकार का कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सॉफ्टवेयर का खर्च वहन कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरत के हिसाब से बदलाव के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सभी शामिल मंडी, बाज़ारों को ई-मार्केट प्लेटफार्म में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी हेतु 30 लाख की राशि उपलब्ध कराएगा। इस प्लेटफार्म

के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं जैसे: i) पूरे राज्य में वैध एक समान लाइसेंस, ii) पूरे राज्य में समान बाज़ार कर वाले एकल बिंदु में प्रवेश और iii) ऐसे प्रावधान जिन से मोड प्राइस रिकवरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक नीलामी हो सके। जिन राज्यों ने इन न्यूनतम शर्तों को माना है और पूरा किया है उन्हीं को इस प्लेटफार्म में शामिल किया जाएगा। कृषि उपज बाज़ार समितियों को जोड़ने की कवायद जारी है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। फार्मर्स पोर्टल (अभी केवल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध, बाकी भाषाओं में विकसित किया जा रहा है) की स्थापना इन्हीं दिशाओं में एक जरूरी पहल है। इस पर न केवल बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी, इत्यादि बल्कि कृषि ऋण, कृषि बीमा, किसान क्रेडिट, बाज़ार भाव आदि भी ‘रियल टाइम’ में उपलब्ध कराए गए हैं।

भारत सरकार ने इस बजट में चार डेयरी परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ आवन्तित किए हैं- ‘पशुधन संजीवनी’, ‘नकुल स्वास्थ्य पात्र’, ‘ई-पशुधन हाट’ और स्वदेशी नस्लों के विकास एवं परिरक्षण हेतु ‘राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र’। इन सभी परियोजनाओं में भारत नेट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डिजिटल इंडिया की स्थापना एवं विकास से कई कृषि से जुड़ी सेवाएं बेहतर हो सकेंगी और नई सेवाएं स्थापित की जा सकेंगी। इसके लिए जरूरत होगी तो केवल नेटवर्क से जोड़ने वाले उपकरणों की जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टैब, इत्यादि।

### निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2015-16 में 7.6% की बढ़त दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को ‘धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक उज्वल बिंदु’ के रूप में बताया। भारत सरकार द्वारा भारत हेतु की गई संकल्पना के बिना भारत इस ‘उज्वल बिंदु’ के रूप में नहीं उभर सकता था। मौजूदा बजट भारत सरकार की महत्वाकांक्षी संकल्पना की वृहत परियोजना का अबाध संकलन है जिसके केंद्र में भारत का नागरिक है। भारत की ऐसी परिकल्पना जहां कुशल, सक्षम, साक्षर और सुदृढ़ नागरिकों का निर्माण हो। कृषक भारत का आम नागरिक नहीं अपितु भारत की आधारशिला है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के नए आयाम नागरिक विकास के बहुआयामी परियोजनाओं को मूर्त रूप में लाने में कारगर

सिद्ध होंगे। मौजूदा बजट में कृषक को सभी निर्माणों के मध्य में रखा गया है। जहां भारत नेट एक ओर सूचना राज मार्ग के रूप में विकसित हो रहा है वहीं वो भारत की थोक मंडी और थोक बाज़ारों को भी जोड़ रहा है, किसानों को सुगम सूचना दे रहा है।

तकनीक की मदद से जमीन को जांचा परखा जा रहा है और इन प्रक्रियाओं से निकले ज्ञान को भविष्य के लिए संचित किया जा रहा है। जल कुंडों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी काफी कारगर सिद्ध होती दिख रही है। पशुधन की बेहतर देख रेख से ले कर उनके जीन पूल तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है वहीं स्वदेशी जर्म प्लाज्म को भी संरक्षित एवं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत नेट कई तरह से किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है और निकट भविष्य में उस की उपयोगिता और बढ़ती जाएगी। मौजूदा बजट में गत वर्ष के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया गया है और नए लक्ष्य को शामिल किए हैं ताकि कौशल भारत-कुशल भारत का सपना साकार हो सके। मौजूदा बजट किसानों को मुख्य धारा में जोड़ने और कृतज्ञता से उभरने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा बजट एक बड़ी परिकल्पना के क्रियान्वन की प्रक्रिया में एक कड़ी है इसके आयाम सुसज्जित से जान पड़ते हों पर एक बार पूर्ण विकसित होने के बाद डिजिटल इंडिया ग्रामीण भारत के लिए वरदान से कम साबित न होगा। □

### संदर्भ

- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंफ्यूटिंग 2015, नेशनल मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव <https://apps.mgov.gov.in/index.jsp>
  - सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग 2015, डिजिटल इंडिया, <http://www.digitalindia.gov.in/>
  - सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग 2015, एनडीएलएम, <http://ndlm.in/>
  - भारत सरकार 2016, केंद्रीय बजट <http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bh/bh1.pdf>
  - पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार 2014, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=107590>
  - द हिंदू पीटीआई 2015, <http://www.thehindu.com/business/Economy/india-a-bright-spot-in-asia-says-imf/article7180058.ece>
  - श्रीवास्तव, एम 2015, लाइव मिंट, <http://www.livemint.com/Industry/VThUq514BivpTDZdQb5sNN/Mobile-Internet-users-in-India-to-double-by-2017-says-study.html>
- (सभी संदर्भ 06 मार्च 2016 को उद्धृत लिंक के माध्यम से देखे गए)

# पर्यावरण चिंताओं को साधता बजट

प्रभांशु ओझा



जिन वैश्विक स्थितियों में सरकार ने वित्त बजट पेश किया है, उसकी झलक खुद वित्त मंत्री के इस वक्तव्य से मिल जाती है कि वर्तमान सरकार ऐसे माहौल में काम कर रही है, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर में हैं। यह संकट कुछ और नहीं, बल्कि देश की विकास दर को बेहतर बनाए रखते हुए पर्यावरणीय हितों को संरक्षित करने का है। सरकार विकास दर को तेज बनाने के लिए कई मोर्चों पर प्रयासरत है लेकिन इसी के साथ-साथ पर्यावरण के मुद्दों का ध्यान रखना और एक समग्र नजरिया अपनाना भी उसकी जिम्मेदारी है। इस लिहाज से भारत की कुछ वैश्विक प्रतिबद्धताएं भी हैं। पर्यावरण के लिहाज से ये बड़ी चुनौतियां हैं और इस कारण किसी भी सरकार को साहसी फैसले लेने का नजरिया रखना होगा। सरकार ने बजट में इसी नजरिए का परिचय दिया है



सा कहा जाता है कि सतत और तेज विकास दर अक्सर पर्यावरणीय हितों की कीमत पर आती है। यूरोप और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्व में हुई औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक युग का सूत्रपात तो किया लेकिन इस दौरान पर्यावरण संसाधनों के असीमित दोहन ने आने वाले समय के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर दीं। नतीजा ये हुआ कि वैश्विक बिरादरी को मिलकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से निपटने के लिए एक होना पड़ा है। साथ-साथ जीवाश्म-ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था के विकल्प और उसे पर्यावरणीय हितों के अनुकूल बनाने के प्रयास भी तेज करने पड़े हैं। देखा जाए तो आज दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए यही बड़ी चुनौती और बहुत हद तक दुविधा भी है कि अच्छी विकास दर और पर्यावरणीय हितों के बीच कैसे संतुलन और तालमेल बनाया जाए। ऐसी ही स्थितियों के बीच जब भारत में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2016 पेश किया तो जानकारों को उम्मीद थी कि सरकार पर्यावरणीय चिंताओं को उचित संदर्भ और भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संबोधित करेगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि केंद्रीय बजट 2016 ने वह संपूर्ण रोडमैप मुहैया कराया है जो वर्तमान में भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने का सबसे सशक्त विकल्प है। पर्यावरण के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं का पता इस बात से चलता है कि इस बजट में अकेले पर्यावरण मंत्रालय को 2,250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछली बार से 600 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसके साथ-साथ ऐसे कई महत्वपूर्ण

प्रावधान किए गए हैं, जिनका भारत की पर्यावरण नीति पर दूरगामी असर पड़ेगा।

## प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे और बजट घोषणाएं

सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि केंद्रीय बजट 2016 में प्रमुख तौर पर ऐसी कौन सी घोषणाएं की गई हैं, जो पर्यावरण से संबंधित हैं। इनका विषयवार विवरण आगे दिया जा रहा है।

### जीवाश्म ईंधन

भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज रफ्तार बने रहने की पहली शर्त है कि वह अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप ऊर्जा-उत्पादन को बढ़ाती रहे। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह वर्तमान में कोयला समेत अन्य जीवाश्म ईंधनों के दोहन पर ही निर्भर है। कोयले से तो भारत के ऊर्जा उत्पादन का लगभग 53 फीसदी हिस्सा पूरा होता है। जीवाश्म ईंधनों पर इस निर्भरता के चलते ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उच्च दबाव और डीप वाटर क्षेत्रों से गैस उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार ने इस बजट में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया है। यही कारण है कि कोयले, लिग्नाइट और पीट जैसे ईंधनों पर लगने वाले क्लीन एनर्जी सेस को क्लीन इनवायरमेंट सेस का नाम देकर 200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि इस तरह जमा होने वाले अतिरिक्त बजट का इस्तेमाल सरकार नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के विकास पर कर सकती है। साल 2015-16 में सरकार ने क्लीन एनर्जी सेस से 12,623

लेखक युवा पत्रकार हैं। पर्यावरण संबंधी विषयों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहते हैं। विश्वविद्यालय व अंतरविश्वविद्यालय स्तर पर देशभर में सैकड़ों वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में विजेता रहे हैं। ईमेल: prabhansukmc@gmail.com

करोड़ रुपये जमा किए थे, वहीं उम्मीद की जा रही है कि नई दरों के लागू होने के बाद सरकार साल 2016-17 में 26,148 करोड़ रुपये जमा कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस अतिरिक्त बजट का इस्तेमाल सरकार कितने प्रभावी ढंग से कर पाएगी। कालांतर में यह देखा गया है कि इस बजट को सरकारें खर्च नहीं कर पाती हैं। इस मामले में वर्तमान सरकार के पास पुराने अनुभवों से सीखने का मौका होगा।

## यातायात

हालिया समय में भारत में महानगरों के वायुमंडल के लगातार जहरीले होते जाने की खबरों ने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। राजधानी दिल्ली तो पर्यावरण प्रदूषण की जैसे पहचान बन गई। तथ्यों के आधार पर भारत वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बड़ा स्रोत चार पहिया वाहनों खास तौर पर कारों को माना जाता है। महानगरों में कारों की बढ़ती संख्या ने पर्यावरण के साथ-साथ प्रशासकीय चुनौतियां भी खड़ी की हैं। केंद्रीय बजट में पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर एक प्रतिशत लक्जरी टैक्स, कुछ निश्चित आकार की डीजल कारों पर 2.5 फीसदी टैक्स और बड़े वाहनों और एसयूवी पर चार फीसदी टैक्स लगाने की पहल को इन स्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार ने कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश की है कि कारों के चलते वायुमंडल में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण की समस्या को अब लापरवाही से नहीं लिया जा सकता। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट संबोधन के दौरान ये कहा कि भारतीय शहरों में प्रदूषण और ट्रैफिक के हालात प्रमुख चिंता का विषय हैं। हालांकि सरकार ने तीन पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों, फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित हाइड्रोजन और हाइब्रिड वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगाया। वित्त मंत्री ने फेम (फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल) योजना को 200 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया, जिसका लक्ष्य साल 2020 तक भारत में 6 मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन

सड़कों पर उतारना है। सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विशेष सामानों पर दी जाने वाली छूट की अवधि को भी बगैर कोई समय सीमा निर्धारित किए बढ़ा दिया है। ठीक इसी तरह कारों के वाश कोट्स विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम आक्साइड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी से घटाकर 5.0 फीसदी कर दिया है। वाश कोट्स का इस्तेमाल ही कारों में इस्तेमाल होने वाले कैटलेटिक कन्वर्टर में किया जाता है जो अंततः प्रदूषण के लिए जिम्मेदार खतरनाक गैसों कार्बन मोनो आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। कुल मिलाकर सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की गंभीर और ठोस कोशिशें की हैं। जानकारों ने माना है कि इन सभी घोषणाओं से समग्र रूप में *पोल्यूटर पेज सिद्धांत* की वापसी हुई है, जिसको लागू करने में पिछली सरकारें पूरी तरह नाकाम रही थीं।

**वित्त मंत्री ने पर्यावरणीय हितों के ज्यादा अनुकूल आर्गेनिक खेती और उससे जुड़ी योजनाओं के विकास के लिए 412 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया। अगले तीन सालों में इस बजट से लगभग पांच लाख एकड़ जमीन पर आर्गेनिक खेती की योजनाएं विकसित की जाएंगी।**

## कृषि

कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने इस बजट में समय के साथ-साथ बदलने और लचीला होने के नजरिए का परिचय दिया है। यही कारण है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के साथ-साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पर्यावरणीय हितों के ज्यादा अनुकूल आर्गेनिक खेती और उससे जुड़ी योजनाओं के विकास के लिए 412 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया। अगले तीन सालों में इस बजट से लगभग पांच लाख एकड़ जमीन पर आर्गेनिक खेती की योजनाएं विकसित की जाएंगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आर्गेनिक खेती का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम रसायनों, उर्वरकों पर नियंत्रण लगाते हुए एक स्वस्थ कृषि-इकोसिस्टम विकसित करना होता है और

भारत में लगातार क्षीण हो रही मिट्टी की उर्वरा क्षमता को संरक्षित करने के प्रयास अपरिहार्य हो चले हैं। वर्तमान सरकार ने सही समय पर इस दिशा में पहल कर आर्गेनिक खेती से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श में ला दिया है। निश्चित तौर पर इससे जुड़े कई मुद्दों को संबोधित करना अभी बाकी है।

## नवीनीकरणीय ऊर्जा

इस बजट से पहले ही यह अपेक्षा की जा रही थी कि वर्तमान सरकार नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास करेगी। इस दिशा में बजट में हुई घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इन उम्मीदों पर भी खरा उतरी है। पिछले साल ही मोदी सरकार ने साल 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 60 गीगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इन लक्ष्यों के अनुरूप ही इस साल नवीनीकरण और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय को 5,036 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है जो पिछले साल के मुकाबले 262 करोड़ रुपये ज्यादा है। वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा के विकास को लेकर काफी विवाद हैं लेकिन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के प्रति भी सरकार ने कोई तंग रवैया नहीं अपनाया है। इसके विकास के लिए 3000 करोड़ प्रति वर्ष आवंटित करने की योजना है।

## स्वच्छ भारत अभियान

सत्ता में आने के बाद से ही मौजूदा सरकार ने पर्यावरण के मुद्दे को आम जनमानस में स्थापित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया था। इस अभियान की अपील का संपूर्ण भारत में शानदार प्रभाव पड़ा। अभियान के तहत सरकार ने साल 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले मलत्याग से रहित करने का लक्ष्य बनाया था। अपने अब तक के शासन से सरकार ने इस अभियान की राह में आने वाली कमियों को संबोधित करने के लिए बजट में उचित प्रावधान किए। लगभग 11,300 करोड़ का विशाल बजट इस योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जारी किया गया है। इसमें से 9000 करोड़ रुपये पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को दिए गए हैं, जबकि 2,300 करोड़ रुपये शहरी विकास

# नमामि गंगे

## केंद्रीय आवंटन ₹ 2250 करोड़

#VikasBudget  
2016-17

ग्राफिक: [www.pib.nic.in](http://www.pib.nic.in)

मंत्रालय के हिस्से में आए हैं। वित्त मंत्री ने इस अभियान की महत्ता को रेखांकित करते हुए संसद में उचित ही कहा कि आजादी के बाद पहली बार हमने स्वच्छता जैसे विषय पर संसद में चर्चा कर एक अलग कदम उठाया।

### अन्य घोषणाएं

इस बजट में सरकार के दूरदर्शी नजरिए का परिचय उस घोषणा में भी मिलता है जिसके तहत वित्त मंत्री ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी गैस मुहैया कराने के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया। इस कदम से न सिर्फ परंपरागत चूल्हों से होने वाला वायु प्रदूषण कम होगा, बल्कि इसके महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव भी होंगे।

इन सभी पर्यावरणीय कदमों से सरकार ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? अगर ध्यान से देखें तो इन घोषणाओं में सरकार ने लंबे-चौड़े दावों के साथ पेश की जाने वाली पर्यावरणीय परियोजनाओं से किनारा किया है। सरकार का ध्यान ठोस पहलें करने की ओर अधिक रहा है। वास्तव में, अगर पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट-2016 का मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद किसी सरकार ने लोकप्रिय कदमों से दूर जाने की हिम्मत दिखाई है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पर्यावरणीय चिंताएं या मुद्दे आर्थिक विकास दर की राह में रोड़ा नहीं हैं, बल्कि यह समय दोनों के साथ तालमेल स्थापित करने का है। पर्यावरणीय विकास से समग्र विकास और यहां तक कि गरीबी उन्मूलन और मुख्य धारा से दूर तबकों का सामाजिक उत्थान संभव है। बजट में वायुमंडलीय प्रदूषण और पानी की कमी जैसे मुद्दों के सकल उत्पादन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की गई है।

गरीब तबकों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना इस लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। मिट्टी की लगातार गिरती उर्वरता जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति सरकार ने व्यावहारिक नजरिए का परिचय दिया है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रायः आर्थिक परियोजनाओं की राह में बाधा माना जाता है। कोयले पर टैक्स को बढ़ाकर बजट में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाने का संदेश छिपा है। हालांकि कोयले पर भारत की निर्भरता को निकट भविष्य में खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन इस निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में प्रयास आरंभ होने चाहिए। इस आवश्यकता को बजट में समझा गया है। कहने का मतलब यही है कि सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं और मुद्दों को देश के विकास मॉडल का हिस्सा माना है। उसकी तमाम घोषणाओं में यही नजरिया दिखाई पड़ता है लेकिन ये नजरिया केवल बजट में नजर आया हो, ऐसा नहीं है। सत्ता

**सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं और मुद्दों को देश के विकास मॉडल का हिस्सा माना है। उसकी तमाम घोषणाओं में यही नजरिया दिखाई पड़ता है लेकिन ये नजरिया केवल बजट में नजर आया हो, ऐसा नहीं है। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के विशेष प्रयास किए हैं।**

में आने के बाद से ही सरकार ने पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के विशेष प्रयास किए हैं। यह बेवजह नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के आरंभ में ही स्वच्छ भारत मिशन पर पूरा जोर लगाया। यह अभियान जोर-शोर से शुरू की जाने वाली बाकी योजनाओं की तरह साबित नहीं हुआ है। अभियान के तहत साल 2019 तक ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था, अब तक 95.23 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह गति धीमी अवश्य है लेकिन सरकार ने इस मामले में अब तक आत्मसमर्पण

नहीं किया है। ठीक इसी तरह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना भी सरकार की दूरदर्शी नीति का ही नतीजा है। इसके लिए सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों उपक्रमों की मदद ली है।

### निष्कर्ष

जिन वैश्विक स्थितियों में वर्तमान सरकार ने भारत का वित्त बजट पेश किया है, उसकी झलक खुद वित्त मंत्री के इस वक्तव्य से मिल जाती है कि वर्तमान सरकार ऐसे माहौल में काम कर रही है, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर में हैं। यह संकट कुछ और नहीं, बल्कि देश की विकास दर को बेहतर बनाए रखते हुए पर्यावरणीय हितों को संरक्षित करने का है। सरकार विकास दर को तेज बनाने के लिए कई मोर्चों पर प्रयासरत है लेकिन इसी के साथ-साथ पर्यावरण के मुद्दों का ध्यान रखना और एक समग्र नजरिया अपनाना भी उसकी जिम्मेदारी है। इस लिहाज से भारत की कुछ वैश्विक प्रतिबद्धताएं भी हैं। दिसंबर महीने में हुए पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मलेन में भारत ने साल 2030 तक अपने वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को साल 2005 के स्तर से कुल जीडीपी के 33-35 फीसदी तक कम करने का वायदा किया है। भारत को अपना 40 फीसदी विद्युत उत्पादन नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों से भी करना है। पर्यावरण के लिहाज से ये बड़ी चुनौतियां हैं और इसे हासिल करने के लिए किसी भी सरकार को साहसी फैसले लेने का नजरिया रखना होगा। सरकार ने बजट में इसी नजरिए का परिचय दिया है। यह देखने वाली बात होगी कि सरकार इन कदमों को लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखा पाती है या नहीं। कुछ औद्योगिक तबकों की ओर से सरकार के कदमों का हल्का विरोध भी हुआ है लेकिन फिलहाल मोदी सरकार का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं कि वह पर्यावरणीय चिंताओं को दरकिनार कर कोई फैसला लेगी। □

### केंद्रीय बजट: 2016-17: प्रमुख विभाग जहां आवंटन बढ़ा

विभाग	आवंटन 2015-16	आवंटन 2016-17
कृषि व सिंचाई आवंटन	25988 करोड़	47912 करोड़
शिक्षा व स्वास्थ्य आवंटन	139619 करोड़	151581 करोड़
अवसंरचना विकास	180610 करोड़	221246 करोड़
रक्षा आवंटन	224636 करोड़	249099 करोड़

## वित्तीय समावेशन: कदमताल में तेजी की जरूरत

ऋषभ कृष्ण सक्सेना



जन-धन और मुद्रा को जिस तरह लागू किया जा रहा है, वह सराहनीय है लेकिन दोनों योजनाओं की समीक्षा कर अगर सरकार यह पता कर लेती है कि बुनियादी ढांचे, आवाजाही, वित्तीय निरक्षरता, तकनीकी पंगुता जैसी कौन सी दिक्कतें लाभार्थियों के सामने आ रही हैं तो इन्हें बेहतर बनाना आसान होगा। लगभग 21 करोड़ जन-धन खाते, 1 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण और भुगतान तथा लघु बैंक वास्तव में बेहद उजले कल की ओर संकेत कर रहे हैं लेकिन उस कल में और निखार लाने के लिए सरकार को अब इनमें अगली सीढ़ी चढ़नी होगी

**वि**त्त मंत्री ने गत वर्ष फरवरी में जब बजट पेश किया था तो वित्तीय समावेशन पर उनका बहुत अधिक जोर था। प्रधानमंत्री जन धन योजना हो या छोटे उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उन्होंने बैंकिंग की सुविधा तथा संस्थागत वित्तीय सहायता से वंचित रहने वालों को साथ लेना देश की वृद्धि के लिए आवश्यक बताया था। उसके बाद पूरे साल इन दोनों योजनाओं पर काम भी किया गया लेकिन ठीक एक साल बाद इस बार उनके बजट भाषण में दोनों ही योजनाएं लगभग नदारद थीं। मुद्रा योजना का तो उन्होंने दो पंक्तियों में जिक्र किया लेकिन जन धन योजना के बारे में वह कुछ नहीं बोले।

फिलहाल, दोनों योजनाओं पर काम चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन एक साल बाद अब इन दोनों योजनाओं को ही अगले चरण में ले जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। जन धन योजना के तहत खुले बैंक खातों में अगर ग्रामीण ठीक से लेनदेन नहीं कर रहे हैं या 28 फीसदी से भी ज्यादा खाते खाली पड़े हैं तो सरकार को उन्हें भरने और लोगों को बैंकों से अधिक सक्रिय रूप से जोड़ने की पहल करनी ही होगी। इसी तरह मुद्रा के फायदे को और भी व्यापक बनाने के लिए उसके नियमों में कतरब्योत की जरूरत हो सकती है। आखिर क्या कारण रहे होंगे कि इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई? यह तभी पता चलेगा, जब हम देखेंगे कि पिछले बजट से इस बजट तक वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर क्या जमीनी काम हुआ है। तो आइए हम वित्तीय समावेशन की योजनाओं की अब तक की प्रगति को क्रमवार देखें।

### जन धन योजना

वित्तीय समावेशन की चुनौती से प्रभावी तरीके से जूझने वाली जन धन योजना के लिए सरकार की जितनी भी सराहना की जाए, कम होगी। डेढ़ साल पहले शायद ही किसी को लगा हो कि यह योजना इतनी कामयाब होगी लेकिन 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई और विश्व रिकॉर्ड बना चुकी इस योजना के अंतर्गत महज डेढ़ साल में 21 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोल दिए गए हैं, जिनमें 60 फीसदी से भी ज्यादा गांवों में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 मार्च 2016 तक देश में कुल 21.11 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। इनमें 12.94 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं और शहरी क्षेत्रों में 8.17 करोड़ खाते खोले गए हैं।<sup>1</sup>

शुरुआत में इस बात को लेकर जन धन योजना की बहुत आलोचना होती थी कि खाते कमोबेश खाली पड़े हैं और 31 मार्च 2015 को तो 58 फीसदी से भी ज्यादा खातों में कोई रकम नहीं थी लेकिन 2 मार्च 2016 को बिना रकम वाले जन धन खाते महज 28.79 फीसदी रह गए थे। इस समय सभी जन धन खातों में कुल मिलाकर करीब 33,532.10 करोड़ रुपये जमा हैं। यूं तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है लेकिन अगर शून्य राशि वाले खातों को हटाकर बाकी सभी खातों में यह रकम बांट दी जाए तो हरेक खाते में बमुश्किल 2,210 रुपये ही आएंगे, जो नाकाफी ही कहे जाएंगे। यह रकम भी सरकारी सब्सिडी के कारण ही जमा है। अगर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सब्सिडी खातों में भेजनी बंद कर दी जाए तो कुल जमा रकम का आंकड़ा बेहद कम रह जाएगा।

लेखक आर्थिक दैनिक समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। इससे पूर्व संवाद समिति 'यूनीवार्ता' में काम कर चुके हैं। गुरु जांभेश्वर विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध मीडिया संस्थानों में अध्यापन कर चुके हैं। ईमेल: rishabhkrishna@gmail.com

इस आंकड़े को बढ़ाना ही सरकार के लिए असली चुनौती है क्योंकि तभी वित्तीय समावेशन की उसकी योजना अगले चरण में कदम रख पाएगी लेकिन चुनौती भी कई तरह की है। सबसे पहली चुनौती तो जन धन खातों के नियम ही हैं। इन खातों से महीने में 10,000 रुपये से ज्यादा रकम की निकासी नहीं की जा सकती। इसी तरह खाताधारक किसी भी समय उनमें एक लाख रुपये से अधिक रकम जमा नहीं रख सकते। इन्हें देखकर लगता है कि सरकार भी डीबीटी और ग्रामीण तथा निम्न वर्गों के कल्याण की सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली

**शुरुआत में इस बात को लेकर जन धन योजना की आलोचना होती थी कि खाते कमोबेश खाली पड़े हैं और 31 मार्च 2015 को तो 58 फीसदी से भी ज्यादा खातों में कोई रकम नहीं थी लेकिन 2 मार्च 2016 को बिना रकम वाले जन धन खाते महज 28.79 फीसदी रह गए थे। इस समय सभी जन धन खातों में कुल मिलाकर करीब 33,532.10 करोड़ रुपये जमा हैं।**

रकम के लिए ही इन खातों का इस्तेमाल करना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति चार या पांच साल बाद पड़ने वाली किसी जरूरत के लिए मोटी रकम जमा करना चाहता है तो जन धन खाता उसके काम ही नहीं आएगा। स्वाभाविक तौर पर इसे सांकेतिक वित्तीय समावेशन ही कहा जाएगा, वास्तविक नहीं।

### वित्तीय साक्षरता की जरूरत

एक परेशानी यह भी है कि सरकार खाताधारकों को रुपे कार्ड के जरिए ही लेनदेन करने के लिए कह रही है, जो बड़ी संख्या में खाताधारकों के लिए आसान नहीं है। शहरों में भी हमें कई बार ऐसे बुजुर्ग या अशिक्षित मिल जाते हैं, जो एटीएम से रकम निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का मुंह तक रहे होते हैं। वजह - एटीएम का इस्तेमाल उनके लिए बेहद पेचीदगी भरा होता है क्योंकि तकनीक से उनका पाला ही नहीं पड़ा होता है। अगर शहरों में ऐसा हो सकता है तो गांवों में ऐसा होना स्वाभाविक है। बैंक अधिकारियों की यह आम शिकायत होती है कि गांव-देहात के लोगों या एकदम निचले तबके के लोगों को निजी पहचान संख्या (पिन) वाले कार्ड

के जरिए एटीएम का इस्तेमाल बेहद पेचीदा लगता है और वे इससे कतराते हैं। इसी तरह जन धन खातों के तहत मिलने वाली 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी लाभार्थियों की समझ से परे है और अगर अखबारों में आए दिन छपने वाली खबरें देखें तो ज्यादातर लाभार्थी इसे भी सब्सिडी ही मान बैठे थे।

यहां हमें वित्तीय साक्षरता की अहमियत और जरूरत का अहसास होता है। जिन्होंने कभी बैंक या एटीएम की शक्ल नहीं देखी, उनके हाथ में रुपे कार्ड देने का तब तक कोई तुक नहीं है, जब तक उन्हें उसका इस्तेमाल करना सिखा नहीं दिया जाता। इसलिए सरकार को वित्तीय समावेशन की अगली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए वित्तीय साक्षरता पर जोर देना ही पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे कुछ बैंक इसकी मिसाल बन भी रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेहद दुर्गम गांवों में हर महीने वित्तीय साक्षरता और संपर्क के कार्यक्रम चला रहा है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब तक खोले गए 70 लाख से अधिक जन धन खातों में करीब 10 लाख खातों में हर हफ्ते रकम जमा होती है या निकाली जाती है। बैंक प्रबंधन इसके पीछे वित्तीय साक्षरता की कार्यशालाओं को बड़ी वजह मानता है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा भी ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसके साथ वित्तीय साक्षरता को जोड़ दिया गया है। इसका नतीजा है कि उसकी शाखाओं में खुले 83 फीसदी से अधिक जन धन खातों में नियमित लेनदेन हो रहा है।<sup>2</sup>

### बचत योजनाओं का विस्तार हो

सरकार को यह लेनदेन बढ़ाने के तरीके ईजाद करने चाहिए ताकि गरीबों को बीज-खाद खरीदने, इलाज कराने, बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए साहूकारों के हाथों शोषित होने के बजाए अपनी ही बचत का इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। इस तबके के पास रकम बचाने के तरीके बहुत कम हैं। छोटे और सीमांत किसानों को तो अक्सर फसल बिकने के कई महीनों बाद ही उसकी कीमत मिलती है। बीच के महीनों में उन्हें या तो मजदूरी करनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। जब एकमुश्त रकम आती है तो उससे कर्ज ही चुकाया जाता है और तंगी पहले की तरह बरकरार रहती है। अगर उन्हें हर महीने बचत

करने का तरीका सिखा दिया जाए तो जन धन खाते में मौजूद रकम ही उन महीनों में उनके काम आएगी, जब आमदनी नहीं होती है।

### जरूरतों के अनुकूल बैंकिंग मॉडल

इसके लिए जरूरी है कि जन धन खातों से आगे बढ़कर बचत की ऐसी योजनाएं लाई जाएं, जो लक्षित वर्गों की जरूरतों के अनुरूप हों। इसके लिए बैंक रक्यात इंडोनेशिया (बीआरआई) का उदाहरण लिया जा सकता है। इंडोनेशिया का यह बैंक कम आय वाले परिवारों की जरूरत के मुताबिक कर्ज और बचत योजनाएं तैयार करता है। इसके पास 3 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और यह हरेक ग्राहक की जरूरत के मुताबिक खाते और योजना तैयार करने का दावा करता है ताकि उनके खाते का बेहतर इस्तेमाल हो सके। इसके खाते इस तरह के होते हैं कि वे खाताधारक को कर्ज लेने के बजाए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बैंक की हरेक शाखा अलग इकाई के तौर पर काम करती है और अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करती है। इन्हीं कारणों से बीआरआई लंबे अरसे से मुनाफे में रह रहा है और पूर्वी एशिया में आए वित्तीय संकट को भी वह आसानी से झेल गया था। थाईलैंड और चीन में भी बीआरआई की तर्ज पर बैंक चलाने की बात चल रही है।<sup>3</sup>

इसी तरह फिलीपींस में ग्रैन बैंक ऑफ करागा भी सीड (सेव, अर्न एंड इंजॉय डिपॉजिट्स) खाते चलाता है। इनमें खाताधारक खुद ही तय करता है कि वह अपने खाते में किस तारीख तक रकम जमा करेगा या कितनी रकम जमा करेगा। लक्ष्य पूरा होने तक वह अपने खाते से रकम निकाल नहीं सकता। इससे लोगों को जबरन बचत करनी पड़ती है और संकट के समय उनके पास पर्याप्त सहारा होता है।

**बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसके साथ वित्तीय साक्षरता को जोड़ दिया गया है। इसका नतीजा है कि उसकी शाखाओं में खुले 83 फीसदी से अधिक जन धन खातों में नियमित लेनदेन हो रहा है।**

भारत में भी ऐसा कुछ सोचा जा सकता है और जन धन खाते ऐसी योजनाओं के लिए एकदम माकूल होंगे क्योंकि वित्तीय साक्षरता के जरिए

खाताधारकों को बचत की अहमियत सिखाकर नए तरीके आजमाए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए धन निकासी और जमा की सीमा बढ़ानी होगी और ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करना

**यह तय मानिए कि मुद्रा योजना अलादीन के चिराग से कम नहीं है। रोजगार और उद्यम के मोर्चे पर यह चमत्कार कर सकती है और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के लिए देसी उद्यमियों की पूरी फौज खड़ी कर सकती है लेकिन सरकार अगर ऊपर बताए कुछ पहलुओं पर जोर देगी तो इसका प्रभाव और भी व्यापक दायरे में हो जाएगा।**

भी उस तबके को सिखाना पड़ेगा। जाहिर है कि वित्तीय साक्षरता यहां फिर अहम हो जाती है।

वित्तीय समावेशन की वर्तमान नीतियों की समीक्षा करने तथा इसके लिए दीर्घ अवधि की कार्य योजना सुझाने के लिए गठित सरकारी समिति भी यही सुझाव दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक पटेल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने पिछले दिसंबर में अपनी रिपोर्ट में कहा कि छोटे तथा सीमांत किसानों एवं निम्न आय वाले परिवारों को उचित खर्च पर बचत, निकासी, कर्ज, सरकारी बीमा और पेंशन की सुविधाएं वित्तीय समावेशन की योजनाओं में शामिल होनी ही चाहिए।<sup>4</sup>

## मुद्रा योजना

वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की दूसरी सबसे बड़ी पहल माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनंस एजेंसी (मुद्रा) है, जिस पर पिछले बजट से ही खासा जोर दिया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उद्यमों पर शुरू से ही जोर देते रहे हैं और मुद्रा योजना उसी का अंग है। भारत में इस समय 54 फीसदी से भी अधिक जनसंख्या 25 साल से कम उम्र वाली है लेकिन उसमें से महज 5 फीसदी को ही रोजगार के लायक औपचारिक कौशल प्रशिक्षण हासिल हो पाता है। रोजगार की इस कमी को गांव-देहात तक फैले करीब 5.77 करोड़ छोटे और मझोले उद्योग (एसएमई) आसानी से भर सकते हैं।<sup>5</sup>

10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले इन एसएमई की जीडीपी में 8 फीसदी से ज्यादा और औद्योगिक उत्पादन में 45 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। भारत से होने वाले निर्यात में भी इनकी भागीदारी करीब

40 फीसदी है लेकिन रोजगार देने के मामले में भारतीय एसएमई दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। मिसाल के तौर पर ब्राजील में करीब 67 फीसदी रोजगार एमएसएमई से ही मिलता है। फ्रांस में आंकड़ा 63 फीसदी, जर्मनी में 62 फीसदी और अमेरिका में 53 फीसदी है लेकिन भारत में ये उद्यम केवल 28 फीसदी रोजगार दे पाते हैं।<sup>6</sup> इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इन इकाइयों को अक्सर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां स्वयं ही रकम की व्यवस्था करने को विवश हो जाती हैं। इसके लिए उद्यमी रिश्तेदारों से उधार लेते हैं अथवा साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं। बची खुची कसर उन्हें असंगठित ऋण बाजार से ऊंचे ब्याज पर उधार लेकर पूरी करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उनके लाभ पर पड़ता है। बमुश्किल 11 फीसदी एसएमई को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कर्ज मिल पाता है। बाकी शेष एमएसएमई गैर संस्थागत स्रोतों से रकम लेते हैं।<sup>7</sup>

मुद्रा योजना इनके लिए वास्तव में बहुत फायदे वाली है। पिछले बजट में सरकार ने इस योजना के तहत 1.22 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा था और इस साल 4 मार्च तक 1.03 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटे भी जा चुके थे।<sup>8</sup> इस बार के बजट में सरकार ने वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1.80 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 'शिशु ऋण' के तहत 50,000 रुपये तक का कर्ज उन उद्यमियों को दिया जाता है, जो अपना उद्यम शुरू ही कर रहे होते हैं। पहले से चल रहे उद्यमों को 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के 'किशोर ऋण' दिए जाते हैं और 5 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक के 'तरुण ऋण' भी दिए जाते हैं।

इनमें शिशु ऋण सबसे अहम है क्योंकि उसके लिए किसी तरह की जमानत की जरूरत नहीं होती और कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लगता। इसके अलावा उस पर 1 फीसदी मासिक की दर से ब्याज लिया जाता है और रकम लौटाने के लिए 5 साल तक का समय भी मिल सकता है। वास्तव में नया कारोबार लगाने के इच्छुक उद्यमियों को सबसे ज्यादा जरूरत इसी कर्ज की होती है। इसका सबूत वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के जवाब से भी मिलता है, जो उन्होंने इसी साल 26 फरवरी को संसद में दिया था। उसके मुताबिक 12 फरवरी

तक मुद्रा के तहत लगभग 2.70 करोड़ लोगों को कर्ज दिए गए थे और इनमें 2.50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने शिशु ऋण लिए थे।<sup>9</sup>

इस योजना का एक वर्ष पूरा होने पर सरकार को इसमें भी डिजिटल प्रौद्योगिकी का दखल बढ़ाना चाहिए। यदि भारत में स्टार्ट अप कंपनी को एक ही दिन में खोला जा सकता है और झटके में बंद भी किया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में बैठे किसी युवक को 50,000 रुपये का मामूली कर्ज पाने के लिए बार-बार बस या ट्रेन में बैठकर शहर क्यों आना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार उन इलाकों में ब्रॉडबैंड की सुविधा देते हुए इंटरनेट पहुंचाए और प्रशिक्षित कर्मचारी उस आदिवासी युवक को घर बैठे ही जरूरी कागजों को डिजिटल प्रारूप में भेजने में मदद करे। इसके बाद कर्ज को मंजूरी मिल जाए और पड़ोस के किसी बैंक का एजेंट उस युवक तक रकम पहुंचा सके। निश्चित रूप से सरकार के लिए यह बड़ा काम नहीं है, जिसे करने से मुद्रा योजना अधिक प्रभावी हो सकेगी।

इसके अलावा सरकार 50 फीसदी से अधिक मुद्रा ऋण अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को देना चाहती है। सरकार ने अभी आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है लेकिन यदि इस वर्ग को ऋण देने का लक्ष्य शहरी लाभार्थियों से ही पूरा कर लिया जाता है तो कोई फायदा नहीं। कृषि से अधिक रोजगार नहीं मिलने हैं, इसलिए सरकार को इस योजना के तहत भी गांवों में

**गत वर्ष दो ऐसी पहलें हुई हैं, जो देश के बैंकिंग और वित्तीय तंत्र को झकझोर कर रख देंगी। इनके नाम हैं भुगतान बैंक और लघु बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति को सही मायने में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके सुझाने के लिए कहा था। समिति ने भुगतान बैंक की सलाह दे दी। पिछले साल अगस्त में रिजर्व बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, आदित्य बिड़ला नूवो और सन फार्मा समेत कई नामी कंपनियों को भुगतान बैंक के लाइसेंस दिए।**

अधिक लाभ देना चाहिए। इसीलिए पहला हक बेहद पिछड़े गांवों के युवाओं का बनता है, जिस पर सरकार को अधिक जोर देना चाहिए।

यह तय मानिए कि मुद्रा योजना अलादीन के चिराग से कम नहीं है। रोजगार और उद्यम



के मोर्चे पर यह चमत्कार कर सकती है और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के लिए देसी उद्यमियों की पूरी फौज खड़ी कर सकती है लेकिन सरकार अगर ऊपर बताए कुछ पहलुओं पर जोर देगी तो इसका प्रभाव और भी व्यापक दायरे में हो जाएगा।

### भुगतान बैंक और लघु बैंक

इन दोनों योजनाओं के अलावा गत वर्ष दो ऐसी पहलें हुई हैं, जो देश के बैंकिंग और वित्तीय तंत्र को झकझोर कर रख देंगी। इनके नाम हैं भुगतान बैंक और लघु बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति को सही मायने में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके सुझाने के लिए कहा था। समिति ने भुगतान बैंक की सलाह दे दी। पिछले साल अगस्त में रिजर्व बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, आदित्य बिड़ला नूवो और सन फार्मा समेत कई नामी कंपनियों को भुगतान बैंक के लाइसेंस दिए। छोटी आय वालों और प्रवासी कामगारों के लिए एकदम अनुकूल ये बैंक वित्तीय समावेशन की क्रांति ला सकते हैं क्योंकि ये बेहद सुलभ तकनीक मोबाइल फोन के जरिये काम करते हैं।

सलाहकार फर्म केपीएमजी की एक रिपोर्ट के अनुसार जन-धन योजना के सफल होने के बाद भी देश की आधी आबादी बैंकिंग सेवा से वंचित है। ग्रामीण अंचलों में रहने वालों और अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर काम करने गए दिहाड़ी मजदूरों के पास बैंक खाते नहीं हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह तबका साल में तकरीबन 80,000 से 90,000 करोड़ रुपये का लेनदेन करता है (ज्यादातर मामलों में रकम अपने घर भेजता है), जिसके लिए बड़ा शुल्क चुकाना पड़ता है। भुगतान बैंक आने पर यही रकम बहुत कम शुल्क के साथ भेज दी जाएगी। भारत में करीब 94 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन हैं। एक से अधिक कनेक्शन वाले उपभोक्ता हटा भी दिए जाएं तो 70 करोड़ उपभोक्ता मिल ही जाएंगे। भुगतान बैंक छोटी रकम भेजने या निकालने के लिए इसी मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक से कहेंगे। महज फोन पर अंगुलियां घुमाकर अगर बैंक के ढेर सारे काम हो जाते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा।

इनके लिए भुगतान बैंकों को न तो बड़ा बुनियादी ढांचा चाहिए और न ही अधिक कर्मचारी। जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं,

उनकी साख आम आदमी के बीच काफी है। उन्हें केवल वे जगहें तलाशनी होंगी, जहां बैंकिंग सेवा कमजोर है। कर्मचारी के बजाय वे स्थानीय किराना दुकानदारों, बीमा एजेंटों या बेरोजगार युवाओं को रख सकते हैं। वही व्यक्ति ग्राहकों से रकम लेगा और उनके खाते में जमा कर देगा। ग्राहक उसी के पास जाकर रकम की निकासी भी कर सकते हैं। अगर ऐसी चलती-फिरती बैंक शाखा पड़ोस में मिल जाए तो बैंक शाखा के चक्कर कोई क्यों काटेगा?

रिजर्व बैंक ने ऐसी ही जुगत लघु बैंकों के लाइसेंस देकर भी भिड़ाई है। पिछले साल सितंबर में 10 कंपनियों को लघु बैंक बनाने की मंजूरी मिल गई है और पंजाब में तो पहला लघु बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अगले महीने इसे शुरू भी करने जा रहा है। लघु बैंकों के लिए भारत में जबरदस्त गुंजाइश है क्योंकि

**भुगतान बैंकों को न तो बड़ा बुनियादी ढांचा चाहिए और न ही अधिक कर्मचारी। जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं, उनकी साख आम आदमी के बीच काफी अच्छी है। उन्हें केवल वे जगहें तलाशनी होंगी, जहां बैंकिंग सेवा कमजोर है। कर्मचारी के बजाय वे स्थानीय किराना दुकानदारों, बीमा एजेंटों या बेरोजगार युवाओं को रख सकते हैं।**

विश्व बैंक की ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बैंकिंग से महरूम वयस्कों का 38 फीसदी हिस्सा भारत, चीन और इंडोनेशिया में रहता है। इस खाई को लघु बैंक आसानी से पाट सकते हैं। इन बैंकों की खासियत यह है कि ये सामान्य बैंकों जैसे सारे काम करेंगे यानी रकम जमा करेंगे, निकासी की सुविधा देंगे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड देंगे। वहां भुगतान बैंक की तरह अधिकतम 1 लाख रुपये जमा कराने की बंदिश भी नहीं है।

अंतर यही होगा कि सामान्य बैंकों से उलट ये बेहद छोटे इलाके में कारोबार करेंगे। यही वजह है कि इनके अधिकतर लाइसेंस भी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को दिए गए हैं, जो उन इलाकों में छोटे कर्ज देती हैं, जहां बैंकिंग सेवा सुलभ नहीं है। इनका छोटा दायरा ही इन्हें ज्यादा फायदेमंद बनाता है। रिजर्व बैंक का नियम है कि इन बैंकों से 75 फीसदी कर्ज प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जाएगा यानी किसानों, छोटे उद्यमियों और कम

कमाई वालों को मिलेगा। इसलिए किसानों या छोटे कारोबारियों को बैंकों का मुंह ताकने के बजाय लघु बैंकों से आसानी से कर्ज मिल जाएगा। ये खेती या कारोबार के अलावा मकान के लिए भी कर्ज देंगे और ब्याज की दर काफी कम होगी। भुगतान बैंक की तरह इनके एजेंट आपके घर पर ही पहुंच जाएंगे और जमा की रकम ले जाएंगे या निकासी वाली रकम दे जाएंगे। ये बैंक म्युचुअल फंड और बीमा योजनाएं भी बेचेंगे, जिससे गांव-कस्बों में वित्तीय साक्षरता को भी मजबूती मिलेगी।

### काफी हुआ, कुछ बाकी

वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर यह सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत अधिक सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं। जन धन योजना और मुद्रा को जिस तरह लागू किया जा रहा है, वह भी सराहनीय है लेकिन पिछले एक साल में दोनों योजनाओं की समीक्षा कर अगर सरकार यह पता कर लेती है कि बुनियादी ढांचे, आवाजाही, वित्तीय निरक्षरता, तकनीकी पंगुता जैसी कौन सी दिक्कतें लाभार्थियों के सामने आ रही हैं तो इन योजनाओं को बेहतर बनाना उसके लिए आसान होगा। लगभग 21 करोड़ जन धन खाते, 1 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण और भुगतान तथा लघु बैंक वास्तव में बेहद उजले कल की ओर संकेत कर रहे हैं लेकिन उस कल में और निखार लाने के लिए सरकार को अब इनमें अगली सीढ़ी चढ़नी होगी और आखिरी व्यक्ति तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी यानी उसे भी इस कारवां में जोड़ना होगा।

### संदर्भ


1. प्रधानमंत्री जन धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट
2. 'ओवर 70: ऑफ अकाउंट्स ओपनड अंडर जन धन आर नाउ एक्टिव', मिंट, 29 फरवरी 2016
3. एडवॉसिंग फाइनेंशियल इनक्लूजन इन इंडिया बियॉण्ड द जन धन योजना, बुकिंग्स इंडिया इंपैक्ट सीरीज, जनवरी 2015
4. 'फाइनेंशियल इनक्लूजन रिपोर्ट सजेस्ट्स गुड टाइम फॉर स्मॉल प्लेयर्स', बिजनेस स्टैंडर्ड, 30 दिसंबर 2015
5. पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति, 17 मार्च 2015
6. 'लघु व मध्यम उद्यमों की चुनौतीपूर्ण डगर', योजना, अप्रैल 2015
7. एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2011
8. मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट
9. पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति, 26 फरवरी 2016

## बजट का सार

( आंकड़े ₹ करोड़ में )	2014-15 वास्तविक	2015-16 बजट अनुमान	2015-16 संशोधित अनुमान	2016-17 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियाँ	11,01,472	11,41,575	12,06,084	13,77,022
पूँजी प्राप्तियाँ	5,62,201	6,35,902	5,79,307	6,01,038
कुल प्राप्तियाँ	16,63,673	17,77,477	17,85,391	19,78,060
आयोजना-भिन व्यय	12,01,029	13,12,200	13,08,194	14,28,050
आयोजना व्यय	4,62,644	4,65,277	4,77,197	5,50,010
कुल व्यय	16,63,673	17,77,477	17,85,391	19,78,060
राजस्व घाटा	3,65,519	3,94,472	3,41,589	3,54,015
प्रभावी राजस्व घाटा	2,34,759	2,68,000	2,09,585	1,87,175
राजकोषीय घाटा	5,10,725	5,55,649	5,35,090	5,33,904
प्राथमिक घाटा	1,08,281	99,504	92,469	41,234


स्रोत: केंद्रीय बजट 2016-17  
PIB/KBK

## घाटे का रुझान (जीडीपी प्रतिशत के अनुसार)




सभी ग्राफिक: www.pib.nic.in

## राज्यों को अंतरित संसाधन



## केंद्रीय आयोजना का क्षेत्रवार परिव्यय



# विकास पथ

## सेतु भारतम कार्यक्रम आरंभ

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित एवं सुचारु यात्रा हेतु पुल बनाने के लिए सेतु भारतम कार्यक्रम को पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया। सेतु भारतम कार्यक्रम का लक्ष्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे फाटकों से मुक्त कर देना है। ऐसा सड़क पर बने रेलवे फाटकों पर अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं तथा मौतों से बचने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपये की लागत से 208 से भी अधिक रेलवे ओवर ब्रिज अथवा रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

208 रेलवे ओवर ब्रिज का ब्योरा इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश - 33, असम: 12, बिहार: 20, छत्तीसगढ़: 5, गुजरात: 8, हरियाणा: 10, हिमाचल प्रदेश: 5, झारखंड: 11, कर्नाटक: 17, केरल: 4, मध्य प्रदेश: 6, महाराष्ट्र: 12, ओडिशा: 4, पंजाब: 10, राजस्थान: 9, तमिलनाडु: 9, उत्तराखंड: 2, उत्तर प्रदेश: 9, पश्चिम बंगाल: 22। 73 ओवर ब्रिज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं और उनमें से 64 को 5,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2015-16 में ही मंजूरी मिल जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त लगभग 1,500 पुराने एवं जर्जर पुलों को भी 30,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा/चौड़ा किया जाएगा/मजबूत किया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदाएं पहले ही आमंत्रित कर ली हैं। सलाहकार को मार्च, 2016 तक ठेका देने का लक्ष्य है।

भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी में भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) भी स्थापित की है। इसका उद्देश्य सचल निरीक्षण इकाइयों का प्रयोग करते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी पुलों की स्थिति का सर्वेक्षण करना तथा उनका ब्योरा तैयार करना है। इसके लिए 11 सलाहकार फर्म नियुक्त की गई हैं। अभी तक 50,000 पुलों का ब्योरा तैयार हो चुका है। सर्वेक्षण का पहला चरण जून 2016 तक पूरा होने की संभावना है। जानकारी का यह भंडार अपने प्रकार का सबसे बड़ा भंडार होगा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान्य से बड़े आकार के एवं सामान्य से अधिक भार वाले सामान के आवागमन को सुचारु करने में सहायता करेगा।

## वार्षिक संदर्भ ग्रंथ-भारत/इंडिया 2016 का लोकार्पण



वित्त तथा कारपोरेट और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली भारत 2016 और इंडिया 2016 का लोकार्पण करते हुए। साथ में सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं।

**वि**त्त तथा कारपोरेट मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 18 फरवरी, 2016 को भारत/इंडिया 2016 के प्रिंट और डिजिटल संस्करण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री जेटली ने इस वार्षिक संदर्भ ग्रंथ को सभी के लिए सूचनाओं का मूल्यवान भंडार बताया। उन्होंने कहा कि भारत/इंडिया 2016 में जो जानकारी दी गई है, उसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि सरकारी प्रकाशनों के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय ने प्रकाशन विभाग की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान और सदस्यता सेवाएं भी शुरू कीं। ये सेवा वित्त मंत्रालय के गैर-कर प्राप्त पोर्टल और भारतकोष पोर्टल के जरिए शुरू की गई है। अब योजना, कुरुक्षेत्र सहित प्रकाशन विभाग की अन्य मुद्रित पत्रिकाओं की ऑनलाइन सदस्यता ली जा सकती है।

रोजगार समाचार (अंग्रेजी) के डिजिटल संस्करण के शुभारंभ के साथ-साथ, रोजगार समाचार (अंग्रेजी और हिंदी) की ऑनलाइन भुगतान सेवा भी भारतकोष पोर्टल पर प्रारंभ की गई। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि भारत/इंडिया संदर्भ ग्रंथ प्रकाशन विभाग का एक प्रामाणिक दस्तावेज है और शिक्षकों एवं प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है।

प्रकाशन विभाग की कुछ पुस्तकों की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन बिक्री भी पॉयलट आधार पर शुरू की गई है। रोजगार समाचार (अंग्रेजी) का डिजिटल संस्करण <http://www.en.eversion.in> से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशन विभाग की अन्य लोकप्रिय पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र आजकल और बालभारती) की ऑनलाइन सदस्यता वेबसाइट [publicationsdivision.nic.in](http://publicationsdivision.nic.in), [yोजना.gov.in](http://yोजना.gov.in) और [bharatkosh.gov.in](http://bharatkosh.gov.in) से ली जा सकती है।

भारत/इंडिया 2016 का मुद्रित संस्करण ऑनलाइन <http://goo.gl/QvNq6k> से खरीदा जा सकता है। डिजिटल भारत/इंडिया 2016 ऑनलाइन <http://goo.gl/kMGBzC> से खरीदा जा सकता है। प्रकाशन विभाग की अन्य पुस्तकों के मुद्रित संस्करण [www.flipkart.com](http://www.flipkart.com) से तथा ई-संस्करण [www.kobo.com](http://www.kobo.com) से खरीदे जा सकते हैं।

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक

बाजार में उपलब्ध

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 2015-16

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के

सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री.

विभिन्न विश्वविद्यालयों के भारतीय अर्थव्यवस्था

के प्रश्न-पत्र एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी.



Code No. 791

₹ 315/-



Code No. 790

₹ 350/-

### टॉपर्स की राय में...

- .....मुझे इतिहास व अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक काफी अच्छे लगे.  
—सूरज सिंह  
सिविल सेवा परीक्षा, 2014 में हिन्दी माध्यम से चयनित
- .....प्रतियोगिता दर्पण के अर्थशास्त्र व राजव्यवस्था अतिरिक्तांक काफी अच्छे लगे.  
—संतोष कुमार राय  
सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान पर चयनित
- .....मैंने प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया और विशेषतः इसके अर्थव्यवस्था वाले भाग से तैयारी में मुझे बहुत मदद मिली.  
—मेधा रूपम  
सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में 10वें स्थान पर चयनित
- .....मैंने अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का उपयोग समय के सदुपयोग के लिए किया.  
—प्रियंका निरंजन  
सिविल सेवा परीक्षा, 2012 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान
- प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक प्रतियोगियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है इसके अतिरिक्त मैंने इतिहास का अतिरिक्तांक भी काफी उपयोगी पाया।  
—विवेक कुमार यादव  
उ.प्र पी.सी.एस. परीक्षा, 2014 में प्रथम स्थान
- .....मैंने प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांकों की सीरीज का उपयोग किया. ये तथ्यों का एक ही स्थान पर समग्र संकलन, परीक्षा के लिए उपयोगी एवं समय को बचाने वाली सिद्ध होती है.  
—राधिका देवी  
आर.ए.एस./आर.टी.एस. परीक्षा, 2012 में सर्वोच्च स्थान

### मुख्य आकर्षण

भारतीय अर्थव्यवस्था—प्रमुख विशेषताएं | राष्ट्रीय आय : 2014-15

इण्डिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 | मानव विकास रिपोर्ट 2015

जनांकिकीय परिदृश्य एवं जनगणना 2011 | कृषि, उद्योग, बैंकिंग, विदेशी व्यापार एवं यातायात

नई विदेश व्यापार नीति : 2015-20 | गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2014)

भारत पर विदेशी ऋण (सितम्बर 2015) | मौद्रिक नीति समीक्षा (सितम्बर 2015)

प्रमुख रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम | नीति आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन | आर्थिक शब्दावली

नवीनतम आर्थिक तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रतियोगिता दर्पण

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330

E-mail : care@pdgroup.in

Website : www.pdgroup.in

• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 7060421008